1

[2022] 5 एस. सी. आर 1

क.

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

वी.

मेसर्स स्काई पावर साउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

(2022 का सी. ए. सं. 8515-8516) 16 नवंबर, 2022

[के**.** एम**.** जोस्पेह और हृषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

विद्युत कानून-विद्युत अधिनियम, 2003।63 और 62-अनुबंध-गैर-सांविधिक अनुबंध-अपीलार्थी और पहले प्रतिवादी द्वारा किया गया बिजली खरीद समझौता (पी. पी. ए.), यदि कोई सांविधिक अनुबंध-आयोजित किया गया हैःपी. पी. ए. को या तो मूल अधिनियम या अधीनस्थ कानून के रूप में वैधानिक आदेश के कथित अनुपालन में नहीं बनाया गया था-पी. पी. ए. के नियमों और शर्तों को किसी भी वैधानिक प्रावधान से पी. पी. ए. में प्रत्यारोपित नहीं किया गया था-उस शुल्क पर बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया गया था, जो यू/एस दिशानिर्देशों के अनुरूप था।63, पी. पी. ए. को एक सांविधिक अनुबंध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है-एक अनुबंध जिसमें निर्धारित नियम और शर्तें क़ानून के तहत अनिवार्य हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध एक सांविधिक अनुबंध बन जाता है-यदि यह परीक्षण लागू किया जाता है, तो कोई यह देखने में विफल रहता है कि बोली के दिशानिर्देशों के संदर्भ को कैसे माना जा सकता है, जिसके तहत बोलियां की गई थीं और अंत में पी. पी. ए. में प्रवेश किया गया था, यह कहने के समान माना जा सकता है कि पी. पी. ए. में एक क़ानून के अनिवार्य हिस्से के रूप में निर्धारित सांविधिक नियम और शर्तें शामिल हैं-अभिव्यक्ति 'नियम और शर्तें', जो प्रकृति में सांविधिक हैं, को उन सांविधिक नियमों और शर्तों के रूप में समझा जाना चाहिए, जो अनुबंध करने वाले पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के लिए प्रदान करते हैं-ऐसा संदर्भ पी. पी. ए. में इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है-यह उचित नहीं हो सकता है

ग

डी.

ई.

च

अनुबंध-प्रशासनिक कार्रवाई-न्यायिक समीक्षा-एक गैर-सांविधिक अनुबंध से उत्पन्न मामले में राज्य द्वारा कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का दायरा-आयोजितःकेवल यह तथ्य कि एक अनुबंध के तहत राहत मांगी जाती है जो वैधानिक नहीं है, प्रतिवादी-राज्य को किसी मामले में अनुबंध के तहत अपनी कार्रवाई या निष्क्रियता की जांच को रोकने का अधिकार नहीं देगा यदि शिकायत करने वाला पक्ष सक्षम है

जी.

एच.

1

यह स्थापित करना कि कार्रवाई/निष्क्रियता अपने आप में मनमाना है-भले ही यह एक गैर-सांविधिक अनुबंध हो, किसी अनुबंध के काम करने के दौरान भी राज्य या उसके उपकरणों द्वारा किए गए कार्यों या चूक के आधार पर कार्रवाई के कारण से निपटने

में कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।प्रशासनिक कानून-राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन-जब किसी कार्य को मनमाना माना जाना है-आयोजित किया जाता हैःअदालत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए-उसे यह पता लगाना चाहिए कि क्या विवादित निर्णय किसी भी सिद्धांत पर आधारित है-यदि नहीं, तो यह अनियंत्रित रूप से मनमानेपन की ओर इशारा कर सकता है-यदि सद्भावना का अभाव है और कार्रवाई एक तिरछे उद्देश्य के साथ की जाती है, तो इसे मनमाना होने के रूप में वर्णित किया जा सकता है-पक्षों के अधिकारों और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखे बिना दिमाग का कुल गैर-उपयोग मनमाना कार्रवाई का एक स्पष्ट संकेतक हो सकता है-एक पूरी तरह से अनुचित निर्णय जो वेडनसबरी सिद्धांत के तहत एक विकृत निर्णय से थोड़ा अलग है, Art.14 के तहत एक मनमाना निर्णय के रूप में योग्य होगा-आम तौर पर एक अनुबंध के तहत अपने उल्लंघन के परिणामों के साथ एक पक्ष का दौरा करना एक मनमाना निर्णय नहीं हो सकता है।

ग

डी.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.**रिट अधिकार क्षेत्र एक सार्वजनिक कानून उपचार है।एक मामला**,** जो पूरी तरह से सार्वजनिक निकाय के मामलों के एक निजी क्षेत्र के भीतर है**,** न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत निपटाए जाने के लिए खुद को उधार नहीं दे सकता है। **[**पैरा **54] [50-**जी**]**

ई.

2. बरेली विकास प्राधिकरण में निर्धारित सिद्धांत

कि एक गैर**-**सांविधिक अनुबंध के मामले में अधिकार केवल अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होते हैं और राधाकृष्ण अग्रवाल सहित जिन निर्णयों का पालन किया जाना है**,** वे एबीएल में जो निर्धारित किया गया है और जैसा कि सुधीर कुमार सिंह में हाल के फैसले में किया गया है**,** उसके आलोक में अच्छे बने नहीं रह सकते हैं।**[**पैरा **54] [50-**जी**; 51-**ए**]**

च

3. केवल यह तथ्य कि किसी अनुबंध के तहत राहत मांगी जाती है**,** जो वैधानिक नहीं है**,** किसी मामले में प्रतिवादी**-**राज्य को अनुबंध के तहत अपनी कार्रवाई या निष्क्रियता की जांच को रोकने का अधिकार नहीं देगा**,** यदि शिकायत करने वाला पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम है कि कार्रवाई**/**निष्क्रियता**,** प्रति**,** मनमाना है।**[**पैरा **54] [51-**बी**]** ए

जी.

एच.

3

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

4. निस्संदेह**,** एक कार्रवाई तब होगी जब राज्य किसी भी तरह का अनुदान देने का इरादा रखता है और निस्संदेह**,** यह अनुबंध में प्रवेश करने से पहले के चरण से संबंधित है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जांच न्यायिक समीक्षा की प्रकृति के भीतर की जाएगी**,** जिसे टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ में निर्णय में घोषित किया गया है।**[**पैरा **54] [51-**सी**]**

5. अनुबंध में प्रवेश करने के बाद**,** विभिन्न परिस्थितियाँ हो सकती हैं**,** जो राज्य के साथ अनुबंध के लिए एक पक्ष को एक रिट याचिका दायर करके राहत पाने के लिए कार्रवाई का कारण प्रदान कर सकती हैं।**[**पैरा **54] [51-**डी**]**

6. इसमें राज्य से पीड़ित पक्ष को देय राशि के भुगतान की मांग करने की राहत शामिल हो सकती है।वास्तव में, राज्य को भुगतान करने के अपने दायित्वों का सम्मान करने के लिए कहा जा सकता है, जब तक कि यह नहीं हो कि भुगतान करने के लिए राज्य के दायित्व के संबंध में कोई गंभीर और वास्तविक विवाद उठाया गया हो।इस तरह के विवाद में, आम तौर पर, यह तर्क शामिल होगा कि पीड़ित पक्ष ने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है और न्यायालय ने पाया है कि राज्य द्वारा ऐसा तर्क केवल एक चाल या दिखावा नहीं है।**[**पैरा **54] [51-**ई**-**एफ**]**

ग

डी.

7. एक वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व, निस्संदेह, एक संविदात्मक मामले में एक रिट याचिका में राहत को अस्वीकार करने में ध्यान में रखा जाने वाला मामला है।पुनः, यह प्रश्न कि क्या रिट याचिकाकर्ता को दरवाजे से बाहर बताया जाना चाहिए, याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दावे और राहत की प्रकृति, उन प्रश्नों पर निर्भर करेगा, जिन पर निर्णय लेना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तथ्य के विवादित प्रश्न हैं, जिनका समाधान आवश्यक है, जो मांगी गई राहत के अनुदान के लिए एक अनिवार्य प्रस्तावना के रूप में है।जबकि कोई निषेध नहीं है, यहां तक कि लिखित न्यायालय में तथ्य के विवादित प्रश्नों का निर्णय भी किया जाता है, विशेष रूप से जब विवाद केवल दस्तावेजों के रहस्योद्घाटन को घेरता है, तो न्यायालय पक्ष को दीवानी मुकदमे के माध्यम से उपचार के लिए खारिज कर सकता है।**[**पैरा **54] [51-**जी**; 52-**ए**-**बी**]**

ई.

च

जी.

8. मध्यस्थता के लिए एक प्रावधान का अस्तित्व, जो विवाद समाधान की गति को तेज करने के उद्देश्य से एक मंच है, एक रिट याचिका के मनोरंजन के लिए एक निकट बाधा के रूप में देखा जाता है।**[**पैरा **54] [52-**सी**]**

एच.

क.

9. तथ्य के विवादित प्रश्नों से निपटने की आवश्यकता को एक रिट याचिका में उठाए गए एक वास्तविक दावे को दोषी ठहराने के लिए एक स्मोकस्क्रीन नहीं बनाया जा सकता है, जब वास्तव में एक रिट आवेदक को राहत देने के लिए तथ्य के विवादित प्रश्न का समाधान अनावश्यक है।**[**पैरा **54] [52-**डी**]**

10. अनुच्छेद **14** की पहुंच एक रिट कोर्ट को राज्य द्वारा अनुबंध किए जाने के बाद भी मनमाने ढंग से राज्य की कार्रवाई से निपटने में सक्षम बनाती है।विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ अनुच्छेद **14** को लागू करने के लिए कार्रवाई के कारण पैदा कर सकती हैं।इससे निपटने में न्यायालय का दृष्टिकोण, निस्संदेह, राज्य की मनमानी कार्रवाई को रोकने की भारी आवश्यकता से निर्देशित होगा, उन मामलों में जहां रिट उपचार राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से अनुचित कार्रवाई से उत्पन्न न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए एक प्रभावी और निष्पक्ष साधन प्रदान करता है।**[**पैरा **54] [52-**ई**-**एफ**]**

ग

11. विभिन्न प्रकार की स्थितियों में अनुबंध की समाप्ति फिर से हो सकती है।उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है, जिसे बिना किसी तर्क की आवश्यकता के, वह व्यक्ति होने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, जो अनुबंध को रद्द करने के लिए पूरी तरह से अनधिकृत है, तो पक्ष को अनावश्यक अग्निपरीक्षा के लिए प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है।उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, ऐसे मामले में, जहां कोई विवाद हल नहीं किया जाना है, भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के अलावा जनहित में भी अनुकूल होगा।जब राज्य द्वारा किसी अनुबंध की समाप्ति को चुनौती देने की बात आती है, जो एक गैर-सांविधिक निकाय है, जो इस तरह के अनुबंध के तहत शक्तियों/अधिकारों के कथित प्रयोग में काम कर रहा है, तो यह एक जटिल मुद्दे को सरल बनाने के लिए होगा कि अदालत याचिकाकर्ता को वैकल्पिक मंच से दूर करने के पक्ष में कोई भी अनम्य नियम निर्धारित करे।

आम तौर पर, राज्य द्वारा अनुबंध की समाप्ति के मामले, अपने संविदात्मक क्षेत्र के भीतर कार्य करते हुए, रिट कोर्ट द्वारा उचित निवारण के लिए खुद को उधार नहीं दे सकते हैं।यह, निस्संदेह है, इसलिए यदि न्यायालय निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जिसमें तथ्यों के विवादित प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किए गए निष्कर्ष शामिल हैं।निस्संदेह, ए. बी. एल. लिमिटेड को ध्यान में रखते हुए, यदि विवाद को हल करने के लिए, किसी अनुबंध को अस्वीकार करने के मामले में, केवल दलीलों के आलोक में दस्तावेजी सामग्री के वास्तविक दायरे की सराहना करना शामिल है, तो न्यायालय अभी भी एक आवेदक को राहत दे सकता है।न्यायालय को एक चेतावनी दर्ज करनी चाहिए।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

5

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

क.

अदालतें आज डॉकेट विस्फोट के बोझ तले दबी हुई हैं, जो वास्तव में चिंताजनक है।यदि किसी मामले में दस्तावेजों का एक बड़ा समूह शामिल है और न्यायालय को तथ्यों के निष्कर्षों पर प्रवेश करने के लिए कहा जाता है और इसमें केवल दस्तावेज़ का निर्माण शामिल है, तो पक्ष को वैकल्पिक उपचार के लिए प्रेरित करना एक अनुचित विवेकाधिकार नहीं हो सकता है।यह न्यायालय को उसकी संवैधानिक शक्ति से वंचित करने के लिए नहीं है जैसा कि ए. बी. एल. में निर्धारित किया गया है। यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है कि क्या विवाद के दायरे को ध्यान में रखते हुए, क्या न्यायालय अभी भी याचिका पर विचार करेगा।**[**पैरा **54] [52-**जी**; 53-**ए**-**एफ**]**

12. एक मामले में राज्य अनुबंध का एक पक्ष है और राज्य के खिलाफ एक अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, उपयुक्त मंच में एक नागरिक कार्रवाई, निस्संदेह, बनाए रखने योग्य है।लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती।राज्य की स्थिति और निष्पक्ष रूप से कार्य करने और अपने सभी कार्यों में मनमानेपन से बचने के अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, कार्रवाई के कारण पर संवैधानिक उपाय का सहारा लें, कि कार्रवाई मनमाना है, अनुमेय है।हालांकि, राज्य द्वारा अनुबंध के उल्लंघन से जुड़े प्रत्येक मामले को मनमाना राज्य कार्रवाई के मामले के रूप में प्रच्छन्न और प्रच्छन्न नहीं किया जा सकता है।जबकि एक मनमानी कार्रवाई या निष्क्रियता की अवधारणा को किसी भी अपरिवर्तनीय मंत्र तक सीमित या सीमित नहीं किया जा सकता है, और प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में इसे उजागर किया जाना चाहिए, यह केवल अनुबंध के उल्लंघन का आरोप नहीं हो सकता है जो पर्याप्त होगा।मामले में जो शामिल होना चाहिए वह कार्रवाई/निष्क्रियता होनी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से अनुचित या बिल्कुल तर्कहीन और किसी भी सिद्धांत से रहित होनी चाहिए।एक कार्रवाई, जो पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है, को शायद ही एक उचित कार्रवाई के रूप में वर्णित किया जा सकता है और तथ्यों के आधार पर, मनमाना कार्रवाई हो सकती है।प्रश्न न्यायालय द्वारा प्रस्तुत और उत्तर दिया जाना चाहिए और उचित मामलों में राहत देने के लिए न्यायालय के पास विवेकाधिकार उपलब्ध है।**[**पैरा **54] [53-**जी**-**एच**; 54-**ए**-**सी**]**

ग

डी.

ई.

च

13. एक लॉडेस्टार**,** जो न्यायालय के मार्ग को रोशन कर सकता है**,** सार्वजनिक हित का वह आयाम होगा जो न्यायालय द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय मामले को वैकल्पिक मंच पर ले जाने के लिए दिया जाएगा।**[**पैरा **54] [54-**डी**]**

जी.

14. एक अन्य प्रासंगिक मानदंड यह है कि यदि न्यायालय ने मामले पर विचार किया है**,** तो यह वर्जित नहीं है कि न्यायालय को बाद के चरण में पक्ष को खारिज नहीं करना चाहिए**,** आम तौर पर**,** यह एक जर्मन विचार होगा**,** जो न्यायालय को पूरा करने के लिए राजी कर सकता है।

एच.

क.

यह शुरू हो गया था**,** बशर्ते कि यह रिट याचिका में गुण**-**दोष के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए अधिकार क्षेत्र का एक अच्छा अभ्यास हो।**[**पैरा **54] [54-**ई**-**एफ**]**

15. प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन को एक सार्वजनिक कानून तत्व की उपस्थिति को दर्शाने वाले आधार के रूप में मान्यता दी गई है और अनुच्छेद **14** के उल्लंघन पर आधारित कार्रवाई का कारण पाया जा सकता है।**[**पैरा **54] [54-**एफ**-**जी**]**

एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड बनामनिर्यात ऋण गारंटी निगम।ऑफ इंडिया लिमिटेड **(2004) 3** एस**.** सी**.** सी**. 553;** इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड बनाम**.**एम**.** पी**.** और अन्य राज्य **(2000) 3** एस**.** सी**.** सी**. 379:[2000] 1** एस**.** सी**.** आर**. 925;** रमण दयराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण **(1979) 3** एस**.** सी**.** सी**. 489: [1979] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1014;** श्रीलेखा विद्यार्थी **(**कुमारी**)**

ग

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1991) 1 एस. सी. सी. 212:[1990] 1 पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 625;** ईस्ट कोस्ट रेलवे और एक अन्य बनाम महादेव

अप्पा रो और अन्य (2010) 7 एस. सी. सी. 678:[2010]

डी.

7 एससीआर **908;** यू**.** पी**.** राज्य बनामसुधीर कुमार सिंह और

अन्य 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन 847 और टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ (1994) 6 एस. सी. सी. 651: [1994] 2 पूरक।एससीआर 122-पर भरोसा किया गया।

राधाकृष्ण अग्रवाल और अन्य बनाम बिहार राज्य और

ई.

अन्य (1977) 3 एस. सी. सी. 457:[1977] 3 एस. सी. आर. 249; बरेली

विकास प्राधिकरण और एक अन्य बनाम अजय पाल सिंह

और अन्य (1989) 2 एस. सी. सी. 116:[1989] 1 एससीआर 743;

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य बनाम कुरियन ई.

कलाथिल और अन्य (2000) 6 एस. सी. सी. 293:[2000] 1 पूरक।

एस. सी. आर. **581;** जेपी केन्सिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम एन. बी. सी. सी. **(**इंडिया**)** लिमिटेड और अन्य **(2022) 1** एस. सी. सी. **401;** एरसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **(1975) 1** एस. सी. सी. **70:[1975] 2** एस. सी. आर. **674;** बंछनिधि रथ बनाम राज्य

च

उड़ीसा और ओआरएस। (1972) 4 एससीसी 781; हर शंकर

जी.

और ओआरएस. वी.दि. उत्पाद शुल्क और कराधान आयोग।और

ओआरएस। (1975) 1 एससीसी 737:[1975] 3 एससीआर 254; महाबीर

ऑटो स्टोर और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और

अन्य (1990) 3 एस. सी. सी. 752:[1990] 1 एस. सी. आर. 818; राज्य

यू. पी. और अन्य बनाम ब्रिज एंड रूफ कंपनी (भारत)

लिमिटेड (1996) 6 एस. सी. सी. 22:[1996] 4 पूरक।एससीआर ए

एच.

7

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

762; वेरीगाम्टो नवीन बनाम ए. पी. सरकार और अन्य

(2001) 8 एससीसी 344:[2001] 3 पूरक।एससीआर 112; बिन्नी

लिमिटेड और एक अन्य बनाम वी. सदाशिवन और अन्य **(2005) 6**

एससीसी 657:[2005] 2 पूरक।एससीआर 421; जी. बस्सी रेड्डी

v. अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान और अन्य

(2003) 4 एससीसी 225:[2003] 1 एस. सी. आर. 1174; केरल राज्य

और अन्य बनाम के. प्रसाद और अन्य **(2007) 7** एससीसी

140 :[2007] 8 एससीआर 115; जोशी टेक्नोलॉजीज

इंटरनेशनल इंक. वी.भारत संघ और अन्य **(2015)**

7 एससीसी 728:[2015] 6 एस. सी. आर. 1042; केरल राज्य बनाम एम. के. जोस (2015) 9 एस. सी. सी. 433: [2015] 9 एस. सी. आर. 17; राज्य

यू. पी. और अन्य बनाम ब्रिज एंड रूफ कंपनी। **(1996) 6** एससीसी **22**

ग

:[1996] 4 पूरक।एस. सी. आर. 762; अखिल भारतीय विद्युत अभियंता

फेडरेशन एंड अदर्स बनाम सासन पावर लिमिटेड और

अन्य (2017) 1 एस. सी. सी. 487:[2016] 9 एस. सी. आर. 901; रौनाक

इंटरनेशनल लिमिटेड बनामआई. वी. आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य,

(1999) 1 एससीसी 492:[1998] 3 पूरक।एससीआर 421; मिशिगन

डी.

रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य

(2012) 8 एससीसी 216:[2012] 8 एस. सी. आर. 128; मोहिंदर सिंह

गिल और एक अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नए

दिल्ली और अन्य (1978) 1 एस. सी. सी. 405:[1978] 2 एस. सी. आर. 272-संदर्भित।

ई.

निर्णीत विधि संदर्भ

[2000] 1 पूरक।एससीआर **581**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[1977] 3 एससीआर **249**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

(2004) 3 एस**.** सी**.** सी**. 553**

पर भरोसा किया

पैरा **11**

च

[2000] 1 एससीआर **925**

पर भरोसा किया

पैरा **18**

संदर्भित किया गया है

पैरा **21**

(2022) 1 एस**.** सी**.** सी**. 401**

[1975] 2 एससीआर **674**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

(1972) 4 एस**.** सी**.** सी**. 781**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

जी.

[1975] 3 एससीआर **254**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

[1979] 3 एससीआर **1014**

पर भरोसा किया

पैरा **29**

[1989] 1 एससीआर **743**

संदर्भित किया गया है

पैरा **30**

[1990] 1 एससीआर **818**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

एच.

क.

[1990] 1 पूरक।एससीआर **625**

पर भरोसा किया

पैरा **32**

[1996] 4 पूरक।एससीआर **762**

संदर्भित किया गया है

पैरा **35**

[2001] 3 पूरक।एससीआर **112**

संदर्भित किया गया है

पैरा **36**

[2005] 2 पूरक।एससीआर **421**

संदर्भित किया गया है

पैरा **37**

[2003] 1 एससीआर **1174**

संदर्भित किया गया है

पैरा **39**

[2007] 8 एससीआर **115**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

[2010] 7 एससीआर **908**

पर भरोसा किया

पैरा **47**

संदर्भित किया गया है

पैरा **49**

[2015] 6 एससीआर **1042**

ग

[2015] 9 एससीआर **17**

संदर्भित किया गया है

पैरा **50**

[1994] 2 पूरक।एससीआर **122**

पर भरोसा किया

पैरा **54 (iv)**

[1996] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 762** पैरा **54 (viii) [1990] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 625** पैरा **54 (xii) [2016] 9** एस**.** सी**.** आर**. 901**

डी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **80**

[1998] 3 पूरक।एससीआर **421**

संदर्भित किया गया है

पैरा **85**

[2012] 8 एससीआर **128**

संदर्भित किया गया है

पैरा **86**

[1978] 2 एससीआर **272**

संदर्भित किया गया है

पैरा **113**

ई.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 8515-8516।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2019 के डब्ल्यू. पी. संख्या 4205 में जबलपुर में प्रधान पीठ और 2020 की समीक्षा याचिका संख्या 682 में अंतिम निर्णय और आदेश से।

च

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., अनीश कुमार गुप्ता, अर्चना प्रीति गुप्ता, पुनीत श्योराण, वेणुगोपाल अभय, सुश्री दीपशिखा भारती, वैभव वर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जी.

डॉ. अभिषेक एम. सिंघवी, नमन नागरथ, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मनप्रीत लांबा, रामानुज कुमार, सुश्री.मेसर्स सिरिल अमरचंद मंगलदास, आशीष आनंद बर्नार्ड, परमहंस साहनी, सुनील कुमार पांडे, आर. के. श्रीवास्तव, राजेश कुमार, अधिवक्ताओं के लिए प्रियाल मोदी।उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

9

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड।

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के**.** एम**.** जोसेफ**,** न्याय।

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. अपीलार्थी 2019 की रिट याचिका संख्या 420 में उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.02.2020 के निर्णय का विरोध करता है।यह 2020 की समीक्षा याचिका संख्या 682 में दिनांकित 28.12.2020 आदेश को आगे चुनौती देता है।रिट याचिका में उक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी और बिजली खरीद समझौते (जिसे इसके बाद संक्षेप में 'पीपीए' के रूप में संदर्भित किया गया है) को समाप्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा पारित दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया, जिसे अपीलार्थी और पहले प्रतिवादी द्वारा दर्ज किया गया था।अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा को खारिज कर दिया गया।इसलिए अपीलें की जाती हैं।

ग

तथ्य

3. अपीलार्थी, जो "मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी" है (जैसा कि विशेष अनुमति याचिका में अपीलार्थी द्वारा वर्णित है), मध्य प्रदेश राज्य में वितरण उपयोगिताओं (डिस्कॉम्स) को आगे की बिक्री/आपूर्ति के लिए बिजली की थोक खरीद के लिए जिम्मेदार है।अपीलार्थी ने शुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की दीर्घकालिक खरीद

के लिए दिनांक 06.05.2015 पर प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) जारी किया।मेसर्स स्काई पावर साउथईस्ट एशिया होल्डिंग लिमिटेड की बोली स्वीकार कर ली गई।इसे अलग-अलग शुल्क दरों पर 50 मेगावाट की तीन इकाइयों के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया गया था।बोलीदाता ने बाद में पहले उत्तरदाता को शामिल किया।, मेसर्स स्काई पावर साउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक विशेष प्रयोजन कंपनी के रूप में।यह 50 मेगावाट की एक परियोजना के विकास के लिए था। दर, जो पहले उत्तरदाता के संबंध में लागू होती है, रु। 5.109 प्रति इकाई।अन्य दो बोलियों के संबंध में, बोलीदाता ने अन्य कंपनियों को शामिल किया, जैसे मैसर्स स्काई पावर सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स स्काई पावर साउथईस्ट एशिया वन प्राइवेट लिमिटेड।50 मेगावाट की अन्य दो परियोजनाओं के लिए उक्त कंपनियों के संबंध में लागू दरें रु। 5.298 प्रति इकाई और रु। 5.051 प्रति इकाई, क्रमशः।पी. पी. ए. 18.09.2015 पर दर्ज किया गया था।समझौता, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्व-कमीशन गतिविधियों के लिए प्रदान किया गया था।उन्हें विक्रेता द्वारा बाद की शर्तों की संतुष्टि के रूप में वर्णित किया जाता है।पी. पी. ए. के तहत पहला प्रतिवादी विक्रेता होता है।

डी.

ई.

च

जी.

4. समझौते में 210 दिनों की अवधि के भीतर बाद की शर्तों को पूरा करने पर विचार किया गया।दूसरे शब्दों में, समझौता,

एच.

क.

मान लीजिए, बशर्ते कि पहले प्रतिवादी को 15.04.2016 द्वारा बाद की शर्तों को पूरा करना था।समझौते में जुर्माने के भुगतान के बाद शर्त को पूरा करने की अवधि को नौ महीने के लिए बढ़ाने पर विचार किया गया है।इस प्रकार, 18.09.2015 से 210 दिनों और अतिरिक्त नौ महीने की गणना करते हुए, जो कि PPA की तारीख है, अवधि 15.01.2017 पर समाप्त हो जाएगी। पहले उत्तरदाता द्वारा दिनांकित 12.01.2017 एक संचार को संबोधित किया गया था।प्रथम प्रत्यर्थी ने पी. पी. ए. के अनुच्छेद 2 का उल्लेख किया, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैः

"अनुच्छेद 2.1 विक्रेता निम्नलिखित सभी गतिविधियों को विधिवत करने और प्रभावी तिथि से 210 दिनों के भीतर विक्रेता की अपनी लागत और जोखिम को पूरा करने के लिए सहमत और प्रतिबद्ध है, जब तक कि ऐसा पूरा होना किसी बलपूर्वक आकस्मिक घटना से प्रभावित न हो, या यदि प्रभावी में से किसी को विशेष रूप से एम. पी. पी. एम. सी. एल. द्वारा लिखित रूप में माफ कर दिया गया होः

ग

क) विक्रेता इस समझौते की शर्तों के अनुसार एम. पी. पी. एम. सी. एल. को बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक सभी सहमति, मंजूरी और परमिट प्राप्त करेगा।

डी.

5. प्रथम प्रत्यर्थी ने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए और तर्क दिया कि पी. पी. ए. के तहत उसके दायित्वों का पालन किया गया था। इसके कारण अपीलार्थी द्वारा पहले प्रत्यर्थी को संबोधित दिनांक 22.02.2017 का संचार हुआ।इसने दस्तावेजों की स्थिति का उल्लेख किया, जिसे अपीलार्थी ने नोट किया।इसके अलावा, अपीलार्थी ने कुछ दस्तावेजों की मांग की।अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि प्रथम प्रत्यर्थी के पास हेक्टेयर भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं थे और केवल

12 महीने के लिए एक अपंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत किया गया था, जिसे बाद की शर्त की पूर्ति नहीं माना जा सकता था। इसके बाद, यह कहा गया कि पी. पी. ए. अनुच्छेद 2.5 के संदर्भ में समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है।1 पी. पी. ए. से। प्रथम प्रत्यर्थी से स्पष्टीकरण/औचित्य, यदि कोई हो, मांगा गया था।प्रथम प्रत्यर्थी के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, अपीलार्थी ने प्रथम प्रत्यर्थी के जवाब के लिए 10.03.2017 तक का समय दिया।जवाब, जो 10.03.2017 पर दिया गया था, इस प्रकार हैः

ई.

च

“सबसे पहले, हम आपको यह बताते हुए रोमांचित हैं कि परियोजना उन्नत निर्माण के तहत है और परियोजना के लिए सभी उपकरणों का ऑर्डर दिया गया है और निर्माण स्थल पर हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि यह परियोजना स्काई पावर और मध्य प्रदेश राज्य दोनों के लाभ के लिए बाजार में सर्वोत्तम उपकरणों का उपयोग करके और एक शीर्ष-स्तरीय ईपीसी द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली होगी।

जी.

एच.

11

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

1. निर्माण वित्तपोषण के संबंध में बाद की शर्त की संतुष्टि

एम. पी. पी. एम. सी. एल. टिप्पणीः“मिस एल एंड टी फाइनेंस का ऋण मंजूरी पत्र पत्र सं। S07201A 03/16-17 DATED 29.08.2016 सुविधा समझौते की प्रति और उपरोक्त पत्रों में बताए गए अनुपालन दस्तावेजों को प्रभावित करने के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

स्काई पावर टिप्पणीःअनुच्छेद 2 का संदर्भ दिया गया है।1.(ख) पी. पी. ए. का, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

ह /-

डी. जी. एम (वाणिज्यिक-3)

ग

आर. 0।एमपीएमसीएल, भोपाल "6. इसके बाद, पहले उत्तरदाता ने दिनांक 14.03.2017 का संचार भेजा।वह इस प्रकार हैः

“स्काई पावर ग्लोबल

डी.

14 मार्च, 2017

को,

प्रबंध निदेशक

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बिट्टन मार्केट,

ई.

भोपाल-462016

ध्यान देंःमुख्य महाप्रबंधक वाणिज्यिक, एमपीपीएमसी, जबलपुर।संदर्भःस्काई पावर साउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (स्काई पावर) द्वारा बाद की शर्तों को पूरा करने के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ("एमपीपीएमसीएल") को दस्तावेज़ प्रस्तुत करना।

च

संदर्भः1. स्काई पोयर लेटर दिनांक 10 मार्च 2017,

2. स्काई पावर लेटर एसकेपी2/एमपी/सोलर एमपीपीएमसीएल/2015-16/06 दिनांक 12 जनवरी 2017

जी.

3. एम. पी. पी. एम. सी. एल. और स्काईपॉवर के बीच 18 सितंबर, 2015 को समझौता (पी. पी. ए.)

प्रिय महोदय,

10 मार्च 2017 और स्काईपी2/एमपी/सोलर/एमपीपीएमसीएल/2015-16/06 दिनांक 12 जनवरी 2017 के हमारे कार्यालय पत्र के अलावा हम इसके द्वारा

एच.

12

प्रस्तुत करें कि हमने शेष 87 एकड़ सहित 29,85 एकड़ भूमि के लिए पूरा अधिग्रहण पूरा कर लिया है।एस एकड़ भूमि के टुकड़े।

संबंधित भूमि पंजीकरण दस्तावेज आपके अवलोकन के लिए संलग्न किए गए हैं।

हम एतद्द्वारा प्रस्तुत करते हैं कि हमने परियोजना के लिए 249,85 एसर के लिए भूमि पंजीकरण विधिवत पूरा कर लिया है।

प्रतीक्षा में धन्यवाद।

मिस स्काईपॉवर साउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ग

एस. डी./- शिवानी झरिया

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

ह /-

डी. जी. एम (वाणिज्यिक-3)

आरओ. एमपीएमसीएल, भोपाल "7. लगभग पाँच महीने के अंतराल के बाद, अगली तारीख, जिसे अपीलार्थी द्वारा लागू किया जाता है, 09.08.2017 है।अपीलार्थी का मामला यह है कि चूंकि पहला प्रतिवादी गलत तरीके से प्रस्तुत करके और हेरफेर करके बाद की शर्तों का पालन करने में विफल रहा था, इसलिए उसने अधिनियम की धारा 162 के साथ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमन, 2010 के विनियमन 32 के तहत मुख्य विद्युत महानिरीक्षक (सी. ई. आई. जी.) से अनुमोदन प्राप्त करने का इरादा किया। अपीलार्थी के अनुसार, सी. ई. आई. जी. की रिपोर्ट 20.08.2017 पर अपीलार्थी के संज्ञान में आई।उक्त तिथि से पहले, अपीलार्थी ने अनुच्छेद 2.5 के संदर्भ में पी. पी. ए. को

समाप्त करने का इरादा किया।1(घ) पी. पी. ए. का, इसे दिनांक 11.08.2017 के संचार द्वारा अनिवार्य मानते हुए।संक्षेप में, अपीलार्थी के अनुसार, अधिकतम अवधि के रूप में, जिसके भीतर, बाद की शर्तों को पूरा करना था, पी. पी. ए. के तहत 15.01.2017 पर समाप्त हो गया था, अपीलार्थी के पास समझौते को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसके परिणामस्वरूप पहले प्रतिवादी द्वारा दायर पहली रिट याचिका दायर की गई।उक्त रिट याचिका, अर्थात।, 2017 की रिट याचिका संख्या 12880 को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2018 के निर्णय द्वारा अनुमति दी गई।निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः“2. अनुबंध को पहले मील के पत्थर यानी भूमि की खरीद, वित्तीय समापन और सक्षम प्राधिकारी ए से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में 54 दिनों की देरी के कारण समाप्त कर दिया गया है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

13

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

परियोजना के पहले भाग को पूरा करने के लिए समझौते के निष्पादन की तारीख से 210 दिनों के भीतर।समझौते को समाप्त करने का एकमात्र कारण यह है कि याचिकाकर्ता 210 दिनों के भीतर पहला मील का पत्थर हासिल करने में विफल रहा है, हालांकि-भूमि की खरीद की शर्त को 210 दिनों के बाद 20.04.2016 पर संशोधित किया गया था।पहला मील का पत्थर हासिल करने में देरी पर खंड 2.5 के संदर्भ में दंड लगाया जाता है।समझौते से।

3. अनुबंध को समाप्त करने वाले इसी तरह के संचार को इस न्यायालय द्वारा लिखित याचिका No.12432/2017 (रिन्यू क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बनाम एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और एक अन्य) में दिनांक 18.08.2017 के आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।उक्त याचिका में, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि निर्धारित समय के भीतर बिजली परियोजना को चालू कर दिया है, सिवाय इसके कि पहला मील का पत्थर हासिल करने में 16 दिनों की देरी हुई थी। उक्त आदेश की सिविल अपील 2018 (एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम रिन्यू क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा <आई. डी. 2 पर पुष्टि की गई है।

ग

डी.

4. वर्तमान याचिका में विद्युत परियोजना के चालू होने के चरण के बारे में पक्षकार स्पष्ट नहीं हैं।

5. श्री कौरव ने बिजली खरीद समझौते (पी. पी. ए.) को समाप्त करने को सही ठहराते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने समझौते में निर्धारित समय के भीतर बिजली परियोजना को चालू नहीं किया है, लेकिन बिजली परियोजना को चालू न करना अनुबंध को समाप्त करने का कारण नहीं है।चूंकि, समझौते को समाप्त करने के आदेश में उल्लिखित कारण ऐसा नहीं है, इसलिए, प्रतिवादी मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978) 1 एस. सी. सी. 405 मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए रिटर्न और/या उठाए गए तर्कों में अतिरिक्त दावों के आधार पर अनुबंध को समाप्त करने के कारणों का पूरक नहीं हो सकते हैं।

ई.

च

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समझौते को समाप्त करने का समान कारण रिन्यू क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में उचित नहीं पाया गया है, इसलिए, दिनांक 11.08.2017 के विवादित संचार को इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है।हालाँकि, प्रत्यर्थियों को कानून के अनुसार 18 सितंबर, 2015 के बिजली खरीद समझौते के संदर्भ में नए आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी गई है।"

जी.

एच.

8. 07.07.2018 पर, अपीलार्थी ने नया समाप्ति नोटिस जारी किया।इसे 2019 की रिट याचिका संख्या 420 द्वारा पहले प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी।अभिवचनों के आदान-प्रदान के बाद, दिनांक 27.02.2020 के पहले विवादित फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय ने समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया।इसके बाद सितंबर, 2020 में अपीलार्थी ने समीक्षा याचिका दायर की जिसे दूसरे विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।15.04.2021 पर इस अदालत ने नोटिस जारी किया और विवादित आदेशों पर रोक लगा दी।

9. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज और प्रथम प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नमन नागरथ के साथ विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी को सुना है।हमने पांचवें प्रतिवादी (मध्य प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि को भी सुना।

ग

10. श्री के. एम. नटराज, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि विवादित निर्णय स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं।वह सबसे पहले यह बताएगा कि पहले प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका विचारणीय नहीं है।विचाराधीन पी. पी. ए. एक वैधानिक अनुबंध नहीं है और इसलिए अनुबंध को समाप्त करने के आदेश में हस्तक्षेप उचित नहीं था।इस संबंध में उन्होंने केरल में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन प्राप्त किया।

डी.

राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य बनाम कुरियन ई. कलाथिल और अन्य 1.

इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि पी. पी. ए. ने विवादों को हल करने के लिए प्रावधानों पर विचार किया।उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रथम प्रतिवादी को निवारण का दावा करने के लिए एक दीवानी मुकदमे का सहारा लेना चाहिए था।उन्होंने बताया कि एक रिट याचिका एक सार्वजनिक कानून उपचार है।विचाराधीन अनुबंध प्रकृति में वैधानिक नहीं होने के कारण, अनुच्छेद 226 के तहत दृष्टिकोण को उचित ठहराने के लिए कोई सार्वजनिक कानून तत्व नहीं था।इसके बाद वह तर्क देंगे कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।यह एक ऐसा मामला है जहां मोटे तौर पर अनुबंध में दो चरणों में शर्तों को पूरा करने पर विचार किया गया था।पहला चरण विभिन्न शर्तों से संबंधित था जिन्हें पहले प्रतिवादी द्वारा पूरा किया जाना था जिन्हें पी. पी. ए. में बाद की शर्तों के रूप में वर्णित किया गया है। इन्हें पूर्व-नियुक्ति चरण के रूप में भी वर्णित किया गया है।पी. पी. ए. ने स्पष्ट रूप से आई. डी. 1 पर या उससे पहले निर्विवाद आधार पर इन शर्तों को पूरा करने पर विचार किया।इस तिथि पर पहुंचने पर, पी. पी. ए. के तहत विचार की गई अधिकतम 9 महीने की अवधि भी शामिल है, जिसे जुर्माने के भुगतान पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, पहले प्रतिवादी ने 56 दिनों की और देरी के अलावा बाद की शर्तों को पूरा नहीं किया।पी. पी. ए. स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि यदि समय सीमा है

ई.

च

जी.

1 (2000) 6 एससीसी 293 ए

एच.

15

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

जो इस मामले में 15.01.2017 से अधिक था, अपीलार्थी अनुबंध को समाप्त कर देगा।यह सत्ता या विवेक का सवाल नहीं है। यह एक अधिकार है जो अपीलार्थी, एक अनुबंध के लिए एक पक्ष के साथ निहित है।इस संबंध में वह इस बात पर जोर देंगे कि हालांकि राज्य पर निष्पक्ष तरीके से कार्य करने की बाध्यता का बोझ हो सकता है, लेकिन यह अनुबंध के तहत उसके साथ अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक पक्ष के रूप में राज्य को उपलब्ध अधिकारों को नहीं छीनता है।दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य के रूप में अपीलार्थी को उस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जिसका उपयोग किसी निजी पक्ष द्वारा विधिवत किया जा सकता है यदि वह समान परिस्थितियों में अपीलार्थी के पक्ष में खड़ा हो।यह सब अपीलार्थी द्वारा किया गया है।दूसरे चरण पर आते हुए, अर्थात्, पहले प्रतिवादी द्वारा परियोजना को चालू करने पर, हमारा ध्यान पी. पी. ए. के अनुच्छेद 2.6 की ओर आकर्षित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि समझौते में वित्तीय बंद होने की तारीख से 12 महीने के भीतर संयंत्र को चालू करने पर विचार किया गया है।वह इंगित करेंगे कि फोर्स मैजेयर को लागू करने के लिए कोई परिस्थितियाँ नहीं थीं।वित्तीय बंद होने की तारीख से 12 महीने की अवधि ने अधिकतम अवधि निर्धारित की जिसके भीतर कमीशनिंग होनी थी।वह प्रस्तुत करेगा कि पहला प्रतिवादी सम कमीशनिंग का उल्लंघन कर रहा था।इसलिए, उस मामले में भी, उच्च न्यायालय द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि एक और महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसने उच्च न्यायालय को राहत देने से मना कर दिया होगा।इस मामले ने तथ्यों के विवादित प्रश्नों को जन्म दिया।एक ओर, यह पहले प्रत्यर्थी का मामला था, कि पहले प्रत्यर्थी ने पी. पी. ए. की तारीख 18.09.2015 से दो साल की अवधि के भीतर सब कुछ करने के लिए आगे बढ़ा था, और यह केवल तभी था जब उक्त अवधि के भीतर चालू नहीं किया गया था कि समझौते में विक्रेता की चूक के रूप में वर्णित किया गया है।यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ पहले प्रतिवादी ने वास्तव में जमीन पर आवश्यक स्थापना नहीं की थी।इस संबंध में, वह तर्क देंगे कि सी. ई. आई. जी. ने अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन मंजूरी पहले प्रतिवादी द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन किए बिना दी गई थी।इस संबंध में अनिवार्य रूप से दो पहलुओं का अनुमान लगाया गया है।सबसे पहले यह बताया गया है कि जब पहली रिट याचिका विचाराधीन थी, अपीलार्थी ने 19.04.2018 पर निरीक्षण किया।21.04.2018 पर एक रिपोर्ट आई।यह पता चला कि सी. ई. आई. जी. द्वारा दी गई मंजूरी पहले प्रतिवादी के मामले को आगे नहीं बढ़ा सकती है क्योंकि कुछ खामियां सामने आई हैं।अपीलार्थी के निरीक्षण दल ने पाया कि ब्लॉक 9 और 10 (50 मेगावाट की परियोजना में प्रत्येक में 5 मेगावाट के 10 ब्लॉक शामिल थे) में 61 इनवर्टर गायब थे।यह आगे था

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

16

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

पता चला कि 258 इन्वर्टरों के संबंध में, संख्याओं का दोहराव था।दूसरे शब्दों में, अनुबंध के तहत आवश्यक रूप से इन्वर्टरों की अनुमानित संख्या के बिना, सी. ई. आई. जी. की मंजूरी प्राप्त की गई थी।वास्तव में, यह पहलू, जिसे जब अपीलार्थी द्वारा खोजा गया था, समीक्षा याचिका की नींव बना, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा अनुकूल रूप से विचार नहीं किया गया था।इस मामले के तथ्यों में एक रिट याचिका झूठ नहीं बोलेगी।वह प्रस्तुत करेंगे कि जब राज्य अनुबंध के पुरस्कार के रूप में अपनी उदारता प्रदान कर रहा है तो एक रिट याचिका विचारणीय हो सकती है, एक बार अनुबंध में प्रवेश करने के बाद अदालत के लिए न्यायिक समीक्षा करने और इसे रद्द करने का कोई अवसर पैदा नहीं होगा।अनुबंध पक्ष के रूप में राज्य द्वारा की गई कार्रवाई जब अनुबंध की चार दीवारों के भीतर होती है तो सार्वजनिक कानून की कार्यवाही में छूट होती है।कि अनुबंध के उल्लंघन के लिए एक कार्रवाई हो सकती है जहां पीड़ित पक्ष हर्जाने की मांग कर सकता है, अदालत के साथ वजन करना चाहिए था।वह आगे तर्क देंगे कि एक और आयाम है जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखी की गई है।इस मामले के तथ्यों में भारी जनहित रिट अदालत के मामले में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं था।इस संबंध में वह यह इंगित करते हुए सफाई देंगे कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से निम्नलिखित परिणाम निकलेंगेः

ग

डी.

पी. पी. ए. अपीलार्थी पर रुपये की दर से बिजली खरीदने का दायित्व डालता है। 25 साल की अवधि के लिए प्रति इकाई 5.109।बाजार में बिजली बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध है।उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि अपीलार्थी को बहुत अधिक दर पर बिजली खरीदनी होगी और जो बात अधिक परेशान करने वाली है और उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने के लिए परेशान करना चाहिए था, वह यह है कि बढ़ी हुई दर को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना होगा।इसे अलग तरीके से कहें, जब अपीलकर्ता अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होता है और सस्ती दर पर बिजली खरीदने और उपभोक्ताओं से कम दर पर शुल्क लेने की स्थिति में होता है, तो अदालत द्वारा पहले प्रतिवादी को राहत देते हुए, अपीलकर्ता उच्च दर पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर होता है और वह भी 25 साल की लंबी अवधि के लिए, और इससे भी अधिक, असहाय उपभोक्ता पर बोझ डालने के लिए मजबूर होता है।इस प्रकार, वास्तव में मामले में जनहित न्यायालय में निहित था जो पहले प्रतिवादी को राहत देने से इनकार कर रहा था।वह आगे यह इंगित करेंगे कि विवादित निर्णय किसी भी पहलू से संबंधित नहीं है, चाहे वह तथ्यात्मक आयाम हो या कानूनी आवश्यकताएं।निर्णय अपीलार्थी द्वारा उठाई गई दलीलों की चर्चा से रहित है।इसलिए वह तर्क देंगे कि विवादित निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

ई.

च

जी.

एच.

17

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

11. इसके विपरीत, प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी इंगित करेंगे कि तथ्यों में अपील को बनाए रखने का कोई आधार नहीं है।वह इंगित करेंगे कि यह एक ऐसा मामला है जहां पहला प्रतिवादी विचाराधीन परियोजना के संबंध में सबसे कम बोली लगाने वाला निकला और 182 बोलीदाताओं की एक अविश्वसनीय संख्या ने भाग लिया।यह अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ रहा है कि पहले प्रत्यर्थी की धारक कंपनी सबसे कम बोली लगाने वाली साबित हुई (यहां हमें ध्यान देना चाहिए कि दलीलों के दौरान अपीलार्थी ने प्रस्ताव दिया था कि पहले प्रत्यर्थी प्रस्ताव के साथ आ सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से अनुबंध दर से कम दरें शामिल होनी चाहिए ताकि सार्वजनिक हित की चिंता को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जा सके, जबकि पहले प्रत्यर्थी

ने बताया कि चूंकि उसने परियोजना के लिए योजना बनाई है जिसके आधार पर वह सबसे कम बोली लगाने वाला बन गया है, इसलिए उसके लिए दर को कम करना संभव नहीं होगा)।डॉ. सिंघवी ने बताया कि प्रथम प्रतिवादी और मैसर्स रिन्यू एनर्जी के मामले में भेदभाव करने का कोई आधार नहीं है।यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय ने मुकदमे के पहले दौर में अक्षय ऊर्जा में फैसले के बाद समाप्ति आदेश में हस्तक्षेप किया था।अक्षय ऊर्जा के मामले में, यह 16 दिनों की देरी के साथ बाद की शर्तों को पूरा कर सका जिसे अंततः माफ कर दिया गया।प्रथम प्रत्यर्थी के मामले में, देरी 56 दिनों की हुई।अन्यथा, उनके मामले समान हैं।अक्षय ऊर्जा को चालू करने की अनुमति दी गई थी जबकि पहले प्रतिवादी को बिना किसी आधार के भेदभाव का सामना करना पड़ा था।वह इंगित करेंगे कि अनुबंध के तहत पहले प्रतिवादी के पास परियोजना को चालू करने के लिए 18.09.2015 से 24 महीने थे।24 महीने की समाप्ति से पहले ही परियोजना तैयार हो गई थी।प्रत्यर्थी को कमीशन देने से रोक दिया गया था। एक पार्टी अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती।वह इंगित करेंगे कि इस न्यायालय द्वारा एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के बाद भी कानून स्थिर नहीं रहा है।

ग

डी.

ई.

च

राधाकृष्ण अग्रवाल और अन्य बनाम बिहार राज्य में निर्णय

और अन्य 2।अनुच्छेद 14 में इस विशाल जनादेश को स्वीकार करते हुए कि राज्य को अपने सभी कार्यों में अनुचितता से बचना चाहिए, इस न्यायालय ने अनुबंध करने के बाद भी राज्य द्वारा मनमाने ढंग से कार्रवाई करने के खिलाफ एक वर्जना बुनी है।वह इस संबंध में इस न्यायालय के फैसले की ओर इशारा करेंगे।

एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड बनामनिर्यात ऋण गारंटी निगम।भारत का

जी.

लिमिटेड 3 और संविदात्मक मामलों में भी राहत देने वाले रिट न्यायालय के उसी अनुमोदन के बाद के निर्णय।वह यह इंगित करेंगे कि, वर्तमान मनमानेपन, चाहे वह अनुबंध किए जाने के बाद हो, राज्य के लिए कोई जगह नहीं है

2 (1977) 3 एससीसी 457 3 (2004) 3 एससीसी 553

एच.

18

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

जब कार्रवाई को चुनौती दी जाती है तो छिपाना और इसकी कार्रवाई को संवैधानिक अदालत की जांच से गुजरना चाहिए।इसे यह प्रदर्शित करना चाहिए कि कार्रवाई निष्पक्ष थी।राज्य की कार्रवाई निष्पक्षता के सटीक मानक से बहुत कम है जिसकी संविधान निम्नलिखित कारणों से मांग करता हैः

12. प्रतियोगियों के एक असामान्य रूप से बड़े निकाय को पछाड़ते हुए, प्रतिस्पर्धी शुल्क पर आधारित एक बोली, पहला प्रतिवादी जो अक्षय ऊर्जा (सौर ऊर्जा) में एक वैश्विक खिलाड़ी है, उस दर पर बोली लगाता है जो अपीलार्थी को बहुत स्वीकार्य थी और निवेश लगभग रु। 350 करोड़ रु.शुरुआत में एक अड़चन थी।इसके बाद की शर्तों में से एक यह थी कि पहले प्रतिवादी को परियोजना के लिए बिक्री विलेख के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करना था।ऐसी अपरिवर्तनीय बाधाएँ थीं जो पहले प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की ओर इंगित करने पर, अपीलार्थी ने वास्तविक कठिनाई को महसूस किया और अनुच्छेद में संशोधन किया। वास्तव में, इसका मतलब यह होगा कि 210 दिनों की अवधि समझौते की तारीख से नहीं बल्कि उसके बाद संशोधित अनुच्छेद

के आधार पर शुरू होगी।पहले उत्तरदाता ने परियोजना के भागों की खरीद और स्थापना के उद्देश्यों के लिए एक कंपनी की सेवाओं को नियुक्त किया।इसने अन्य बातों के साथ-साथ उन इन्वर्टरों को भी खरीदा था जिन्हें विदेश से स्थापित किया जाना था।चालान, लेडिंग बिल, लॉरी रसीद के रूप में अकाट्य दस्तावेज हैं जो पहले प्रतिवादी को अपने इस रुख में मजबूत करते हैं कि उसने सभी इन्वर्टर स्थापित किए थे।परियोजना 24 महीनों के भीतर अच्छी तरह से शुरू होने के लिए तैयार थी।यदि 07.07.2018 की समाप्ति की अनुमति दी जाती है, तो पहले प्रतिवादी को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में सम्मान में गिरावट के अलावा गंभीर वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ेगा।अनुबंध के तहत, पहले प्रतिवादी को 25 साल की अवधि के लिए सहमत दर पर बिजली बेचने के लिए बाध्य किया गया था।तथ्य यह है कि बाजार की ताकतों के खेल को देखते हुए, सौर ऊर्जा की कीमत में गिरावट आई है और यह अपीलार्थी के लिए सस्ती दर पर सौर ऊर्जा की खरीद के लिए खुला होगा, जिससे अपीलार्थी को अपने संविदात्मक दायित्वों से पीछे हटने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।वास्तव में, यह बताया गया है कि अपीलार्थी अब भी और भी अधिक दरों पर क्रय शक्ति प्राप्त कर रहा है।अनुच्छेद 12 के तहत राज्य होने के कारण, अपीलार्थी को वैकल्पिक उपचार के सिद्धांत के तहत आश्रय लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।इस न्यायालय को वर्ष 2015 में पी. पी. ए. की तारीख से शुरू होने वाली घटनाओं के कालक्रम की याद दिलाई जाती है।पहला प्रतिवादी दो मौकों पर उच्च न्यायालय के समक्ष सफल हुआ है।इस संबंध में वह इंगित करेंगे कि दिनांक 07.07.2018 के विवादित समाप्ति आदेश में, अपीलार्थी ने बाद की शर्तों को पूरा न करने से संबंधित बंद अध्याय को पुनर्जीवित करने का इरादा किया है।विवाद यह है कि ए में निर्णय से

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

19

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

पहली रिट याचिका में विवादित आदेश जो पहले प्रतिवादी द्वारा बाद की शर्तों को पूरा नहीं करने पर आधारित था, रद्द कर दिया गया था।यह अक्षय ऊर्जा के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले से प्रेरित होकर किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा भी अनुमोदन की मुहर मिल गई है।जहां तक कमीशन के समय पर न होने के बारे में एकमात्र अन्य पहलू की बात है, डॉ. सिंघवी ने दो प्रस्तुतियों को संबोधित किया।सबसे पहले, वह इंगित करेंगे कि स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी ने पी. पी. ए. के अनुच्छेद 9.1 में अनुध्यात समाप्ति-पूर्व सूचना जारी नहीं की है। यह निर्णय को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।दूसरा, समान रूप से महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी ने मनमाने ढंग से यह महसूस नहीं किया है कि पहले प्रतिवादी के पास परियोजना को चालू करने के लिए 24 महीने थे और उसी की समाप्ति से पहले, प्रतिवादी अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था।विद्वान वरिष्ठ वकील यह भी प्रस्तुत करेंगे कि तथ्य के विवादित प्रश्न होने का तर्क लाल हेरिंग पर आधारित है।इस संबंध में वह इंगित करेंगे कि 09.07.2017 पर, अपीलार्थी को निरीक्षण करने के लिए अपीलार्थी को पहले प्रतिवादी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था और वह परियोजना को चालू करने के लिए तैयार होगा और वह बिजली की आपूर्ति करने के लिए तैयार है।हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा 19.04.2018 तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।सी. ई. आई. जी. नामक सक्षम निकाय ने निरीक्षण किया था जो कुछ दिनों तक चला।निकाय पहले उत्तरदाता के अनुपालन से पूरी तरह से संतुष्ट था।सितंबर, 2017 में निरीक्षण के बाद जो कुछ हुआ वह यह था कि चूंकि पहले प्रतिवादी को समाप्ति के पहले आदेश दिनांक 11.08.2017 के साथ देखा गया था, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, इसलिए परियोजना स्थल के आसपास कर्मियों की कमी थी।इससे लगाए गए पुर्जों की चोरी करने में आसानी हुई।सितंबर 2017 में तुरंत दर्ज की गई एफ. आई. आर. में चोरी के मामले के बाद के विचार होने की संभावना से इनकार किया जाना चाहिए।ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा निरीक्षण बहुत बाद में 19.04.2018 पर किया गया था।यह आगे बताया गया है कि जहां तक कुछ व्युत्क्रमकों की संख्या में दोहराव का संबंध है, इसे पहले उत्तरदाता द्वारा

अप्रासंगिक के रूप में स्थापित किया गया है।ऐसे मामले में सी. ई. आई. जी. के निरीक्षण और रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।इसके अलावा, यह बताया गया है कि परियोजना की भारी लागत को ध्यान में रखते हुए, जो लगभग रु। 350 करोड़, जो शामिल है वह एक छोटा प्रतिशत है।इस संबंध में विद्वान वकील अनुच्छेद 9.1 के उल्लंघन पर जोर देंगे, जिसके तहत अपीलकर्ता पी. पी. ए. की तारीख से 24 महीने के भीतर परियोजना को चालू नहीं करने के लिए कथित विक्रेता के चूक के मामले में नोटिस देने के लिए बाध्य था। यदि ऐसी सूचना दी गई होती, तो पहले प्रत्यर्थी को एक अवसर मिलता यदि वह अपीलार्थी के इस तर्क के आधार पर भी आगे बढ़ता कि वह व्युत्क्रमकर्ताओं को प्राप्त करने के लिए मान्य है जो हैं -

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

पोर्टेबल और बाजार में उपलब्ध और समस्या का समाधान।जब परियोजना इस तरह से आगे बढ़ी है, तो उसे पहले उत्तरदाता को अपने श्रम के फल से वंचित करना पड़ा, इसे दिए गए एक गंभीर अनुबंध के तहत कार्य करना स्पष्ट रूप से अनुचित होगा। केवल यह तथ्य कि सौर ऊर्जा के बाजार मूल्य में गिरावट आई है, इस न्यायालय को यह पता लगाने के लिए राजी नहीं करना चाहिए कि कोई भारी जनहित नहीं है।इस संबंध में उन्होंने उपाध्यक्ष और मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले से भी समर्थन प्राप्त करने की मांग की।

प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र लिमिटेड के नगर और औद्योगिक विकास निगम और एक अन्य बनाम शिशिर रियल्टी पी. लिमिटेड और अन्य।

उन्होंने आगे बताया कि सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा और हरित ऊर्जा होने के कारण इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसी आधार पर पहले उत्तरदाता ने वैश्विक निविदा में भाग लिया और इसका चयन किया गया, क्योंकि यह बड़ी संख्या में बोली लगाने वालों में सबसे कम बोली लगाने वाला था।डॉ. सिंघवी इंगित करेंगे कि विभिन्न कारणों से विचाराधीन अनुबंध एक वैधानिक अनुबंध है।वह प्रस्तुत करेंगे कि कोई भी दर, चाहे वह सांविधिक अनुबंध हो या नहीं, यह निर्णय लेने में एक तथ्य है कि क्या रिट आवेदक को एक वैकल्पिक उपाय के लिए हटा दिया जाना चाहिए।अनुच्छेद 14 की प्रबल उपस्थिति में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में राज्य द्वारा मनमाने ढंग से कार्रवाई करने की शक्ति शामिल होगी, यहां तक कि एक गैर-सांविधिक अनुबंध में अधिकारों को लागू करने में भी।

ग

डी.

13. प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि अपीलार्थी के इस रुख का समर्थन करेंगे कि पहला प्रत्यर्थी अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन कर रहा था।यह पाँचवें प्रत्यर्थी का मामला है कि मौजूदा विनियमों के तहत विभिन्न कदम उठाए जाने हैं और उन्हें पूरा किया जाना है, जिसके पहले कमीशन की अनुमति दी जा सकती है।यह पाँचवें प्रत्यर्थी का मामला है कि इसलिए यह

नहीं कहा जा सकता है कि पहले प्रत्यर्थी ने विनियमों के अनुपालन में काम किया था और इसलिए यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि उसने परियोजना को चालू किया था।

ई.

च

14. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज प्रस्तुत करेंगे कि पहले दौर की मुकदमेबाजी में उच्च न्यायालय के फैसले ने अपीलार्थी को अनुबंध के तहत नई कार्यवाही करने के लिए खुला छोड़ दिया है।यह उक्त कारण है कि उक्त निर्णय को अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।वह किसी भी दर पर इस आधार पर भी इंगित करेगा कि उच्च न्यायालय किसी भी दर पर पहले के फैसले से बाध्य है, जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, यह इस मुद्दे पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा कि क्या पहले प्रतिवादी द्वारा अनुबंध के तहत बाद की शर्तों को पूरा करने के लिए विचार किए गए अधिकतम समय से अधिक 53 दिनों की स्वीकृत देरी होने के कारण, क्या अपीलकर्ता को न्यायसंगत ठहराया गया था।

जी.

एच.

21

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

अनुबंध को समाप्त करने के मामले में कर्तव्यबद्ध होना?उन्होंने आगे बताया कि पहले प्रतिवादी और अक्षय ऊर्जा के मामले में अंतर था।अक्षय ऊर्जा के मामले में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि वह इस प्रश्न पर निर्णय नहीं दे रहा है कि बाद की शर्तों को पूरा करने में देरी और इसके प्रभाव के बारे में।दूसरा, यह इंगित किया जाता है कि अक्षय ऊर्जा के मामले में, उक्त कंपनी ने आगे बढ़कर परियोजना को चालू कर दिया था और एकमात्र पहलू 16 दिनों की देरी थी, जबकि पहले प्रतिवादी के मामले में अनुबंध दोनों कारणों से समाप्त होने के लिए उत्तरदायी था कि बाद की शर्तों को अधिकतम समय के भीतर पूरा नहीं किया गया था और इस कारण से भी कि पहले प्रतिवादी ने अनुबंध के तहत प्रदान किए गए समय के भीतर परियोजना को चालू नहीं किया था।

ग

15. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि निम्नलिखित बिंदु हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं।

(1) क्या विचाराधीन पी. पी. ए. एक वैधानिक अनुबंध है?(2) किसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाले मामले में राज्य द्वारा कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का क्या दायरा है और अनुबंध के वैधानिक नहीं होने का क्या प्रभाव है?मनमानी क्या है?(3) संविदात्मक मामले में न्यायिक समीक्षा में सार्वजनिक कानून की अवधारणा क्या है?

डी.

ई.

(4) क्या विषय वस्तु के संबंध में कोई मध्यस्थता खंड है?

(5) क्या प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा बाद की शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर अनुबंध को समाप्त करने का दिनांकित 07.07.2018 का आदेश 20.06.2018 पर मुकदमे के पहले दौर में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ है?और क्या उक्त निर्णय अपीलार्थी को बाद की शर्तों को पूरा न करने के आधार पर अनुबंध को समाप्त करने से रोक देगा?

च

(6) क्या रिट याचिका को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि मामले में तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल हैं?

जी.

(7) क्या पहले उत्तरदाता का मामला अक्षय ऊर्जा के बराबर है?

एच.

(8) पी. पी. ए. के अनुच्छेद 9.1 का पालन न करने का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात्, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.07.2018 की आक्षेपित समाप्ति जारी करने से पहले उसमें विचारित सूचना जारी न करने का प्रभाव?

(9) संविदात्मक मामले में न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में भारी जनहित क्या है?क्या यह अवधारणा केवल उन मामलों में लागू होती है जिनमें राज्य द्वारा अनुदान देने को चुनौती दी जाती है या क्या यह अनुबंध के संबंध में मामला उत्पन्न होने के किसी भी स्तर पर बोर्ड में लागू होती है?

(10) क्या इस न्यायालय को तथ्यों की समग्रता में उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करना चाहिए?

ग

16. इससे पहले कि हम इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें कि क्या शामिल है एक वैधानिक अनुबंध है या नहीं, हम निम्नलिखित प्रारंभिक टिप्पणी कर सकते हैंः

डी.

संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत, संघ और प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी उद्देश्य के लिए अनुबंध करने तक फैली हुई है।अनुच्छेद 299 उस तरीके का प्रावधान करता है जिसमें संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए अनुबंध किए जाने हैं।

ई.

17. इस मामले में, हम ऐसे मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं जहां राज्य द्वारा अनुच्छेद 298 के अर्थ के भीतर अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अनुबंध किया गया है।पी. पी. ए. एक अनुबंध है जो अपीलार्थी द्वारा किया गया है, जो एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है।यह अभिनिर्धारित करना एक बात है कि अपीलार्थी, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए राज्य होगा और यह पता लगाने के लिए कि एक अनुबंध वह है जो संविधान के अनुच्छेद 162 के अर्थ के भीतर राज्य की कार्यकारी शक्ति में किया गया है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162 के संयोजन में क्रमशः संघ या राज्य की शक्ति पर विचार किया जाता है।दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 298 के उद्देश्य के लिए, संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य की व्यापक अवधारणा, जिसमें कोई संदेह नहीं है, अपीलार्थी शामिल होगा, अप्रासंगिक और अप्रयोज्य है।अपीलार्थी, एक कंपनी होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 162 में अनुध्यात कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा, जो केंद्र या राज्य सरकारों के पास शक्ति है।इस संबंध में हम ए

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 298 का वर्तमान अवतार 1956 में मूल संस्करण को प्रतिस्थापित करके पैदा हुआ है और वर्तमान संस्करण इस प्रकार हैः- "298. व्यापार आदि करने की शक्ति। संघ और प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने और संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान और किसी भी उद्देश्य के लिए अनुबंध करने तक होगाःबशर्ते कि -

(क) संघ की उक्त कार्यकारी शक्ति, जहां तक ऐसा व्यापार या व्यवसाय या ऐसा उद्देश्य वह नहीं है जिसके संबंध में संसद कानून बना सकती है, प्रत्येक राज्य में राज्य द्वारा विधान के अधीन होगी; और

ग

(ख) प्रत्येक राज्य की उक्त कार्यकारी शक्ति, जहां तक ऐसा व्यापार या व्यवसाय या ऐसा उद्देश्य वह नहीं है जिसके संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बना सके, संसद द्वारा विधान के अधीन होगी।"

डी.

उद्देश्यों और कारणों पर ध्यान देना उचित है।"खंड 19.-इस खंड में अनुच्छेद 298 के दायरे को संशोधित करने और बढ़ाने का प्रस्ताव है, मुख्य रूप से यह स्पष्ट करने के लिए कि केंद्र सरकार, साथ ही राज्य सरकारें, किसी भी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम को चलाने के लिए सक्षम हैं, चाहे वह संघ या, जैसा भी मामला हो, राज्य की विधायी क्षमता के भीतर किसी मामले से संबंधित हो या नहीं।इसी तरह, संघ या किसी राज्य द्वारा संपत्ति का धारण, अधिग्रहण और निपटान और अनुबंध बनाना संवैधानिक अनुचितता के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता है।साथ ही, संशोधित अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्यों की यह विस्तारित कार्यकारी शक्ति, पहले मामले में, राज्य द्वारा विधान के अधीन होगी, और बाद के मामले में, संसद द्वारा विधान के अधीन होगी।"

ई.

च

पी. पी. ए. एक सांविधानिक अनुबंध है?

18. वैधानिक अनुबंध की अवधारणा की ओर बढ़ते हुए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने, निस्संदेह, केरल एस. ई. बी. में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय से काफी समर्थन प्राप्त करने की मांग की और

जी.

एक अन्य बनाम कुरियन ई. कलाथिल और अन्य 4.वह एक मामला था, जो

एक ठेकेदार द्वारा दायर एक रिट याचिका, जिसे सम्मानित किया गया था

4 (2000) 6 एससीसी 293

एच.

एक बांध के निर्माण का काम, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के लिए दावा करना, जिसके बारे में ठेकेदार ने दावा किया था कि उसने अपने श्रमिकों को भुगतान किया था।इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि कर्मचारी अधिसूचना के तहत बढ़े हुए वेतन के हकदार थे।हालाँकि, अपीलकर्ता-बोर्ड ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-ठेकेदार श्रमिकों को बढ़े हुए वेतन के भुगतान को साबित करने में विफल रहा है।उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और इस न्यायालय ने निर्णय को दरकिनार करते हुए निम्नलिखित बयान दिया:

"10. हम पाते हैं कि श्री रावल के पहले विवाद में एक योग्यता है।विद्वान वकील ने रिट याचिका की स्थिरता पर सही सवाल उठाया है।किसी अनुबंध में किसी खंड की व्याख्या और कार्यान्वयन रिट याचिका का विषय नहीं हो सकता है।अनुबंध में वास्तविक भुगतान की परिकल्पना की गई है या नहीं, यह अनुबंध के निर्माण का सवाल है।यदि किसी अनुबंध की अवधि का उल्लंघन किया जाता है, तो आमतौर पर उपचार अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका नहीं है।हम उच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों से भी सहमत नहीं हैं कि ठेकेदार एक वैधानिक अनुबंध को लागू करने की मांग कर रहा था।एक अनुबंध केवल इसलिए वैधानिक नहीं होगा क्योंकि यह एक सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण के लिए है और इसे एक वैधानिक निकाय द्वारा प्रदान किया गया है।हम उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी से भी सहमत नहीं हैं कि चूंकि अनुबंध पक्षकारों पर अनुबंध द्वारा लगाए गए दायित्व अनुबंध अधिनियम के दायरे में आते हैं, इसलिए यह अनुबंध को वैधानिक नहीं बनाएगा।स्पष्ट रूप से, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में त्रुटि में पड़ गया कि विचाराधीन अनुबंध वैधानिक प्रकृति का था।

ग

डी.

ई.

11. एक कानून स्पष्ट रूप से या निहित रूप से एक वैधानिक निकाय को अनुबंध करने की शक्ति प्रदान कर सकता है ताकि वह अपने कार्यों का निर्वहन कर सके।ऐसे अनुबंधों की शर्तों या कथित उल्लंघनों से उत्पन्न होने वाले विवाद का निपटारा अनुबंध के कानून के सामान्य सिद्धांतों द्वारा किया जाना चाहिए।यह तथ्य कि समझौते का एक पक्ष एक सांविधिक या सार्वजनिक निकाय है, अपने आप में लागू किए जाने वाले सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेगा।किसी अनुबंध में वाचा के अर्थ या उसकी प्रवर्तनीयता के बारे में विवादों का निर्धारण अनुबंध अधिनियम के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। एक सांविधिक निकाय के प्रत्येक कार्य में आवश्यक रूप से सांविधिक शक्ति का प्रयोग शामिल नहीं है।निजी पक्षों की तरह सांविधिक निकायों के पास संपत्ति का अनुबंध करने या उससे निपटने की शक्ति होती है।इस तरह की गतिविधियाँ ए को नहीं बढ़ा सकती हैं

च

जी.

एच.

25

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

सार्वजनिक कानून का कोई भी मुद्दा।वर्तमान मामले में, यह नहीं दिखाया गया है कि अनुबंध कैसे वैधानिक है।पक्षों के बीच अनुबंध निजी कानून के दायरे में है।यह कोई वैधानिक अनुबंध नहीं है।इस तरह के अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या से संबंधित विवादों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में उत्तेजित नहीं किया जा सकता था।यह एक दीवानी अदालत द्वारा या मध्यस्थता में निर्णय के लिए एक मामला है यदि अनुबंध में प्रदान किया गया है।क्या कोई राशि देय है और यदि है, तो कितना और अपीलार्थी द्वारा इसका भुगतान करने से इनकार करना उचित है या नहीं, ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें रिट याचिका में उत्तेजित किया जा सकता था और निर्णय लिया जा सकता था।ठेकेदार को अन्य उपायों को अपनाना चाहिए था।"19. कानूनी अनुबंध क्या है, इस पर पहले विचार किया जा चुका है।

ग

इस न्यायालय ने इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड बनाम में रिपोर्ट किए गए मामले में।की स्थिति

एम. पी. और अन्य 5.संयोग से, यह मध्य प्रदेश राज्य से निकलने वाली बिजली के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति से संबंधित था।जब बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए संभावित निजी निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के आधार पर प्रतिवादी-राज्य, बिजली बोर्ड और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के बीच बातचीत चल रही थी, केंद्र सरकार ने पहले की शुल्क अधिसूचना में संशोधन किया।विद्युत बोर्ड ने उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया, जो कम से कम शुल्क की पेशकश करती थीं।अपीलार्थी-स्वतंत्र बिजली उत्पादक ने एक रिट याचिका में उक्त निर्णय को चुनौती दी।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें अपीलार्थी द्वारा समझौता ज्ञापन और बिजली खरीद समझौता किया गया था।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि इसमें पी. पी. ए. वैधानिक अनुबंध थे, जो विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 43 और 43 (ए) के तहत किए गए थे।इस न्यायालय ने इस पहलू पर विचार करते हुए और इस तर्क को खारिज करते हुए कि विद्युत बोर्ड एकतरफा रूप से अनुबंध की शर्तों में बदलाव नहीं कर सकता है और बोलियां आमंत्रित नहीं कर सकता है, निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

ई.

च

"11. अपीलार्थी जी**.** बी**.** एल**.** की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कूपर और अन्य अपीलार्थियों की ओर से पेश कुछ वकीलों ने भी तर्क दिया कि अपीलार्थी**/**आई**.** पी**.** पी**.** ने बिजली आपूर्ति अधिनियम की धारा **43** और **43-**ए के तहत पी**.** पी**.** ए**.** किए थे और इस तरह वे वैधानिक अनुबंध हैं और इसलिए**,** एम**.** पी**.** ई**.** बी**.** के पास अपने नियमों और शर्तों को बदलने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं था।**.....**

जी.

5 (2000) 3 एस. सी. सी. 379

एच.

26 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

..... केवल इसलिए कि एक अनुबंध एक क़ानून द्वारा प्रदत्त एक सक्षम शक्ति के प्रयोग में किया जाता है जो स्वयं अनुबंध को एक वैधानिक अनुबंध नहीं बना सकता है।यदि कानून के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों वाले अनुबंध में प्रवेश करना आवश्यक है तो वह अनुबंध एक वैधानिक अनुबंध बन जाता है।यदि किसी अनुबंध में कुछ नियम और शर्तें शामिल हैं जो वैधानिक हैं तो उस हद तक उक्त अनुबंध वैधानिक है।एक अनुबंध में कुछ अन्य नियम और शर्तें हो सकती हैं जो एक वैधानिक चरित्र के नहीं हो सकते हैं और जिन्हें पार्टियों के बीच आपसी समझौते के परिणामस्वरूप इसमें शामिल किया गया है।इसलिए**,** पी**.** पी**.** ए**.** को केवल इस हद तक वैधानिक माना जा सकता है कि उनमें शुल्क के निर्धारण और धारा **43-**ए **(2)** की अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के संबंध में प्रावधान हों।एस्क्रो खाता या एस्क्रो समझौते को खोलना और बनाए रखना वैधानिक आवश्यकताएं नहीं हैं और इसलिए**,** केवल इसलिए कि पी**.** पी**.** ए**.** एस्क्रो खातों को बनाए रखने पर विचार करते हैं कि दायित्व को वैधानिक नहीं माना जा सकता है।"

ग

डी.

(बल दिया गया**)**

20. इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय,

वैधानिक अनुबंध की अवधारणा के साथ, 1976 के यू. पी. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम की धारा 6 ए के आलोक में विचार किया जाने लगा।उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

ई.

"6A. किसी व्यक्ति को आधारभूत संरचना या सुविधाएं प्रदान करने और कर या शुल्क एकत्र करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति।**-** इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन**,** जो विनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं**,** प्राधिकरण समझौते द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं को प्रदान करने या बनाए रखने या बनाए रखने या बनाए रखने के लिए अधिकृत कर सकता है और इसके लिए**,** जैसा भी मामला हो**,** कर या शुल्क एकत्र कर सकता है।"

च

जी.

21. यह न्यायालय धारा के तहत किए गए अनुबंध की व्याख्या कर रहा है

6 जेपी केन्सिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य 6 में ए ने यह विचार रखा कि

एच.

6 (2022) 1 एससीसी 401 ए

27

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

विचाराधीन समझौते ने केवल धारा 6 ए के तहत शक्ति के संदर्भ में निष्पादित होने के लिए एक वैधानिक अनुबंध का दर्जा प्राप्त नहीं किया था।

22. प्रत्यर्थी का तर्क है कि पी. पी. ए. एक सांविधिक अनुबंध है क्योंकि इसमें अधिनियम की धारा 63 के तहत एम. एन. आर. ई. द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा संसाधनों पर आधारित ग्रिड से जुड़ी बिजली परियोजना के लिए शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों के तहत बोली के माध्यम से निर्धारित शुल्क (पैराग्राफ-4.7-CUF, पैराग्राफ-4.4-change कानून में, पैराग्राफ-4.5-payment सुरक्षा, पैराग्राफ-4.6-and बोली प्रक्रिया, पैराग्राफ-5.4 और 5.5-prescribed) जैसी आवश्यक विशेषताएं शामिल हैं।23. प्रत्यर्थी इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड (उपरोक्त) पर यह तर्क देने के लिए निर्भर करता है कि यदि अनुबंध में कुछ वैधानिक नियम और शर्तें शामिल हैं, तो यह वैधानिक है।

ग

24. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 इस प्रकार हैः"63 (बोली प्रक्रिया द्वारा शुल्क का निर्धारण) धारा 62 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उपयुक्त आयोग शुल्क को अपनाएगा, यदि ऐसा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।"

डी.

25. विचाराधीन पी. पी. ए. में, परिभाषा खंड (अनुच्छेद 1) के तहत, बोली लगाने के दिशानिर्देशों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

ई.

“बोली लगाने के दिशा-निर्देशों का अर्थ होगा "अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्रिड से जुड़ी बिजली परियोजनाओं के लिए शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश" जो भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बिजली अधिनियम की धारा-63 के तहत दिसंबर, 2012 को जारी किए गए थे और समय-समय पर संशोधित किए गए थे।

च

26. हमारा विचार है कि पी. पी. ए. को सांविधिक अनुबंध के रूप में वर्णित करना उचित नहीं हो सकता है।विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 को तत्काल पूर्ववर्ती प्रावधान की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए।, धारा 62, पूर्ववर्ती शासन से एक आदर्श बदलाव में, शुल्क निर्धारित करने का कार्य उपयुक्त आयोग को सौंपा गया है।धारा 62 प्रक्रिया को इंगित करती है।दूसरी ओर, धारा 63 आयोग को बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क को अपनाने के लिए मजबूर करती है। हालांकि, बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

जी.

एच.

इस प्रकार, धारा 62 के तहत शुल्क को अपनाने के उद्देश्य से धारा 63 के तहत निर्धारित शुल्क को लागू करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश प्रासंगिक हो जाते हैं।यह सच है कि पी. पी. ए. में धारा 63 के तहत बनाए गए दिशानिर्देशों का संदर्भ है। हालांकि, यह बोली लगाने के उद्देश्य से है कि दिशानिर्देश प्रासंगिक हो जाएगा।यह कि बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार शुल्क तय किया गया है, जो धारा 63 के तहत दिशानिर्देशों के अनुरूप है, पी. पी. ए. को सांविधिक अनुबंध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड (ऊपर) में जो विचार किया गया है, वह यह है कि एक अनुबंध जिसमें निर्धारित नियम और शर्तें हैं जो क़ानून के तहत अनिवार्य हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध एक सांविधिक अनुबंध बन जाता है। यदि यह परीक्षण लागू किया जाता है, तो हम यह देखने में विफल रहते हैं कि बोली दिशानिर्देशों के संदर्भ, जिसके तहत बोलियां की गई थीं और अंत में पी. पी. ए. में प्रवेश किया गया था, को यह कहने के समान माना जा सकता है कि पी. पी. ए. में एक क़ानून के अनिवार्य हिस्से के रूप में निर्धारित वैधानिक नियम और शर्तें शामिल हैं।हमें यह भी नहीं दिखाया गया है कि पी. पी. ए. को वैधानिक प्रकृति के नियम और शर्तों के रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है।अभिव्यक्ति 'नियम और शर्तें', जो प्रकृति में वैधानिक हैं, को उन वैधानिक नियमों और शर्तों के रूप में समझा जाना चाहिए, जो अनुबंध करने वाले पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के लिए प्रदान करते हैं।पी. पी. ए. में इसकी अनुपस्थिति के कारण इस तरह का संदर्भ स्पष्ट है। यह आम मामला है कि अपीलार्थी को कंपनी अधिनियम के तहत शामिल किया जाता है। यह कोई वैधानिक निकाय या निगम नहीं है।इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम अनुबंध को सांविधिक अनुबंध के रूप में वर्णित नहीं कर सकते।हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पी. पी. ए. या तो मूल अधिनियम या अधीनस्थ विधान के रूप में वैधानिक आदेश के कथित अनुपालन में नहीं बनाया गया है। पी. पी. ए. के नियम और शर्तें किसी भी सांविधिक प्रावधान से पी. पी. ए. में प्रत्यारोपित नहीं की जाती हैं।अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 और अन्यथा कानून के तहत राज्य की एक साधन के रूप में अपनी स्थिति के अधीन, किसी भी अन्य संविदाकारी पक्ष के रूप में स्वतंत्र होगा।इसके अलावा, वे शर्तें, जो हमारे समक्ष आई. एस. के लिए प्रासंगिक हैं, अर्थात्, बाद की शर्त की पूर्ति से संबंधित लेख और चालू करने, विक्रेताओं के चूक और समाप्ति की शक्ति से संबंधित प्रावधान, प्रकृति में वैधानिक नहीं हैं।

ग

डी.

ई.

च

जी.

किसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाले मामले में राज्य द्वारा कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का क्या दायरा है और अनुबंध के वैधानिक नहीं होने का क्या प्रभाव है**?**

एच.

29

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

संविदात्मक मामले में न्यायिक समीक्षा में सार्वजनिक कानून की अवधारणा क्या है**?**

'मनमाना**'** कार्रवाई क्या है**?**

27. राधाकृष्ण अग्रवाल और ओआरएस. वी.बिहार राज्य और

ओआरएस। पट्टा के तहत रॉयल्टी की दर को संशोधित करने के राज्य सरकार के आदेशों के खिलाफ 7 रिट याचिकाएं दायर की गईं।यह विवाद पट्टे की अवधि के दौरान रॉयल्टी की दर में संशोधन और विभिन्न आधारों पर पट्टे को रद्द करने दोनों के खिलाफ था।यद्यपि इस न्यायालय के निर्णय से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया था एरसियन में

उपकरण और रसायन लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 8, न्यायालय

उन्होंने यह विचार रखा कि उक्त मामले में सीमा पर या यह तय करते समय भेदभाव शामिल है कि क्या सरकार को अनुबंध में प्रवेश करना चाहिए।न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि ऐसे मामलों में सामान्य रूप से जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या शिकायत की गई कार्रवाई समझौते के अनुरूप थी।हम इस न्यायालय के पहले के विचारों पर ध्यान दे सकते हैं जिन पर निम्नलिखित कथन में विचार किया गया है:"हमें नहीं लगता कि इनमें से कोई भी मामला अपीलार्थियों की सहायता कर सकता है या बिल्कुल भी प्रासंगिक है।इनमें से कोई भी मामला यह नहीं बताता है कि जब राज्य या उसके अधिकारी संविदात्मक क्षेत्र के भीतर काम करने का इरादा रखते हैं और नागरिक की एकमात्र शिकायत यह हो सकती है कि शिकायत की गई कार्रवाई से पक्षों के बीच अनुबंध तोड़ा गया है, तो उचित उपाय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका के माध्यम से है, न कि एक सामान्य मुकदमे के माध्यम से।इस तरह के किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ प्राधिकार की एक दुर्जेय श्रृंखला है।लेखराज में

ग

डी.

ई.

सत्रमदास लालवानी बनाम N.M.Shah, उप अभिरक्षक-सह-प्रबंध अधिकारी, बॉम्बे (ऊपर) इस न्यायालय ने कहाः

च

"हमारी राय में लोक सेवक के रूप में उसके द्वारा किए गए अनुबंध से किसी भी कर्तव्य या दायित्व को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट के तंत्र द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।"

बंचनीधि रथ बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में। 9, इस न्यायालय ने घोषणा कीः

जी.

"यदि किसी अनुबंध के संदर्भ में किसी अधिकार का दावा किया जाता है तो इस तरह के अधिकार को रिट याचिका में लागू नहीं किया जा सकता है।"

7 (1977) 3 एससीसी 457 8 (1975) 1 एससीसी 70 9 (1972) 4 एससीसी 781

एच.

30 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

हर शंकर और ओआरएस बनाम।दि. उत्पाद शुल्क और कराधान

कॉम.और ओआरएस। 10, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहाः“अपीलार्थियों ने अमान्य परिस्थितियों के लिए अपनी खोज में सरलता प्रदर्शित की है, लेकिन एक रिट याचिका संविदात्मक दायित्वों के महाभियोग के लिए एक उचित उपाय नहीं है।"

28. न्यायालय ने यह भी विचार रखा कि "सही दृष्टिकोण यह है कि यह अनुबंध है न कि संविधान द्वारा विनियमित कार्यकारी शक्ति जो हमारे समक्ष मामले में स्पष्ट तथ्यों पर पक्षों के संबंधों को नियंत्रित करती है।"इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि हमारे समक्ष अपीलों की नियति राधाकृष्ण अग्रवाल (उपरोक्त) में निर्धारित कानून द्वारा शासित होनी चाहिए।हालाँकि, जैसा कि वर्तमान में देखा जाएगा कि कानून अभी भी स्थिर नहीं है।

ग

29. रमण दयराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

भारतीय प्राधिकरण 11 इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः“10. अब, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि निर्धारित सूचना का जो पैरा (1) था वह पात्रता की एक शर्त थी जिसे निविदा जमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक था।पात्रता की शर्त यह थी कि निविदा जमा करने वाला व्यक्ति पंजीकृत द्वितीय श्रेणी के होटल या रेस्तरां का संचालन या संचालन कर रहा होना चाहिए और उसके पास कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए और यदि वह पात्रता की इस शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी निविदा विचार के लिए पात्र नहीं होगी।यह उत्तरदाता 1 द्वारा निर्धारित पात्रता का मानक या मानक था और चूंकि उत्तरदाता 4 इस मानक या मानदंड को पूरा नहीं करते थे, इसलिए उत्तरदाता 1 के लिए यह सक्षम नहीं था कि वह उत्तरदाता 4 की निविदा पर विचार करे।यह प्रशासनिक कानून का एक सुव्यवस्थित नियम है कि एक कार्यकारी प्राधिकरण को उन मानकों का सख्ती से पालन करना चाहिए जिनके द्वारा वह अपने कार्यों का न्याय करने का दावा करता है और उसे उनके उल्लंघन में किसी कार्य के अमान्य होने के दर्द पर उन मानकों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।इस नियम का प्रतिपादन श्री न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने विटेरल्ली बनाम सैटन [359 यू. एस. 535:लॉ एड (दूसरी श्रृंखला) 1012] जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने कहाः

डी.

ई.

च

जी.

“एक कार्यकारी एजेंसी को उन मानकों का सख्ती से पालन करना चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी कार्रवाई का न्याय करने का दावा करती है।... तदनुसार, यदि नौकरी से बर्खास्तगी एक परिभाषित प्रक्रिया पर आधारित है, तो भी

10 (1975) 1 एससीसी 737 11 (1979) 3 एससीसी 489 ए

एच.

31

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

यद्यपि ऐसी एजेंसी को बाध्य करने वाली आवश्यकताओं से परे उदारता, उस प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। प्रशासनिक कानून का यह न्यायिक रूप से विकसित नियम अब दृढ़ता से स्थापित हो गया है और, यदि मैं जोड़ सकता हूं, तो यह सही है।जो प्रक्रियात्मक तलवार लेता है वह तलवार से नष्ट हो जाएगा।"

इस न्यायालय ने ए. एस. अहलूवालिया बनाम पंजाब [(1975) 3 एस. सी. सी. 503,504:1975 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 27:(1975) 3 एस. सी. आर. 82] और बाद में सुखदेव बनाम भगतराम [(1975) 1 एस. सी. सी. 421,462 में दिए गए निर्णय में:1975 एससीसी (एल एंड एस) 101:(1975) 3 एस. सी. आर. 619], मैथ्यू, जे. ने श्री जस्टिस फ्रैंकफर्टर की उपरोक्त टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया।यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह नियम, हालांकि अनुच्छेद 14 से उत्पन्न होने के रूप में भी समर्थित है, केवल उस लेख पर आधारित नहीं है।अनुच्छेद 14 के अलावा इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है।यह प्रशासनिक कानून का एक नियम है जिसे न्यायिक रूप से कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा मनमाने ढंग से शक्ति के प्रयोग के खिलाफ एक जांच के रूप में विकसित किया गया है।यदि हम श्री न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर के फैसले की ओर मुड़ते हैं और इसकी जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के समानता खंड से नियम के लिए समर्थन प्राप्त करने की मांग नहीं की है, बल्कि इसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कानून के नियम के रूप में विकसित किया है। इंग्लैंड में भी, प्रशासनिक कानून में हालिया प्रवृत्ति उस दिशा में है जैसा कि प्रोफेसर वेड के "प्रशासनिक कानून", चौथे संस्करण में पीपी 540-41 में कहा गया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें अपने लगातार बढ़ते प्रशासनिक कानून के हिस्से के रूप में इस नियम को अपनाने में संकोच करना चाहिए।आज कल्याण और समाज सेवा कार्यों के जबरदस्त विस्तार, भौतिक और आर्थिक संसाधनों पर बढ़ते नियंत्रण और राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों की धारणा के साथ, लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए कार्यकारी सरकार की शक्ति लगातार बढ़ रही है।सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्राप्ति राज्य की नीति का एक सचेत अंत होने के कारण, उस आवृत्ति में एक विशाल और अपरिहार्य वृद्धि हुई है जिसके साथ आम नागरिक राज्य के सत्ताधारियों के साथ सीधे मुठभेड़ के संबंध में आते हैं।इससे कार्यकारी सरकार की शक्ति को संरचित और प्रतिबंधित करना आवश्यक हो जाता है ताकि इसके मनमाने ढंग से लागू होने या प्रयोग को रोका जा सके।कानून के शासन की अवधारणा चाहे जो भी हो, चाहे वह डाइस द्वारा अपने "द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन" में दिया गया अर्थ हो या हायेक द्वारा दी गई परिभाषा।

ग

डी.

ई.

च

जी.

उनके "दासता का मार्ग" और "स्वतंत्रता का संविधान" में या

हैरी जोन्स ने अपनी पुस्तक 'द रूल ऑफ लॉ एंड

एच.

जैसा कि मैथ्यू, जे. ने "कल्याणकारी राज्य, कानून का शासन और प्राकृतिक न्याय" पर अपने लेख में बताया है।

"लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता" में [उपेंद्र बख्शी, एड।

ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ (1978) पी।28] "न्यायिक विचार में पर्याप्त सहमति है कि कानून के शासन की धारणा का महान उद्देश्य शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ व्यक्ति की सुरक्षा है, जहां भी यह पाया जाता है।यह वास्तव में अकल्पनीय है कि कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में कार्यकारी सरकार या उसके किसी भी अधिकारी के पास व्यक्ति के हितों पर मनमानी शक्ति होनी चाहिए।कार्यकारी सरकार की प्रत्येक कार्रवाई को कारण के साथ सूचित किया जाना चाहिए और मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए।यही कानून के शासन का सार है और इसकी न्यूनतम आवश्यकता है।और इस सिद्धांत को लागू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शक्ति के प्रयोग में किसी अधिकार का प्रभाव या किसी विशेषाधिकार का खंडन शामिल है या नहीं।"

ग

इस मामले में राज्य द्वारा उदारता के पुरस्कार के स्तर पर मनमानेपन के मुद्दे पर विचार किया गया था, लेकिन इसने कानून के इस क्षेत्र में भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

डी.

30. इसमें कोई संदेह नहीं है कि बरेली विकास प्राधिकरण और एक अन्य

उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम, 1973 के तहत गठित अपीलकर्ता-प्राधिकरण ने घर/फ्लैट खरीदने के इच्छुक आवेदकों के नाम पंजीकृत करने के लिए विज्ञापन जारी किया।नियमों और शर्तों को संशोधित करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्णय दियाः

ई.

"22. ऐसे निर्णयों की एक पंक्ति है जिसमें राज्य और पीड़ित व्यक्तियों के बीच किया गया अनुबंध गैर-सांविधिक और विशुद्ध रूप से संविदात्मक है और अधिकार केवल अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई रिट या आदेश जारी नहीं किया जा सकता है ताकि अधिकारियों को शुद्ध और सरल अनुबंध के उल्लंघन को ठीक करने के लिए मजबूर किया जा सके-राधाकृष्ण अग्रवाल बनाम बिहार राज्य ((1977) 3 एस. सी. सी. 457:(1977) 3 एससीआर

च

249], प्रेमजी भाई परमार बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण

जी.

[(1980) 2 एससीसी 129:(1980) 2 एस. सी. आर. 704] और डी. एफ. ओ. बनाम विश्वनाथ टी कंपनी लिमिटेड [(1981) 3 एस. सी. सी. 238:(1981) 3 एससीआर 662] "

31. महाबीर ऑटो स्टोर और अन्य बनाम इंडियन ऑयल

निगम और अन्य 13, अपीलार्थी ने शिकायत की कि प्रतिवादी,

12 (1989) 2 एससीसी 116 13 (1990) 3 एससीसी 752 ए

एच.

33

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

जो कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक कंपनी थी, वह अपीलार्थी के साथ सौदा करने से इनकार कर रही थी या बंद कर रही थी, जो लगभग अठारह वर्षों से प्रतिवादी के साथ काम कर रहा था।हम इस न्यायालय द्वारा कहे गए निम्नलिखित शब्दों को सुनते हैंः

“12. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि राज्य की प्रत्येक कार्रवाई या अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य के किसी भी साधन को कारण से सूचित किया जाना चाहिए।उचित मामलों में, कारण से अनजान कार्यों को संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में मनमाना माना जा सकता है।इस संबंध में राधा कृष्ण अग्रवाल बनाम बिहार राज्य [(1977) 3 एस. सी. सी. 457] मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया जा सकता है।शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिवादी कंपनी आई. ओ. सी. राज्य का एक अंग या राज्य का एक साधन है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत विचार किया गया है।राज्य अलग-अलग दलों के साथ अनुबंध करने या न करने में संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत अपनी कार्यकारी शक्ति में कार्य करता है।संविधान का अनुच्छेद 14 उन शक्तियों के प्रयोगों पर लागू होगा।इसलिए, अनुच्छेद 14 के तहत राज्य निकाय की कार्रवाई की जांच की जा सकती है।पी. पर राधा कृष्ण अग्रवाल बनाम बिहार राज्य [(1977) 3 एस. सी. सी. 457] देखें।462, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 को अनुबंध किए जाने के बाद राज्य की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिए एक चार्टर के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही ऐसा किया गया है, ताकि राज्य को इस तरह के कार्यों के कारण बताते हुए अपनी कई गतिविधियों में अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके।इस प्रकृति की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का गठन करने वाली प्रत्यर्थी कंपनी की कुछ गतिविधियाँ कुछ परिस्थितियों में अनुबंध करने या न करने में संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन हो सकती हैं और उचित होनी चाहिए और केवल वैध और प्रासंगिक विचार पर ली जानी चाहिए; यह किसी विशेष लेनदेन के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि क्या सुनवाई आवश्यक है और कारण बताए जाने चाहिए।यदि नागरिकों को प्रदान किए गए किसी भी अधिकार में हस्तक्षेप करने की मांग की जाती है, तो ऐसी कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन है, और उचित होनी चाहिए और केवल जनहित के वैध और प्रासंगिक आधारों पर ही की जा सकती है।जहां इस प्रकार के अनुबंधों में प्रवेश करने या न करने की राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन है, अनुच्छेद 14 सामने आता है और न्यायिक समीक्षा ऐसी कार्रवाई को खारिज कर देती है।राज्य कार्यकारी प्राधिकरण की प्रत्येक कार्रवाई कानून के शासन के अधीन होनी चाहिए और

कारण से सूचित किया जाना चाहिए।इसलिए, इस तरह के एकाधिकार या अर्ध-एकाधिकार लेनदेन में सार्वजनिक प्राधिकरण की गतिविधि जो भी हो, उसे संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।यदि अनुबंध करने या न करने के मामलों में भी कोई सरकारी कार्रवाई, तर्कसंगतता की कसौटी को पूरा करने में विफल रहती है, तो यह अनुचित होगा।इस संबंध में ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य [(1974) 4 एस. सी. सी. 3:1974 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 165], मेनका गांधी बनाम भारत संघ [(1978) 1 एस. सी. सी. 248], अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी [(1981) 1 एस. सी. सी. 722:1981 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 258], आर. डी. शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण [(1979) 3 एस. सी. सी. 489] और साथ ही द्वारकादास मारफतिया एंड संस बनाम बॉम्बे बंदरगाह के न्यासी मंडल [(1989) 3 एस. सी. सी. 293]।हमें ऐसा लगता है कि मनमानेपन और भेदभाव के खिलाफ तर्क और शासन का नियम, निष्पक्ष खेल के नियम और प्राकृतिक न्याय वर्तमान जैसी स्थिति में नागरिकों के साथ व्यवहार करने में स्थिति या राज्य साधन द्वारा कार्रवाई में लागू कानून के शासन का हिस्सा हैं।भले ही नागरिकों के अधिकार संविदात्मक अधिकारों की प्रकृति में हों, लेकिन किसी अनुबंध में प्रवेश करने या न करने के निर्णय का तरीका, तरीका और उद्देश्य, प्रासंगिकता और तर्कसंगतता,

निष्पक्षता, प्राकृतिक न्याय, समानता और लेन-देन के प्रकार और व्यवहार की प्रकृति में गैर-भेदभाव की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं जैसा कि वर्तमान मामले में है।

ग

डी.

ई.

17. हमारी राय है कि ऐसे सभी मामलों में चाहे सार्वजनिक कानून या निजी कानून के अधिकार शामिल हों, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।अधिकारों और उपचारों के बीच के द्वंद्व को किसी भी स्ट्रैट-जैकेट सूत्र से मिटाया नहीं जा सकता है।प्रत्येक विशेष मामले में इसकी जांच की जानी चाहिए।श्री साल्वे ने आग्रह किया कि इस तरह की "शक्ति" के मनमाने प्रयोग के अनुच्छेद 14 के तहत कुछ मामले हैं और किसी अनुबंध के तहत या कानून के तहत उत्पन्न होने वाले "अधिकार" के प्रयोग के मामले नहीं हैं।हमारी राय है कि यह तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करेगा।

च

18. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और विवादों की प्रकृति और पक्षों के बीच व्यवहार पर विचार करने के बाद और कानून की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमारी राय है कि संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत राज्य/सार्वजनिक प्राधिकरण का निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय है और इस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है कि निर्णय मनमाना या उल्लंघनकारी है।

जी.

एच.

35

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

सार्वजनिक विधि क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का।यह सच है कि शक्ति और अधिकार के बीच भेदभाव होता है, लेकिन क्या राज्य या किसी राज्य के साधन को सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है, यह एक ऐसा मामला है, जो हमारी राय में, स्थिति के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन शक्ति के इस तरह के प्रयोग से राज्य या राज्य की साधनता द्वारा सूचित किए बिना और विश्वास में लिए बिना नहीं निपटा जा सकता है, जिस पक्ष के अधिकार और शक्तियां प्रभावित होती हैं या प्रभावित होने की कोशिश की जाती हैं, उसे विश्वास में लिया जा सकता है।ऐसी स्थितियों में अक्सर लोग ज्ञान के बहिष्कार से व्यथित महसूस करते हैं यदि उन्हें विश्वास में नहीं लिया जाता है।"

ग

(जोर दिया गया]32. श्रीलेखा विद्यार्थी (कुमारी) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 14 में दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए इस न्यायालय के निर्णय में, न्यायालय एक सामान्य आदेश को चुनौती देने से संबंधित था जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों में सभी सरकारी वकीलों की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया था।रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी।निम्नलिखित अवलोकन महत्वपूर्ण और उपयुक्त हैंः

डी.

“22. निजी पक्षों और अनुबंधों के बीच अनुबंधों में एक स्पष्ट अंतर है जिसमें राज्य एक पक्ष है।निजी पक्ष केवल अपने व्यक्तिगत हित से संबंधित होते हैं जबकि राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित के लिए, जैसा कि उससे अपेक्षित है, निर्विवाद रूप से कार्य करता है।प्रत्येक राज्य की कार्रवाई का

प्रभाव जनहित पर भी पड़ता है।अकेले यह कारक कम से कम सार्वजनिक कानून दायित्वों की न्यूनतम आवश्यकताओं को आयात करने और इस चरित्र के साथ राज्य द्वारा किए गए अनुबंधों या इसकी साधनता को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है।यह एक अलग मामला है कि संविदात्मक दायित्वों के दायरे में आने वाले विवादों के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा अधिक सीमित हो सकता है और संदिग्ध मामलों में पक्षों को विशुद्ध रूप से संविदात्मक विवादों के निर्णय के लिए प्रदान किए गए उपायों का सहारा लेकर अपने अधिकारों के निर्णय के लिए हटा दिया जा सकता है।हालांकि, जिस हद तक अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी जाती है कि विवादित कार्य मनमाना, अनुचित या अनुचित है, यह तथ्य कि विवाद भी संविदात्मक दायित्वों के दायरे में आता है, राज्य को अनुपालन करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

ई.

च

जी.

14 (1991) 1 एससीसी 212

एच.

36

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

अनुच्छेद 14 की बुनियादी आवश्यकताओं के साथ।इस हद तक, दायित्व हर मामले में हमेशा एक सार्वजनिक चरित्र का होता है, भले ही इसके अलावा कोई अन्य अधिकार या दायित्व हो।एक अतिरिक्त संविदात्मक दायित्व राज्य के हाथों अपनी किसी भी कार्रवाई में गैर-मनमानी के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटी के दावेदार को वापस नहीं कर सकता है।

24. राज्य को संविदात्मक क्षेत्र में डॉ. जेकिल और श्री हाइड के विभाजित व्यक्तित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ताकि संविधान के अनुच्छेद 14 के दायित्व को पूरा करने के लिए एक अनुबंध करते समय राज्य की सभी विशेषताओं को प्रभावित किया जा सके और उसके बाद उसे अनुबंध के निर्वाह के दौरान एक निजी निकाय के नए वस्त्र को सजाने के लिए राज्य के अपने लिबास को छोड़ने की अनुमति दी जा सके, जिससे वह केवल संविदात्मक दायित्वों और उससे निकलने वाले उपचारों के अधीन मनमाने ढंग से कार्य कर सके।यह वास्तव में राज्य के रूप में इसके व्यक्तित्व की प्रकृति है जो महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी क्षेत्र में अपने सभी कार्यों को चिह्नित करना चाहिए, न कि कार्य की प्रकृति, संविदात्मक या अन्यथा, जो इसके अधिनियम की वैधता की जांच करने के लिए अनुमत जांच की प्रकृति का निर्णायक है।अनुच्छेद 14 की आवश्यकता निष्पक्ष, न्यायसंगत और यथोचित रूप से कार्य करने का कर्तव्य होने के नाते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो संविदात्मक मामलों में भी राज्य को हमेशा ऐसा कार्य करने की आवश्यकता की अवधारणा के खिलाफ है।राज्य के अधिनियमों के बीच एक बुनियादी अंतर है जो हमेशा सार्वजनिक हित में होना चाहिए और एक निजी व्यक्ति के कार्य जो समान गतिविधियों में लगे हुए हैं, मुख्य रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए हैं, जो सार्वजनिक हित को बढ़ावा दे सकते हैं या नहीं भी।इस तरह से देखते हुए, जिसमें हम कोई वैचारिक कठिनाई या कालातीतता नहीं पाते हैं, हम कोई कारण नहीं पाते हैं कि अनुच्छेद 14 की आवश्यकता राज्य गतिविधि के संचालन को विनियमित करने के लिए संविदात्मक मामलों के क्षेत्र में भी क्यों नहीं होनी चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

27. एक निजी पक्ष के विपरीत, जिसके कार्य कारण से अनजान हैं और संविदात्मक मामलों में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से प्रभावित हैं, सार्वजनिक हित को प्रभावित किए बिना अकेले उसके लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं, राज्य या सार्वजनिक निकाय का ऐसा कोई भी कार्य, इस क्षेत्र में भी, सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

जी.

28. यह मानते हुए भी कि अनुच्छेद 14 को आकर्षित करने और न्यायिक समीक्षा की अनुमति देने के लिए राज्य की कार्रवाई में कुछ सार्वजनिक तत्व की उपस्थिति की अवधारणा को आयात करना आवश्यक है, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य या एक सार्वजनिक निकाय के सभी कार्यों का अंतिम प्रभाव

एच.

37

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

निस्संदेह लोक हित होने के कारण, इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सार्वजनिक तत्व संविदात्मक मामलों में भी मौजूद है।इसलिए, हमें अनुबंध किए जाने के बाद संविदात्मक मामलों में राज्य की कार्रवाइयों को अनुच्छेद 14 के आधार पर इसकी वैधता का परीक्षण करने के लिए न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर करना मुश्किल और अवास्तविक लगता है।"

(जोर दिया गया) 33।इस बारे में कि मनमानेपन का गठन क्या है, पैराग्राफ 36 में दर्ज किया गया है और यह इस प्रकार हैः

“36. मनमानेपन का अर्थ और वास्तविक महत्व सटीक रूप से बताए गए या परिभाषित किए जाने की तुलना में अधिक आसानी से देखा जा सकता है।यह प्रश्न कि क्या एक विवादित कार्य मनमाना है या नहीं, अंततः तथ्यों और किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में जवाब दिया जाना है।लागू करने के लिए एक स्पष्ट परीक्षण यह देखने के लिए है कि क्या विवादित कार्य से कोई स्पष्ट सिद्धांत उभर रहा है और यदि ऐसा है, तो क्या यह तर्कसंगतता की परीक्षा को संतुष्ट करता है।जहां किसी कार्य को करने के लिए कोई तरीका निर्धारित किया गया है और उस प्रक्रिया का पालन करने में कोई बाधा नहीं है, तो अधिनियम का प्रदर्शन अन्यथा और इस तरह से जो किसी भी विवेकपूर्ण सिद्धांत को प्रकट नहीं करता है जो उचित है, स्वयं मनमानेपन के दोष को आकर्षित कर सकता है।प्रत्येक राज्य की कार्रवाई को कारण से सूचित किया जाना चाहिए और यह इस प्रकार है कि कारण से अनजान कार्य मनमाना है।कानून का शासन कानूनों द्वारा शासन का विचार करता है, न कि उन लोगों के हास्य, सनक या इच्छाओं से जिन्हें कुछ समय के लिए शासन सौंपा गया है।यह सामान्य बात है कि 'चाहे आप कभी भी इतने ऊँचे हों, कानून आपके ऊपर हैं'।यही बात सत्ता में बैठे लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए।"

ग

डी.

ई.

च

34. इस न्यायालय द्वारा की गई घोषणा बाद में सार्वजनिक कानून तत्व की अवधारणा के आगे के विकास के लिए स्प्रिंगबोर्ड या चार्टर बन जाएगी और साथ ही विभिन्न संविदात्मक मामलों में अनुच्छेद 14 को लागू करने वाले वरिष्ठ न्यायालयों के लिए भी आधार बन जाएगी।

35. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम ब्रिज एंड रूफ कंपनी

जी.

(इंडिया) लिमिटेड 15, न्यायालय प्रतिवादी द्वारा दायर एक रिट याचिका के मामले पर विचार कर रहा था जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का निगम था और अपीलकर्ता राज्य से कथित रूप से देय भुगतान की मांग कर रहा था।न्यायालय ने नोट किया कि विचाराधीन अनुबंध में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करने वाले अनुच्छेद शामिल हैं -

15 (1996) 6 एससीसी 22

एच.

38

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

मध्यस्थता के संदर्भ में विवादों का निपटान।परिस्थितियों में अनुच्छेद 226 का सहारा लेना ही गलत समझा गया।न्यायालय ने निम्नलिखित भी निर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“सबसे पहले, पक्षों के बीच अनुबंध निजी कानून के दायरे में एक अनुबंध है।यह कोई वैधानिक अनुबंध नहीं है।यह अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों द्वारा या माल की बिक्री अधिनियम के कुछ प्रावधानों द्वारा भी शासित होता है। इस तरह के अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद को एक रिट याचिका में उत्तेजित नहीं किया जा सकता था, और उत्तेजित नहीं किया जा सकता था।यह या तो मध्यस्थता के लिए एक मामला है जैसा कि अनुबंध द्वारा प्रदान किया गया है या दीवानी अदालत के लिए, जैसा भी मामला हो।क्या अनुबंध के तहत अपीलकर्ता-सरकार की ओर से प्रत्यर्थी को कोई राशि देय है और, यदि हां, तो कितना और आगे का सवाल कि क्या सरकार द्वारा किसी राशि को बनाए रखना या भुगतान करने से इनकार करना उचित है या नहीं, ये सभी ऐसे मामले हैं जिन्हें रिट याचिका में उत्तेजित नहीं किया जा सकता है या उन पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है।रिट याचिका में प्रार्थना, अर्थात।, सरकार को रिट याचिकाकर्ता के बिल (ओं) से एक विशेष राशि की कटौती करने से रोकना एक ऐसा अनुरोध नहीं था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत दिया जा सके। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।"

ग

डी.

36. वेरीगाम्टो नवीन बनाम ए. पी. की सरकार और अन्य 16 में, मामला

ई.

इसमें एक निगम को दिए गए खनन पट्टे और एक उप-पट्टा शामिल है, जिसे सरकार द्वारा अनुमति दी गई थी।इसके बाद अनुमति वापस लेने की मांग की गई।अनुमति वापस लेना, अन्य बातों के साथ-साथ रिट कार्यवाही में चुनौती का विषय था।उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के आदेश (जिसकी सूचना ए. आई. आर. 1995 ए. पी. 1 में दी गई है) के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की गई थी।अनुबंध से उत्पन्न होने वाले मामलों में न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित मुद्दे पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः“21. ... हालाँकि इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामलों का एक समूह है

च

राधाकृष्ण अग्रवाल मामले में उत्पन्न होने वाले प्रकार का [(1977) 3 एस. सी. सी.

457 :ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1496] संविदात्मक क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा की धारा में बहुत पानी बह गया है।ऐसे मामलों में जहां निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी वैधानिक शक्ति को पार कर लिया है या ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक न्याय के नियमों या सिद्धांतों का उल्लंघन किया है या उसका निर्णय विकृत है या एक तर्कहीन आदेश पारित किया है, इस न्यायालय ने दोनों के बीच अनुबंध किए जाने के बाद भी हस्तक्षेप किया है।

जी.

16 (2001) 8 एससीसी 344 ए

एच.

39

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

दल और सरकार और उसकी अभिकरण।हम द्वारकादास मरफतिया में इस न्यायालय के तीन फैसलों का विज्ञापन कर सकते हैं।

सन्स बनाम बॉम्बे बंदरगाह का न्यासी मंडल [(1989) 3 एस. सी. सी. 293], महाबीर ऑटो स्टोर बनाम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन।[(1990) 3 एस. सी. सी. 752] और श्रीलेखा विद्यार्थी (कुमारी) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1991)

1 एससीसी 212:1991 एससीसी (एल एंड एस) 742:ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 537] जहाँ अनुबंध के उल्लंघन में वैधानिक दायित्व का उल्लंघन शामिल है जब शिकायत किया गया आदेश किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया था, हालाँकि कार्रवाई का कारण अनुबंध से उत्पन्न होता है या उससे संबंधित होता है, इसे सार्वजनिक कानून के दायरे में लाता है क्योंकि प्रयोग की गई शक्ति अनुबंध से अलग है।सरकार की अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता तर्कसंगतता और निष्पक्षता के साथ-साथ सार्वजनिक हित की शर्त के अधीन है।किसी अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, उस अनुबंध को रद्द करने में जो वर्तमान मामले की तरह वैधानिक प्रावधानों की शर्तों के अधीन है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामला विशुद्ध रूप से अनुबंध के क्षेत्र में आता है।इसलिए, हमें नहीं लगता कि यह सुझाव देना उचित होगा कि मामला विशुद्ध रूप से एक अनुबंध से उत्पन्न होने वाला मामला है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।इस तर्क को भी खारिज कर दिया गया है।" (जोर दिया गया) हस्तक्षेप का आधार एक क़ानून में स्थित था जिसने अपनी उपस्थिति महसूस की।

ग

डी.

ई.

37. बिन्नी लिमिटेड और एक अन्य बनाम वी. सदाशिवन और अन्य 17 में,

यह न्यायालय उन उत्तरदाताओं की सेवाओं की समाप्ति पर विचार कर रहा था जो अपीलकर्ता कंपनी के प्रबंधन के सदस्यों, कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे थे।अपीलकर्ता कंपनी ने अपनी सेवाओं को समाप्त करने का इरादा किया।इसके बाद प्रतिवादियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की।अपीलकर्ता कंपनी ने तर्क दिया कि यह न तो एक सार्वजनिक प्राधिकरण था और न ही इसकी कार्रवाई में एक सार्वजनिक कानून तत्व शामिल था, और मैंडमस का एक रिट झूठ नहीं बोलेगा।उच्च न्यायालय ने केवल इस आशय की घोषणात्मक राहत दी कि समाप्ति अवैध थी।हम निम्नलिखित पर ध्यान देते हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

जी.

"30. एक अनुबंध केवल इसलिए वैधानिक नहीं होगा क्योंकि यह एक सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण के लिए है और इसे एक वैधानिक निकाय द्वारा प्रदान किया गया है।लेकिन फिर भी, यह ध्यान दिया जा सकता है कि

17 (2005) 6 एस. सी. सी. 657

एच.

सभी स्तरों पर सरकार या सरकारी प्राधिकरण अपने नियामक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक तकनीकों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।यह नहीं कहा जा सकता है कि उन शक्तियों का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से मुक्त है और ऐसी शक्तियों के प्रयोग की कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में, न्यायिक समीक्षा सिद्धांतों का उपयोग संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है।जब उस संविदात्मक शक्ति का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है।शक्ति का उपयोग वैध उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए न कि अनुचित रूप से।"

(जोर दिया गया) 38।न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के नियोक्ता के निर्णय को सार्वजनिक नीति का कोई तत्व नहीं कहा जा सकता है।न्यायालय को कर्मचारियों की बर्खास्तगी में कोई सार्वजनिक तत्व नहीं मिला।हम तुरंत ध्यान दे सकते हैं कि उक्त मामले में अपीलार्थी वर्तमान मामले में अपीलार्थी के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं थी।

ग

डी.

39. जी. बस्सी रेड्डी बनाम अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान

और अन्य 18, प्रत्यर्थी-आई. सी. आर. आई. एस. ए. टी. द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी के खिलाफ रिट याचिका विचारणीय नहीं थी, यह देखते हुए कि न तो प्रत्यर्थी किसी क़ानून द्वारा स्थापित किया गया था और न ही इसकी गतिविधियों को सांविधिक रूप से नियंत्रित किया गया था।

ई.

40. ए. बी. एल. (उपरोक्त) एक मील का पत्थर है, जैसा कि उच्च न्यायालय के अनुबंध के मामलों में हस्तक्षेप करने के मामले में था, जहां अनुबंध में प्रवेश करने के बाद भी राज्य एक खिलाड़ी है।अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कंपनी अधिनियम के तहत शामिल प्रतिवादी ने अपीलार्थी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा किए गए बीमा दावे को खारिज कर दिया था। इस न्यायालय ने पहले के मामले के कानून पर विस्तृत चर्चा की।हम पाते हैं कि इस न्यायालय ने कई बाधाओं से निपटा, जिन्हें प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई थी।इनमें तथ्यों के शामिल होने, वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता और धन के दावे से जुड़े मामले के विवादित प्रश्न शामिल थे।इस अदालत ने इस प्रकार फैसला सुनायाः

च

जी.

“27. हमारी उपरोक्त चर्चा से, एक रिट याचिका की रखरखाव के बारे में निम्नलिखित कानूनी सिद्धांत सामने आते हैंः

18 (2003) 4 एससीसी 225 ए

एच.

41

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

(क) एक उपयुक्त मामले में, एक राज्य या एक संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न एक राज्य की साधनता के खिलाफ एक रिट याचिका बनाए रखने योग्य है।

(ख) केवल इसलिए कि तथ्य के कुछ विवादित प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैं, यह नियम के रूप में सभी मामलों में रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

(ग) मौद्रिक दावे की परिणामी राहत से जुड़ी एक रिट याचिका भी विचारणीय है।"

41. निस्संदेह, हमें पैरा 28 पर भी ध्यान देना चाहिए जो सभी मामलों में अधिकारिता का आह्वान करने के लिए एक पूर्ण चार्टर के रूप में अनुच्छेद 226 के तहत उपचार की उपलब्धता पर विचार करने के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है।

ग

"28. हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका की स्थिरता के बारे में एक आपत्ति पर विचार करते समय, अदालत को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण प्रकृति की है और संविधान के किसी भी अन्य प्रावधानों द्वारा सीमित नहीं है।उच्च न्यायालय के पास मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एक रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार है।न्यायालय ने इस शक्ति के प्रयोग में अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं।(व्हर्लपूल कॉर्पन देखें।v. व्यापार चिह्न पंजीयक [(1998) 8 एस. सी. सी. 1]। और उच्च न्यायालय के विशेषाधिकार रिट जारी करने के इस पूर्ण अधिकार का प्रयोग आम तौर पर न्यायालय द्वारा अन्य उपलब्ध उपायों को हटाने के लिए नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य की ऐसी कार्रवाई या इसकी साधनता मनमाना और अनुचित न हो ताकि अनुच्छेद 14 के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन हो या अन्य वैध और वैध कारणों के लिए, जिनके लिए न्यायालय उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना आवश्यक समझता है।"

डी.

ई.

च

(जोर दिया गया) 42।हम यह भी देख सकते हैं कि कैसे इस न्यायालय ने इस आलोचना से दूरी बनाई कि वह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा था।

यू. पी. राज्य बनामब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड 19.अदालत ने नोट किया

जी.

कि उक्त मामले में एक अनुबंध शामिल था जिसमें एक मध्यस्थता खंड था।यह पाया गया है कि इससे पहले के मामले में कोई मध्यस्थता खंड नहीं था।इस सवाल के संबंध में कि क्या उक्त मामले में पहला प्रतिवादी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था या सार्वजनिक कार्य शामिल था

19 (1996) 6 एससीसी 22

एच.

अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अपीलार्थियों के दावे को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कुमारी श्रीलेखा के फैसले से समर्थन प्राप्त किया

विद्यार्थी (ऊपर)।43. नोबल रिसोर्सेज लिमिटेड बनामउड़ीसा राज्य 20, यह न्यायालय

एबीएल (ऊपर) का अनुसरण किया।हालांकि, उक्त मामले के तथ्यों में फिर से लौह अयस्क की खरीद के मामले में अनुबंध का सम्मान करने के लिए एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इनकार करने से जुड़े मामले में, न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"15. यह सामान्य बात है कि यदि राज्य की ओर से कोई कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड का उल्लंघन करती है, तो एक रिट याचिका संविदात्मक क्षेत्र में भी कायम रखी जा सकती है।निर्विवाद रूप से एक ऐसे मामले के बीच अंतर किया जाना चाहिए जो एक अनुबंध की सीमा पर है और अनुबंध का उल्लंघन है; जबकि पूर्व में अदालत की जांच अधिक हस्तक्षेपकारी होगी, बाद में अदालत सामान्य रूप से न्यायिक समीक्षा के अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती है, जब तक कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।संविदात्मक शक्तियों का प्रयोग करते समय भी, सरकारी निकायों को उनकी ओर से मनमानेपन या पक्षपात को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है।निर्विवाद रूप से, अंतर्निहित सीमाएँ मौजूद हैं, लेकिन यह राय देना सही नहीं होगा कि किसी भी परिस्थिति में एक रिट केवल इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें एक संविदात्मक मामला शामिल है।"

ग

डी.

ई.

44. अदालत ने एबीएल (उपरोक्त) को मंजूरी दी और कहा कि इस अदालत ने घोषणा की थी कि कोई भी निर्णय एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं करता है कि तथ्य के विवादित प्रश्नों के सभी मामलों में, पक्षों को दीवानी अदालत में भेज दिया जाना चाहिए।हम पैराग्राफ 29 पर भी ध्यान दे सकते हैं:

"29. हालाँकि इस क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा या कानून के विकास का दायरा यहाँ पहले विशेष रूप से एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड [(2004) 3 एससीसी 553] में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में देखा गया है, हालाँकि, प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों पर किया जाना चाहिए।सार्वजनिक हित, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले कारकों में से एक हो सकता है।ऐसे मामले में जहां एक सार्वजनिक कानून तत्व शामिल है, न्यायिक समीक्षा की अनुमति हो सकती है।(बिन्नी लिमिटेड बनाम देखें।वी. सदाशिवन [(2005) 6 एससीसी 657:2005 एससीसी

च

जी.

(एल एंड एस) 881] और जी. बी. महाजन बनाम जलगांव नगर परिषद

[(1991) 3 एससीसी 91] "

20 (2006) 10 एससीसी 236 ए

एच.

43

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

45. नोटिस करने के लिए और प्रासंगिकता प्रत्यर्थी का मामला है कि केवल इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क की कीमत में वृद्धि हुई थी, अपीलार्थी ने फरवरी 2004 में ही रिट याचिका दायर की थी।यह पाया गया कि उक्त तर्क पूरी तरह से गलत नहीं था।इसके बाद अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

“41. श्री देसाई का यह निवेदन कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि अपने आप में अनुबंध को रद्द करने के लिए एक प्रासंगिक विचार नहीं होगा, सही हो सकता है, लेकिन तब प्रतिवादी 2 के लिए अपीलार्थी को लौह अयस्क जुर्माने की आपूर्ति करने से इनकार करने का यही एकमात्र आधार नहीं था।42. इसके अलावा, तथ्य के कुछ गंभीर विवादित प्रश्न निर्धारण के लिए उत्पन्न हुए हैं। तथ्य के ऐसे विवादित प्रश्नों पर आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विचार नहीं किया जा सकता था।"

ग

46. सहायता प्राप्त विद्यालयों के उन्नयन और भेदभाव की शिकायत के संदर्भ में, हम इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान देते हैं -

केरल राज्य और अन्य बनाम के. प्रसाद और अन्य 21।

डी.

“ पैरा 11.यह न्यायालय श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1991) 1 एस. सी. सी. 212:1991 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 742] ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक राज्य की कार्रवाई, जीवित रहने के लिए, मनमानेपन के दुष्प्रभाव के प्रति अतिसंवेदनशील नहीं होनी चाहिए जो अनुच्छेद 14 का सार है और कानून के शासन के लिए बुनियादी है, वह प्रणाली जो हमें नियंत्रित करती है, मनमानेपन कानून के शासन का निषेध है।गैर-मनमानी, कानून के शासन का एक आवश्यक सहवर्ती होने के नाते, यह अनिवार्य है कि किसी भी क्षेत्र में प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारी के सभी कार्यों को तर्क से निर्देशित किया जाना चाहिए न कि राज्य की ओर से कार्य के लिए सौंपे गए व्यक्तियों के हास्य, सनक, सनक या व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से और सभी शक्तियों का प्रयोग सत्ता का दुरुपयोग होने के बजाय सार्वजनिक भलाई के लिए होना चाहिए।"

ई.

च

47. हम देख सकते हैं कि ई एस्ट कोस्ट में भर्ती प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आयोजित परीक्षा को रद्द करने वाले मामले में इस अदालत द्वारा मनमानेपन पर विचार किया गया।

जी.

रेलवे और एक अन्य बनाम महादेव अप्पा रोआ और अन्य 22.हम नोटिस करते हैं।

निम्नलिखित परिच्छेद जो इस मामले के लिए उपयुक्त हैं।“19. ब्लैक का कानून शब्दकोश निम्नलिखित शब्दों में "मनमाना" शब्द का वर्णन करता हैः

21 (2007) 7 एससीसी 140 22 (2010) 7 एससीसी 678

एच.

“मनमाने ढंग से।-1.व्यक्तिगत विवेक के आधार पर; विशिष्ट।, निश्चित नियमों, प्रक्रियाओं या कानून के बजाय एक न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जाता है।2. (न्यायिक निर्णय) कारण या तथ्य के बजाय पूर्वाग्रह या वरीयता पर आधारित है।इस प्रकार के निर्णय को अक्सर मनमाना और मनमौजी कहा जाता है।"

20. इसी प्रभाव के लिए कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम द्वारा "मनमाना" अभिव्यक्ति को दिया गया अर्थ है जो निम्नलिखित शब्दों में शब्द की व्याख्या करता हैः

“मनमाने ढंग से-केवल अपनी इच्छा पर आधारित, न कि किसी भी तर्क और निर्णय के अभ्यास पर; किसी भी कानून से बंधे; मनमौजी; अपनी इच्छा या मनमौजी के अनुसार प्रयोग किया जाता है और इसलिए शक्ति के अधिकार का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति की धारणा को व्यक्त करता है; पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना, मनमौजी या आनंद से किया जाता है, गैर-तर्कसंगत, या नहीं किया जाता है या तर्क या निर्णय के अनुसार कार्य करता है; वास्तविकता पर आधारित नहीं है, लेकिन उचित सीमा से परे; चीजों की प्रकृति में स्थापित नहीं है; किसी भी निश्चित नियमों या मानकों द्वारा शासित नहीं है; कुछ अलग अर्थों में, शक्ति में पूर्ण, निरंकुश, या अत्याचारी; कठोर और असहनीय।जब कृत्यों पर लागू किया जाता है, तो 'मनमाना' को साक्ष्य की अवहेलना या उसके उचित वजन को इंगित करने के लिए माना गया है; प्रशासनिक, कार्यकारी, न्यायिक या विधायी विवेक के विरोध में एक विचार व्यक्त करने के लिए; और कम से कम बुरे विश्वास के एक तत्व को इंगित करने के लिए, और 'जानबूझकर' के साथ तुलना की गई है।"

ग

डी.

ई.

XXX

XXX

XXX

23. किसी प्राधिकारी द्वारा आदेश बनाने में मनमानी खुद को विभिन्न रूपों में प्रकट कर सकती है।आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा मन का उपयोग न करना उनमें से केवल एक है।सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को आदेश देने वाले व्यक्ति द्वारा विवेक के उचित और उचित प्रयोग का खुलासा करना चाहिए।यह स्वयं क्रम या समकालीन रूप से बनाए गए अभिलेख से स्पष्ट हो सकता है।आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा मन के प्रकटीकरण द्वारा मन के अनुप्रयोग का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया जाता है।और प्रकटीकरण सबसे अच्छा उन कारणों को दर्ज करके किया जाता है जिनके कारण प्राधिकरण को प्रश्न में आदेश पारित करने के लिए प्रेरित किया।प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में या समकालीन रूप से बनाए गए रिकॉर्ड में कारणों की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत देती है कि आदेश मनमाना है इसलिए कानूनी रूप से अस्थिर है।"

च

जी.

एच.

45

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

48. इसलिए, हम संक्षेप में कहेंगे कि कब किसी कार्य को मनमाना माना जाना है।अदालत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए।यह पता लगाना चाहिए कि क्या विवादित निर्णय किसी सिद्धांत पर आधारित है।यदि नहीं, तो यह अनियंत्रित रूप से मनमानेपन की ओर इशारा कर सकता है।यदि अधिनियम मनमानेपन या प्राधिकरण की सनक का मात्र प्रदर्शन करता है तो यह पर्याप्त रूप से मनमानेपन का प्रतीक होगा।इस संबंध में एक तर्क के साथ एक आदेश का समर्थन करना जो परिस्थितियों में उचित पाया जाता है, राज्य कार्रवाई के लिए एक चुनौती को दूर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कारण हर मामले में आदेश का हिस्सा होने चाहिए।यदि सद्भावना का अभाव है और क्रिया को एक तिरछे उद्देश्य से प्रेरित किया जाता है, तो इसे मनमाना होने के रूप में वर्णित किया जा सकता है।पक्षकारों के अधिकारों और

जनहित को ध्यान में रखे बिना विवेक का पूरी तरह से उपयोग न करना मनमाना कार्रवाई का एक स्पष्ट संकेतक हो सकता है। एक पूरी तरह से अनुचित निर्णय जो वेड्सबरी सिद्धांत के तहत एक विकृत निर्णय से थोड़ा अलग है, अनुच्छेद 14 के तहत एक मनमाना निर्णय के रूप में योग्य होगा।आम तौर पर एक अनुबंध के तहत इसके उल्लंघन के परिणामों के साथ एक पार्टी का दौरा करना एक मनमाना निर्णय नहीं हो सकता है।

ग

डी.

49. अब हम ओशी में इस अदालत के फैसले को देख सकते हैं।

टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल इंक. बनामभारत संघ और अन्य 23, जो

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा भी इस पर भरोसा किया जाता है।उक्त मामले में वास्तव में रिट याचिकाकर्ता की शिकायत शामिल थी कि वह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 42 के लाभ का हकदार था जिसमें कुछ कटौती का प्रावधान था।याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी, भारत सरकार के साथ एक समझौता किया था।प्रत्यर्थी का मामला, अन्य बातों के साथ-साथ, याचिकाकर्ता के मामले को अस्वीकार करने वाला था कि धारा 42 का लोप निरीक्षण द्वारा किया गया था।रिट याचिका में प्रार्थना अनिवार्य रूप से अन्य बातों के साथ-साथ धारा 42 के तहत कटौती की पात्रता घोषित करने के लिए थी।उक्त मामले पर विचार करते समय यह न्यायालय निस्संदेह अन्य बातों के साथ-साथ ए. बी. एल. लिमिटेड (उपर्युक्त) को भी सूचित करने के बाद निम्नलिखित रूप में निर्धारित करता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

“69. उपरोक्त सिद्धांतों में इस प्रकार संक्षेपित स्थिति को पहले की चर्चा के संदर्भ में समझना होगा, जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है।इसके अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविदात्मक मामलों में या जहां तथ्य के विवादित प्रश्न हैं या यहां तक कि जब मौद्रिक दावा किया जाता है, वहां भी रिट याचिका की स्थिरता पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।साथ ही,

जी.

23 (2015) 7 एस. सी. सी. 728

एच.

विवेकाधिकार उच्च न्यायालय के पास है जो कुछ परिस्थितियों में प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।यह भी कहा गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में, "सामान्य रूप से", न्यायालय इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेगाः

69.1.न्यायालय तब तक इस मुद्दे की जांच नहीं कर सकता जब तक कि कार्रवाई से कुछ सार्वजनिक कानून का चरित्र न जुड़ा हो।

69.2.जब भी अनुबंध में विवाद के निपटारे का कोई विशेष तरीका प्रदान किया जाता है, तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर देगा और पक्ष को समझौते के उक्त तरीके से हटा देगा, विशेष रूप से जब विवादों के निपटारे का सहारा मध्यस्थता के माध्यम से लिया जाना है।

ग

69.3.यदि तथ्य के बहुत गंभीर विवादित प्रश्न हैं जो जटिल प्रकृति के हैं और उनके निर्धारण के लिए मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता है।

डी.

69.4.विशेष रूप से संविदात्मक दायित्वों से उत्पन्न होने वाले धन के दावों पर आम तौर पर असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जाता है।"

“70. इसके अलावा, राज्य/सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निजी पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों से संबंधित विभिन्न स्थितियों/पहलुओं से निपटने वाले इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से उत्पन्न होने वाली कानूनी स्थिति को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

ई.

70.1.किसी अनुबंध में प्रवेश करने के चरण में, राज्य विशुद्ध रूप से अपनी कार्यकारी क्षमता में कार्य करता है और निष्पक्षता के दायित्वों से बंधा होता है।70.2.राज्य अपनी कार्यकारी क्षमता में, यहां तक कि संविदात्मक क्षेत्र में भी, निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है और कुछ भेदभाव नहीं कर सकता है।

च

70.3.यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां अनुबंध के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले प्रतिस्पर्धी दावों की पसंद या विचार का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का सवाल उठने से पहले तथ्यों की जांच और पता लगाना होगा।यदि वे तथ्य विवादित हैं और साक्ष्य के मूल्यांकन की आवश्यकता है, जिसकी शुद्धता को केवल विस्तृत साक्ष्य लेकर संतोषजनक रूप से परखा जा सकता है, जिसमें गवाहों की जांच और जिरह शामिल है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में मामले का सुविधाजनक या संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जा सकता है।ए में

जी.

एच.

47

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ऐसे मामलों में न्यायालय पीड़ित पक्ष को दीवानी मुकदमे आदि के वैकल्पिक उपचार का सहारा लेने का निर्देश दे सकता है।

70.4.संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का उद्देश्य स्वेच्छा से किए गए दायित्व से बचना नहीं था।

70.5.संविदात्मक दायित्व से बचने के लिए रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी।अनुबंध में सहमत शर्तों के प्रदर्शन में वाणिज्यिक कठिनाई, असुविधा या कठिनाई की घटना अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने में कोई औचित्य प्रदान नहीं कर सकती है जिसे पक्षों ने खुली आंखों से स्वीकार किया था।ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई लाइसेंसधारी लाइसेंस तैयार कर सके यदि उसे ऐसा करना लाभदायक लगेःऔर वह उन शर्तों को चुनौती दे सकता है जिनके तहत वह लाइसेंस लेने के लिए सहमत हुआ, अगर वह अपने व्यवसाय का संचालन व्यावसायिक रूप से अक्षम पाता है।

ग

70.6.आम तौर पर, जहां अनुबंध के उल्लंघन की शिकायत की जाती है, इस तरह के उल्लंघन की शिकायत करने वाला पक्ष अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा कर सकता है, यदि अनुबंध विशेष रूप से निष्पादित होने में सक्षम है।अन्यथा, पक्ष

हर्जाने के लिए मुकदमा कर सकता है।70.7.रिट जारी किया जा सकता है जहां कानून द्वारा असमर्थित कार्यकारी कार्रवाई होती है या यहां तक कि किसी निगम के संबंध में कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से इनकार किया जाता है या यदि यह दिखाया जा सकता है कि सार्वजनिक अधिकारियों की कार्रवाई कोई सुनवाई किए बिना थी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था, तो यह कहते हुए कि कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना नहीं की जा सकती थी।

डी.

ई.

70.8.यदि निजी पक्ष और राज्य/साधन और/या राज्य की एजेंसी के बीच अनुबंध एक निजी कानून के दायरे में है और सार्वजनिक कानून का कोई तत्व नहीं है, तो पीड़ित पक्ष के लिए सामान्य पाठ्यक्रम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और इसके असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने के बजाय सामान्य नागरिक कानून के तहत प्रदान किए गए उपचारों का आह्वान करना है।

च

जी.

70.9.राज्य के साथ अनुबंध में सार्वजनिक कानून और निजी कानून तत्व के बीच का अंतर धुंधला हो रहा है।हालांकि, इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है और जहां मामला विशुद्ध रूप से अनुबंध के निजी क्षेत्र में आता है, इस न्यायालय ने इस स्थिति को बनाए रखा है कि रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है।जनता के बीच द्वैतवाद

एच.

कानून और निजी कानून के अधिकार और उपचार प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करेंगे और सार्वजनिक कानून उपचार और निजी कानून क्षेत्र के बीच अंतर को सटीकता के साथ सीमांकित नहीं किया जा सकता है।वास्तव में, प्रत्येक मामले की जांच इसके तथ्यों पर की जानी चाहिए कि क्या पक्षों के बीच संविदात्मक संबंधों में सार्वजनिक तत्व का महत्व है।एक बार जब किसी विशेष मामले के तथ्यों पर यह पाया जाता है कि गतिविधि या विवाद की प्रकृति में सार्वजनिक कानून तत्व शामिल है, तो मामले की उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं में जांच की जा सकती है कि क्या राज्य और/या राज्य की साधनता या एजेंसी की कार्रवाई निष्पक्ष, न्यायसंगत और न्यायसंगत है या प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है और अप्रासंगिक कारक निर्णय लेने की प्रक्रिया में नहीं गए हैं या निर्णय मनमाना नहीं है।70.10.ऐसी स्थिति में किसी नागरिक की केवल उचित या वैध अपेक्षा अपने आप में एक अलग प्रवर्तनीय अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर विचार करने और इसे उचित महत्व देने में विफलता निर्णय को मनमाना बना सकती है, और इस तरह एक वैध अपेक्षा के उचित विचार की आवश्यकताएं गैर-मनमानेपन के सिद्धांत का हिस्सा हैं।

ग

डी.

70.11.संविदात्मक दायित्वों के दायरे में आने वाले विवादों के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा अधिक सीमित हो सकता है और संदिग्ध मामलों में पक्षों को विशुद्ध रूप से संविदात्मक विवादों के निर्णय के लिए प्रदान किए गए उपचारों का सहारा लेकर अपने अधिकारों के निर्णय के लिए प्रेरित किया जा सकता है।"

ई.

50. केरल राज्य बनाम एम. के. जोस 24 में, विशिष्ट प्रश्न के साथ

जिनसे हम संबंधित हैं, अर्थात्, एक संविदात्मक मामले में एक रिट याचिका पर विचार करना और जहां विशिष्ट प्रश्न अनुबंध की समाप्ति की वैधता था, विचार के लिए गिर गया।हम निम्नलिखित पर ध्यान दे सकते हैंः

च

"13. एक रिट अदालत को आम तौर पर एक रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, यदि तथ्य के विवादित प्रश्नों से जुड़े अनुबंध का उल्लंघन होता है।वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि तथ्यात्मक विवाद शामिल हैं।"

जी.

51. इसके बाद, अदालत ने ए. बी. एल. (उपरोक्त) में इस अदालत के फैसले पर विस्तार से विचार किया और पाया कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें अदालत ने राहत दी क्योंकि इस मामले से तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट थे।

24 (2015) 9 एससीसी 433 ए

एच.

49

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

दस्तावेजी साक्ष्य और यह बीमा अनुबंध के ऐसे खंडों की व्याख्या से संबंधित था।हमें एम. के. जोस (ऊपर) में केवल पैराग्राफ 20 की सूचना की आवश्यकता है।यह नीचे लिखा हैः

"20. हमने उपरोक्त अधिकारियों को इस बात पर प्रकाश डालने के लिए संदर्भित किया है कि अनुबंध के दावे या अनुबंध के उल्लंघन को चुनौती देने के संबंध में किन परिस्थितियों में एक रिट अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है।यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।ए. बी. एल. इंटरनेशनल [(2004) 3 एस. सी. सी. 553] में जो मुद्दा उठा था, वह यह था कि एक राज्य की साधनता बीमा अनुबंध के खंडों पर एक अलग निर्माण कर रही थी और बीमित व्यक्ति अनुबंध की अलग-अलग व्याख्या कर रहा था।न्यायालय ने सोचा कि यह केवल इसलिए उचित है क्योंकि बीमाकर्ता द्वारा कुछ विवादित है, इसे तथ्य के विवादित प्रश्नों के दायरे में नहीं आना चाहिए।वास्तव में, तथ्य का कोई विवादित प्रश्न नहीं था, लेकिन इसके लिए बीमा अनुबंध की शर्तों की व्याख्या की आवश्यकता थी।इसी तरह, यदि अभिलेख पर आने वाली सामग्री जिससे वह स्पष्ट रूप से अजेय है, तो रिट अदालत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर सकती है, लेकिन, एक गर्भवती, मामले में, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है, प्रत्यर्थी से आपत्तियां मांगे बिना उसे स्वीकार कर लिया और अनुबंध की समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया।
(बल दिया गया)

ग

डी.

ई.

52. यू. पी. राज्य बनामसुधीर कुमार सिंह और अन्य 25,

पहले उत्तरदाता सफल निविदाकार ने एक वर्ष के लिए अनुबंध पर काम किया था जब उसे रद्द करने के साथ देखा गया था।इस न्यायालय ने ए. बी. एल. (ऊपर) और जोशी टेक्नोलॉजी (ऊपर) सहित पहले के मामले कानून का विस्तृत रूप से उल्लेख किया और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“23. यह जोड़ा जा सकता है कि प्रत्येक मामला जिसमें कोई नागरिक/व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट अदालत का दरवाजा खटखटाता है, वह एक ऐसा मामला है जिसमें एक "सार्वजनिक कानून तत्व" शामिल है, जो एक मामले के विपरीत है जो केवल अनुबंध के उल्लंघन और उससे होने वाले नुकसान से संबंधित है।जब भी राज्य के खिलाफ प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की याचिका दायर की जाती है, तो उक्त याचिका, यदि टिकाऊ पाई जाती है, तो संवैधानिक कानून में मनमाना राज्य कार्रवाई के रूप में सुनाई देती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को आकर्षित करती है-पैराग्राफ 7 में नवाबखान अब्बासखान बनाम गुजरात राज्य (1974) 2 एससीसी 121 देखें।वर्तमान मामला है,

जी.

25 2020 एससीसी ऑनलाइन 847

एच.

50

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

इसलिए, एक मामला जिसमें एक "सार्वजनिक कानून तत्व" शामिल है, जिसमें याचिकाकर्ता (हमारे सामने प्रतिवादी संख्या 1) जिसने रिट अदालत का दरवाजा खटखटाया था, ने ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम के उल्लंघन का आरोप लगाया, क्योंकि निविदा को रद्द करने की पूरी कार्यवाही, रद्द करने के साथ, उसकी पीठ के पीछे के तथ्यों के एकतरफा मूल्यांकन पर की गई थी।"

53. हम पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि पी. पी. ए. एक सांविधिक अनुबंध नहीं है।हालांकि, यह जांच का अंत नहीं होगा। डॉ. ए. एम. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील, इंगित करेंगे कि अनुबंध, एक वैधानिक अनुबंध नहीं होने के कारण, केवल यह निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या न्यायालय को रिट आवेदक को वैकल्पिक उपचारों के लिए हटा देना चाहिए।दूसरे शब्दों में, जबकि न्यायालय याचिका पर विचार करने या ऐसा करने से इनकार करने के अपने विवेकाधिकार को बनाए रखेगा, प्रत्येक मामले के तथ्यों में, राहत देने वाले न्यायालय के खिलाफ कोई पूर्ण वर्जना नहीं है, भले ही किसी अनुबंध की समाप्ति को चुनौती किसी अनुबंध के मामले में दी गई हो, जो प्रकृति में वैधानिक नहीं है, जब उल्लंघन करने वाला पक्ष राज्य है।दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि इस क्षेत्र में कानून ने एक विकास देखा है और इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के सही दायरे की बढ़ती प्राप्ति के साथ एक तरह की क्रांति और परिवर्तनकारी परिवर्तन देखा है।वे बताते हैं कि राज्य अब डॉ. जेकिल और हाइड खेल नहीं खेल सकता है।इसकी प्रकृति पत्थर में डाली गई है।इसका चरित्र अनम्य है।यह किसी भी गतिविधि में शामिल होने के बावजूद है।यह निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए अनुच्छेद 14 के जनादेश से परेशान रहेगा।प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, अनुबंध से उत्पन्न होने वाले मामलों में राज्य की कार्रवाई पर प्रहार करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है।यह न्यायालय के लिए खुला है कि वह किसी मामले को अस्वीकार करने से इनकार करे, जिसमें राज्य की कार्रवाई शामिल है, इस आधार पर कि कार्रवाई अपने आप में मनमाना है।

ग

डी.

ई.

च

54. हम उन बिंदुओं के संबंध में अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो हमने तैयार किए हैं:

आई. निस्संदेह, यह सच है कि रिट अधिकार क्षेत्र एक सार्वजनिक कानून उपचार है।एक मामला, जो पूरी तरह से सार्वजनिक निकाय के मामलों के एक निजी क्षेत्र के भीतर है, न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत निपटाए जाने के लिए खुद को उधार नहीं दे सकता है।

जी.

ii.बरेली विकास प्राधिकरण में निर्धारित सिद्धांत

(ऊपर दिया गया है) कि एक गैर-सांविधिक अनुबंध के मामले में अधिकार केवल अनुबंध की शर्तों और निर्णयों द्वारा शासित होते हैं, जिनका पालन किया जाना अपेक्षित है, जिसमें ए

एच.

51

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

राधाकृष्ण अग्रवाल (ऊपर), एबीएल (ऊपर) में जो निर्धारित किया गया है, उसके आलोक में अच्छा प्रदर्शन करना जारी नहीं रख सकते हैं।

और जैसा कि सुधीर कुमार मामले में हाल के फैसले में कहा गया है

सिंह (ऊपर)।

iii.केवल यह तथ्य कि किसी अनुबंध के तहत राहत मांगी जाती है, जो वैधानिक नहीं है, किसी मामले में प्रतिवादी-राज्य को अनुबंध के तहत अपनी कार्रवाई या निष्क्रियता की जांच को रोकने का अधिकार नहीं देगा, यदि शिकायत करने वाला पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम है कि कार्रवाई/निष्क्रियता, प्रति, मनमाना है।

iv.एक कार्रवाई होगी, निस्संदेह, जब राज्य कोई भी उदारता प्रदान करने का इरादा रखता है और निस्संदेह, यह अनुबंध में प्रवेश करने से पहले के चरण से संबंधित है [आर. डी. शेट्टी (ऊपर देखें)]।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जांच न्यायिक समीक्षा की प्रकृति के भीतर की जाएगी, जिसे घोषित किया गया है।

ग

टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ 26 में निर्णय में।

v. अनुबंध किए जाने के बाद, विभिन्न परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जो राज्य के साथ अनुबंध के लिए एक पक्ष को एक रिट याचिका दायर करके राहत पाने के लिए कार्रवाई का कारण प्रदान कर सकती हैं।

डी.

vi)विस्तृत होने के इरादे के बिना, इसमें राज्य से पीड़ित पक्ष को देय राशि के भुगतान की मांग करने की राहत शामिल हो सकती है।वास्तव में, राज्य को भुगतान करने के अपने दायित्वों का सम्मान करने के लिए कहा जा सकता है, जब तक कि यह नहीं हो कि भुगतान करने के लिए राज्य के दायित्व के संबंध में कोई गंभीर और वास्तविक विवाद उठाया गया हो।इस तरह के विवाद में, आम तौर पर, यह तर्क शामिल होगा कि पीड़ित पक्ष ने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है और न्यायालय ने पाया है कि राज्य द्वारा ऐसा तर्क केवल एक चाल या दिखावा नहीं है।

ई.

च

vii.एक वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व, निस्संदेह, एक संविदात्मक मामले में एक रिट याचिका में राहत को अस्वीकार करने में ध्यान में रखा जाने वाला मामला है।पुनः, यह प्रश्न कि क्या रिट याचिकाकर्ता को दरवाजे से बाहर बताया जाना चाहिए, याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दावे और राहत की प्रकृति पर निर्भर करेगा, जिन प्रश्नों पर निर्णय लेना होगा,

जी.

26 (1994) 6 एस. सी. सी. 651

एच.

52

और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तथ्य के विवादित प्रश्न हैं, जिनका समाधान आवश्यक है, जो मांगी गई राहत के अनुदान के लिए एक अनिवार्य प्रस्तावना है।निस्संदेह, जबकि कोई निषेध नहीं है, रिट न्यायालय में तथ्य के विवादित प्रश्नों का निर्णय लेने में भी, विशेष रूप से जब विवाद केवल दस्तावेजों के रहस्योद्घाटन को घेरता है, तो न्यायालय पक्ष को दीवानी मुकदमे के माध्यम से उपचार के लिए खारिज कर सकता है।

viii.मध्यस्थता के लिए एक प्रावधान का अस्तित्व, जो विवाद समाधान की गति को तेज करने के उद्देश्य से एक मंच है, को एक रिट याचिका के मनोरंजन के लिए एक निकट बाधा के रूप में देखा जाता है (इस संबंध में देखें, इस न्यायालय का दृष्टिकोण एबीएल (उपरोक्त) में भी यह बताते हुए कि उसने इस न्यायालय के निर्णय को कैसे अलग किया।

ग

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम ब्रिज एंड रूफ कंपनी। 27, इसके द्वारा

ए. बी. एल. (ऊपर) में अनुच्छेद-14 में टिप्पणियाँ]।

ix.तथ्य के विवादित प्रश्नों से निपटने की आवश्यकता को एक रिट याचिका में उठाए गए एक वास्तविक दावे को दोषी ठहराने के लिए एक स्मोकस्क्रीन नहीं बनाया जा सकता है, जब वास्तव में एक रिट आवेदक को राहत देने के लिए तथ्य के विवादित प्रश्न का समाधान अनावश्यक है।

डी.

x. अनुच्छेद 14 की पहुंच एक रिट कोर्ट को राज्य द्वारा अनुबंध किए जाने के बाद भी मनमाने ढंग से राज्य की कार्रवाई से निपटने में सक्षम बनाती है।विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ अनुच्छेद 14 को लागू करने के लिए कार्रवाई के कारण पैदा कर सकती हैं।इससे निपटने में न्यायालय का दृष्टिकोण, निस्संदेह, राज्य की मनमानी कार्रवाई को रोकने की भारी आवश्यकता से निर्देशित होगा, उन मामलों में जहां रिट उपचार राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से अनुचित कार्रवाई से उत्पन्न न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए एक प्रभावी और निष्पक्ष साधन प्रदान करता है।xi. विभिन्न प्रकार की स्थितियों में अनुबंध की समाप्ति फिर से हो सकती है।उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है, जिसे बिना किसी तर्क की आवश्यकता के, वह व्यक्ति होने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, जो अनुबंध को रद्द करने के लिए पूरी तरह से अनधिकृत है, तो पक्ष को अनावश्यक अग्निपरीक्षा के लिए प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है।उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, ऐसे मामले में, जहां कोई विवाद नहीं है

ई.

च

जी.

27 (1996) 6 एससीसी 22 ए

एच.

53

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के अलावा जनहित में भी अनुकूल होगा।जब राज्य द्वारा किसी अनुबंध की समाप्ति को चुनौती देने की बात आती है, जो एक गैर-सांविधिक निकाय है, जो इस तरह के अनुबंध के तहत शक्तियों/अधिकारों के कथित प्रयोग में काम कर रहा है, तो यह एक जटिल मुद्दे को सरल बनाने के लिए होगा कि अदालत याचिकाकर्ता को वैकल्पिक मंच से दूर करने के पक्ष में कोई भी अनम्य नियम निर्धारित करे। आम तौर पर, राज्य द्वारा अनुबंध की समाप्ति के मामले, अपने संविदात्मक क्षेत्र के भीतर कार्य करते हुए, रिट कोर्ट द्वारा उचित निवारण के लिए खुद को उधार नहीं दे सकते हैं।यह, निस्संदेह है, इसलिए यदि न्यायालय निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए कर्तव्यबद्ध है, जिसमें तथ्यों के विवादित प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किए गए निष्कर्ष शामिल हैं।निस्संदेह, ए. बी. एल. लिमिटेड (उपरोक्त) को ध्यान में रखते हुए, यदि विवाद को हल करने के लिए, किसी अनुबंध को अस्वीकार करने के मामले में, केवल दलीलों के आलोक में दस्तावेजी सामग्री के वास्तविक दायरे की सराहना करना शामिल है, तो न्यायालय अभी भी एक आवेदक को राहत दे सकता है।हमें एक चेतावनी में प्रवेश करना होगा।अदालतें आज डॉकेट विस्फोट के बोझ तले दबी हुई हैं, जो वास्तव में चिंताजनक है।यदि किसी मामले में दस्तावेजों का एक बड़ा समूह शामिल है और न्यायालय को तथ्यों के निष्कर्षों पर प्रवेश करने के लिए कहा जाता है और इसमें केवल दस्तावेज़ का निर्माण शामिल है, तो पक्ष को वैकल्पिक उपचार के लिए प्रेरित करना एक अनुचित विवेक नहीं हो सकता है।यह न्यायालय को उसकी संवैधानिक शक्ति से वंचित करने के लिए नहीं है जैसा कि ए. बी. एल. (उपरोक्त) में निर्धारित किया गया है।यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है कि क्या, विवाद के दायरे को ध्यान में रखते हुए, क्या न्यायालय अभी भी याचिका पर विचार करेगा।

ग

डी.

ई.

च

xii.एक मामले में राज्य अनुबंध का एक पक्ष है और राज्य के खिलाफ एक अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, उपयुक्त मंच में एक नागरिक कार्रवाई, निस्संदेह, बनाए रखने योग्य है।लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती।राज्य की स्थिति और निष्पक्ष रूप से कार्य करने और अपने सभी कार्यों में मनमानेपन से बचने के अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, कार्रवाई के कारण पर संवैधानिक उपाय का सहारा लें, कि कार्रवाई मनमाना है, अनुमेय है (इस संबंध में देखें कुमारी श्रीलेखा)।

जी.

विद्यार्थी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 28)।

एच.

28 (1991) 1 एससीसी 212)

54

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 5 एस सी आर।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि राज्य द्वारा अनुबंध के उल्लंघन से जुड़े प्रत्येक मामले को मनमाना राज्य कार्रवाई के मामले के रूप में प्रच्छन्न और प्रच्छन्न नहीं किया जा सकता है।जबकि एक मनमानी कार्रवाई या निष्क्रियता की अवधारणा को किसी भी अपरिवर्तनीय मंत्र तक सीमित या सीमित नहीं किया जा सकता है, और प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में इसे उजागर किया जाना चाहिए, यह केवल अनुबंध के उल्लंघन का आरोप नहीं हो सकता है जो पर्याप्त होगा।मामले में जो शामिल होना चाहिए वह कार्रवाई/निष्क्रियता होनी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से अनुचित या बिल्कुल तर्कहीन और किसी भी सिद्धांत से रहित होनी चाहिए।एक कार्रवाई, जो पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है, को शायद ही एक उचित कार्रवाई के रूप में वर्णित किया जा सकता है और तथ्यों के आधार पर, मनमाना कार्रवाई हो सकती है।सवाल अदालत द्वारा उठाया जाना चाहिए और उसका जवाब दिया जाना चाहिए और हम केवल यह निर्धारित करना चाहते हैं कि उचित मामलों में राहत देने के लिए अदालत के पास विवेक उपलब्ध है।

ग

xiii.एक लॉडेस्टार, जो न्यायालय के मार्ग को रोशन कर सकता है, सार्वजनिक हित का वह आयाम होगा जो न्यायालय द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय मामले को वैकल्पिक मंच पर ले जाने के लिए दिया जाएगा।

डी.

xiv.एक अन्य प्रासंगिक मानदंड यह है कि यदि न्यायालय ने मामले पर विचार किया है, तो यह वर्जित नहीं है कि न्यायालय को बाद के चरण में पक्षकार को खारिज नहीं करना चाहिए, आम तौर पर, यह एक जर्मन विचार होगा, जो न्यायालय को वह पूरा करने के लिए राजी कर सकता है जो उसने शुरू किया था, बशर्ते कि यह अन्यथा रिट याचिका में गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए अधिकार क्षेत्र का एक अच्छा अभ्यास हो।

ई.

xv.प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन को एक सार्वजनिक कानून तत्व की उपस्थिति को दर्शाने वाले आधार के रूप में मान्यता दी गई है और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन पर आधारित कार्रवाई का कारण पाया जा सकता है।

च

[सुधीर कुमार सिंह और अन्य (ऊपर) देखें]।

एक भी आर्बिट्रेशन क्लॉज है**?**

जी.

55. इससे पहले कि हम मामले पर आगे बढ़ें, हमें पहले यह पता लगाना होगा कि क्या कोई मध्यस्थता खंड है।हम पहले ही विवाद समाधान खंड, अर्थात् अनुच्छेद 13.2 का उल्लेख कर चुके हैं।1 और अनुच्छेद 13.2।3.वे संकेत देते प्रतीत होते हैं कि खंड एक मध्यस्थता खंड का गठन नहीं कर सकते हैं।जहाँ तक अनुच्छेद 13.3 का संबंध है।1. जब विवाद 13.2 के तहत अनसुलझा रहता है तो किस उपाय पर जाना है।3, ए.

एच.

55

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

यह शुल्क से संबंधित किसी भी मामले के दावे से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित है।इसलिए, हम यह विचार रखेंगे कि यह एक ऐसा मामला नहीं हो सकता है जहां पी. पी. ए. एक मध्यस्थता खंड प्रदान करता है जो विचाराधीन आई. एस. का निर्धारण

करने में सक्षम हो।इसलिए यू. पी. रूफ (ऊपर) में विचार की गई स्थिति मौजूद नहीं है जैसा कि ए. बी. एल. (ऊपर) में निर्धारित किया गया है।

पहली लिखित याचिका में निर्णय का प्रभाव

56. बिन्दु नं.5., अर्थात्, पहले दौर में उच्च न्यायालय के फैसले के प्रभाव पर, हमें वास्तव में ध्यान देना चाहिए कि यह एक ऐसा मामला है जो मुकदमे के दूसरे दौर का प्रतिनिधित्व करता है।इससे पहले के दौर में उत्तरदाताओं ने अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र को सफलतापूर्वक लागू किया था जब इसे दिनांकित 11.08.2017 अनुबंध की समाप्ति के आदेश के साथ दिया गया था।हम पहले ही उक्त मामले के भाग्य को देख चुके हैं।वर्ष 2017 में शुरू हुई पहली लड़ाई वर्तमान रिट याचिका के साथ फिर से शुरू हुई।हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि अपीलार्थी ने मुकदमे के पहले दौर में फैसले को चुनौती देना उचित नहीं समझा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी का मामला यह है कि अपीलार्थी का विचार था कि अदालत ने अनुबंध की समाप्ति के लिए अनुबंध के तहत कदम उठाने के लिए अपीलार्थी को स्वतंत्र छोड़ दिया है।वास्तव में यह अपीलार्थी का मामला है कि पहले के दौर में उच्च न्यायालय का निर्णय अपीलार्थी के लिए अनुबंध पर पुनर्विचार करने और उसे समाप्त करने में कोई बाधा नहीं होगा क्योंकि पी. पी. ए. ने अपीलार्थी को अनुच्छेद 2 (डी) के तहत अनुबंध को समाप्त करने के लिए बाध्य किया है यदि ठेकेदार ने 210 दिनों की समाप्ति और पी. पी. ए. के शुरू होने के बाद नौ महीने की और अवधि के बाद भी बाद की शर्तों को पूरा नहीं किया। हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या पहले का निर्णय, वास्तव में, कानूनी रूप से, अपीलार्थी को उक्त मुद्दे को फिर से खोलने की अनुमति देता है।20.6.2017 के फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि अदालत दिनांकित 11.08.2017 के आदेश को चुनौती दे रही थी।दिनांकित 11.08.2017 आदेश से पता चलेगा कि अपीलार्थी ने पाया है कि बाद की समय सीमा की शर्त को प्राप्त करने में 54 दिनों की देरी हुई है।प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, अपीलार्थी ने पाया कि बल प्रयोग के मामले में कोई योग्यता नहीं है और बाद की शर्तों को प्राप्त करने में देरी का कोई औचित्य नहीं है।इसके बाद, अपीलार्थी, अनुच्छेद 2.5 के संदर्भ में।1(घ) पी. पी. ए. को समाप्त कर दिया। इसके अलावा, रु। 1180.50 लाख को अनुच्छेद 2.5 के संदर्भ में जुर्माने के रूप में वसूली योग्य पाया गया।इसी आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके बाद हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने नोटिस दिया कि इसी तरह के एक मामले में, अर्थात्।, न्यू क्लीन एनर्जी प्रा. लि.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

लिमिटेड, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि निर्धारित समय के भीतर परियोजना को चालू कर दिया, सिवाय इसके कि पहला मील का पत्थर प्राप्त करने में 16 दिनों की देरी हुई थी।

57. यहाँ हमें 'पहला मील का पत्थर' शब्द को बाद की शर्तों की पूर्ति के रूप में समझना चाहिए।उक्त लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में, जिसके लिए अक्षय स्वच्छ ऊर्जा के मामले में 16 दिनों की देरी हुई थी, पहले प्रतिवादी के मामले में 54 दिनों की देरी हुई थी।उच्च न्यायालय द्वारा आगे यह देखा गया है कि उक्त याचिकाकर्ता के मामले में अनुबंध की समाप्ति को दरकिनार करते हुए अक्षय स्वच्छ ऊर्जा के पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।इसके बाद उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि इस बात पर विवाद है कि क्या प्रतिवादी ने वर्तमान मामले में बिजली परियोजना को चालू किया था। हम देखते हैं कि अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर समाप्ति को उचित ठहराने का प्रयास किया गया था कि प्रत्यर्थी ने निर्धारित

समय के भीतर बिजली परियोजना को चालू नहीं किया था।उच्च न्यायालय यह नोटिस करने के लिए आगे बढ़ता है कि परियोजना को चालू करने का पहलू अनुबंध को समाप्त करने का आधार नहीं था।मोहिंदर सिंह गिल 29 पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ताओं को बर्खास्तगी के कारणों को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी।अंत में, उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया कि चूंकि रिन्यू क्लीन एनर्जी के मामले में दिनांकित 11.8.2017 में समझौते को समाप्त करने का समान कारण उचित नहीं पाया गया था, इसलिए दिनांकित 11.08.2017 के विवादित संचार को दरकिनार कर दिया गया था।इसके बाद अपीलार्थियों को कानून के अनुसार पी. पी. ए. के संदर्भ में नए आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी गई।

ग

डी.

ई.

58. अपीलार्थी हमें यह ठहराने के लिए राजी करेंगे कि उच्च न्यायालय का इरादा, पीपीए के तहत अपनी शक्ति का आह्वान करते हुए आदेश पारित करने के लिए अपीलार्थी को खुला छोड़ने की स्वतंत्रता है, जिसमें न केवल प्रतिवादी द्वारा समय के भीतर परियोजना को चालू नहीं करने के आधार पर पीपीए की समाप्ति शामिल होगी, बल्कि बाद की शर्तों को पूरा न करने से संबंधित पहलू पर भी पुनर्विचार करेगा।प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ इस मुद्दे पर जुड़ेंगे कि उच्च न्यायालय के फैसले को इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि बाद की शर्तों को पूरा न करने से संबंधित मुद्दे पर अदालत ने अक्षय स्वच्छ ऊर्जा में निर्णय के संदर्भ में गुण-दोष पर अपनी घोषणा की।परियोजना को चालू करने में देरी से संबंधित सवाल ही खुला छोड़ दिया गया था।

च

जी.

59. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अपने तर्क को दोहराने के अलावा यह इंगित करेंगे कि पहले का निर्णय नहीं होना चाहिए

एच.

29 (1978) 1 एससीसी 405 ए

57

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

न्यायिक निर्णय के रूप में माना जाता है और अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.06.2018 के फैसले को चुनौती नहीं देने का एकमात्र कारण दी गई स्वतंत्रता थी।उन्होंने आगे कहा कि किसी भी दर पर इस आधार पर कार्यवाही करना कि उच्च न्यायालय बाद की शर्तों को पूरा न करने के मुद्दे पर फिर से विचार नहीं कर सका, उच्च न्यायालय का निर्णय इस अदालत के रास्ते में खड़ा नहीं होगा कि क्या इस मामले में विवादित आदेश जिसमें बाद की शर्तों को पूरा न करने से संबंधित मुद्दा शामिल है, टिकाऊ है।यह इंगित करने के अलावा है कि अक्षय स्वच्छ ऊर्जा के मामले में भी, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि वह उन टिप्पणियों के संबंध में उक्त तर्क के गुणागुण में नहीं जा रहा था जो की गई थीं, अर्थात्, कि ठेकेदार को अपरिहार्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही परियोजना में किए गए भारी निवेश का तथ्य भी।

ग

60. उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय की सामग्री को ध्यान में रखते हुए और दिनांक 2 के समाप्ति नोटिस की शर्तों को भी ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को उक्त न्यायालय के आदेश के आधार पर हस्तक्षेप करने के रूप में माना

जाना चाहिए, जिसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अक्षय स्वच्छ ऊर्जा के मामले में पुष्टि की गई है।हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा समय के भीतर परियोजना को चालू नहीं किए जाने से संबंधित पहलू पर आधारित तर्कों को ध्यान में रखते हुए और आगे स्पष्ट रूप से यह पाते हुए कि विवादित आदेश परियोजना को चालू नहीं किए जाने पर पूर्वनिर्धारित नहीं था, विवादित आदेश को यह पाते हुए दरकिनार कर दिया गया कि समाप्ति बाद की शर्तों को पूरा न करने के संबंध में उचित नहीं थी।इसके बाद स्वतंत्रता दी गई और इसे पी. पी. ए. के संदर्भ में नया आदेश पारित करना पड़ा। हमें आदेश को वैसे ही लेना होगा जैसे वह है और हमारा दृढ़ विचार है कि आदेश का विश्लेषण हमें केवल एक ही निष्कर्ष पर ले जाता है जो यह है कि उच्च न्यायालय का इरादा परियोजना को चालू करने से संबंधित मुद्दे के संबंध में या परियोजना को चालू करने में चूक के मामले में अनुबंध के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए अपीलार्थी के अधिकार को खुला छोड़ने का है।अपीलार्थी को यह तर्क देने की अनुमति देना न तो कानूनी होगा और न ही न्यायसंगत होगा कि बाद की शर्तों को पूरा नहीं करने से संबंधित मुद्दे का फिर से प्रचार किया जा सकता है।

डी.

ई.

च

जी.

एक तरफ**?**

राज्य ऋण वितरण केंद्र **(**जवाब संख्या **5):**इसकी स्थिति और उसी का प्रभाव

एच.

61. प्रत्यर्थी सं. 5 ने इस न्यायालय में एक जवाबी हलफनामा दायर किया।यह बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 32 (2) के तहत कार्य करने के लिए प्रभारित प्राधिकरण होने का दावा करता है।इसकी जिम्मेदारी ग्रिड के माध्यम से संचारित ऊर्जा के खाते को रखते हुए मौजूदा ग्रिड तत्वों और उत्पादन स्टेशनों की निगरानी और नियंत्रण तक सीमित है।यह विशेष रूप से बताता है कि इसकी भूमिका उत्पादन संयंत्र के चालू होने के बाद उभरती है।इसमें आगे कहा गया है कि ग्रिड में बिजली डालने के लिए जनरेटर की तैयारी से पहले की सभी गतिविधियाँ इसके दायरे से बाहर हैं।आगे का रुख यह है कि कोई भी नियामक प्रावधान ग्रिड में बिजली डालने से पहले जनरेटर द्वारा पूर्व-आवश्यक नियामक अनुपालन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। अल्पकालिक खुली पहुंच का संदर्भ है जिसके लिए नियम हैं।ग्रिड से जुड़ने के इच्छुक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के संबंध में, उनमें बिजली डालने से पहले कुछ नियामक आवश्यकताओं का पालन किया जाना है।वे हैं पंजीकरण, डेटा और भाषण संचार सुविधा, इंटरफेस मीटरिंग और स्वचालित मीटर रीडिंग के माध्यम से मीटर डेटा का संचार।

ग

एम. पी. पी. टी. सी. एल. (चौथा प्रतिवादी) द्वारा विधिवत प्रमाणित ग्रिड के साथ संपर्क का संकेत देने वाला एकल रेखा आरेख, जब 132 केवी और उससे अधिक से जुड़ा हो, तो अन्य बातों के साथ-साथ, चौथे प्रतिवादी के साथ कनेक्शन समझौते की प्रति, दीर्घकालिक पहुंच के तहत बिजली की बिक्री के बारे में जानकारी, मध्यम अवधि की खुली पहुंच या अल्पकालिक खुली पहुंच, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 सी के तहत विद्युत योजनाओं और विद्युत लाइनों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए सी. ई. आई. जी. की मंजूरी और बिजली, दूरसंचार और समन्वय समिति (पी. टी. सी. सी.) की मंजूरी।यह आगे कहा गया है कि प्रक्रियाओं के अनुपालन पर यह पहले बिजली निकासी लाइन को चार्ज करने के लिए एक अनूठा कोड जारी करता है।जब लाइन उचित समय के लिए चलती है, तो इंजेक्शन के लिए अद्वितीय कोड जारी किया जाता है। वास्तविक समय उत्पादन की निगरानी की जाती है।यदि यह इंटरफेस मीटर (मुख्य और जांच) द्वारा दर्ज किए गए डेटा से संतुष्ट

है तो एक उत्पादन स्टेशन को चालू माना जाता है।यह प्रक्रिया/प्रतिक्रिया के अनुपालन के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से अनुरोध किए गए 2.12.2015 और 3.11.2016 प्रत्यर्थी संख्या 5 के पत्रों द्वारा इंगित किया गया है।ग्रिड के इंजेक्शन के लिए पंजीकरण के अलावा अनिवार्य दस्तावेज जमा नहीं किए गए थे।सी. ई. आई. जी. की मंजूरी केवल स्विचयार्ड में स्थापित अक्षय ऊर्जा उत्पादन इकाइयों और उपकरणों के लिए है।उत्तरदाता संख्या 1 ने पारेषण लाइन के लिए सी. ई. आई. जी. की मंजूरी प्राप्त नहीं की है।इंटरफेस मीटर, मीटरिंग उपकरणों के विवरण का उल्लेख सी. जी. आई. जी. की रिपोर्ट में नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि मेसर्स न्यू क्लीन एनर्जी सहित अन्य इकाइयाँ सभी नियामक आवश्यकताओं के साथ बिजली की निकासी के लिए तैयार थीं।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

59

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

62. उक्त जवाबी हलफनामे के लिए पहले प्रतिवादी द्वारा दायर जवाब हलफनामे में, यह शिकायत की गई है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने हालांकि पहले की रिट याचिका में और वर्तमान रिट याचिका में भी एक पक्ष ने अगस्त 2017 में पहले प्रतिवादी की तैयारी पर आपत्ति जताते हुए कभी जवाब नहीं दिया।उच्च न्यायालय में विलंबित उत्तर के बारे में कहा गया है कि यह दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है और अपीलार्थी के कहने पर किया गया है।इसके अलावा, पहला प्रतिवादी बताता है कि यह पहले प्रतिवादी का मामला नहीं है कि इसकी परियोजना को चालू किया गया था।इसका मामला यह था कि यह हर तरह से पूर्ण था और 24 महीने की समाप्ति से पहले चालू हो गया होगा, लेकिन दो अवसरों पर अवैध समाप्ति के लिए जैसा कि उल्लेख किया गया है।कुछ विनियामक आवश्यकताओं का पालन न करने के संबंध में, इसके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया जाता है।

ग

63. जहां तक पंजीकरण का संबंध है, यह 15.12.2016 पर पूरा किया गया था।डेटा और भाषण संचार सुविधा के संबंध में, उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा कहा गया है कि यह 23.03.2017 पर पूरा किया गया है।उक्त संचार में, चौथे प्रतिवादी का नाम दिखाने वाले और पांचवें प्रतिवादी का नाम दिखाने वाले लेटरहेड पर, यह कहा गया है कि 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए टेलीमेट्री योजना आम तौर पर क्रम में थी और उसमें निर्धारित चार शर्तों के अधीन कार्यान्वयन के लिए स्वीकार की गई थी। इसके बाद, यह कहा जाता है कि "इसलिए, यह आवश्यक है।

डी.

कि प्रस्तावित बिजली संयंत्र के नियंत्रण केंद्र से बैक अप एस. एल. डी. सी. भोपाल/उप-एल. डी. सी. इंदौर/एस. एल. डी. सी. जबलपुर तक टेलीमेट्री और ध्वनि संचार की व्यवस्था आपके बिजली संयंत्र के समन्वय से पहले की जाए।यह ध्यान दिया जा सकता है कि टेलीमेट्री चालू किए बिना ग्रिड के साथ संयंत्र के समन्वय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई.

और ध्वनि संचार।" यह अधीक्षण अभियंता (एल. डी.) द्वारा हस्ताक्षरित देखा जाता हैःई एंड टी), एसएलडीसी, एम. पी. पी. टी. सी. एल., जबलपुर।जहाँ तक संबंध समझौते की आवश्यकता है, पहले प्रत्यर्थी के उत्तर शपथ पत्र में यह कहा गया है कि ऐसा संबंध समझौता वास्तव में प्रत्यर्थी संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 4 के बीच निष्पादित किया गया था।समझौता दिनांकित 18.05.2017 है।इस मोड़ पर, हम देख सकते हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा एक सुर-प्रत्युत्तर दायर किया गया है।कनेक्शन

समझौते को ध्यान में रखते हुए, जो कुछ भी कहा गया है, वह यह है कि आज तक, प्रतिवादी संख्या 5 को पहले प्रतिवादी द्वारा एक प्रति प्रदान नहीं की गई थी।यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 दो अलग-अलग संस्थाएं हैं और इसलिए, अनुपालन के लिए यह आवश्यक था कि इसे प्रत्यर्थी संख्या 5 को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।हम पहले ही देख चुके हैं कि 23.07.2017 दिनांकित पत्र उसी लेटरहेड पर है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के नाम दिखाए गए हैं और अधीक्षण अभियंता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें अधीक्षक अभियंता के नाम भी हैं।

च

जी.

एच.

60

उत्तरदाता संख्या 4 और 5 उपस्थित होते हैं।यह थोड़ा दिलचस्प और अजीब है कि पांचवें प्रतिवादी को समझौते के बारे में पता नहीं था और उसने इसे एक आवश्यकता के रूप में संदर्भित किया और जैसे कि पहले प्रतिवादी द्वारा इसका पालन नहीं किया गया था।पहले उत्तरदाता ने कहा है कि, ग्रिड के साथ संपर्क का संकेत देने वाले एकल-रेखा आरेख के संबंध में, कि यह 19.10.2016 पर पूरा किया गया था।उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा एक विस्तार की मांग की गई थी, जिसमें उत्तरदाता संख्या 4 को आवश्यक आरेख प्रस्तुत किए गए थे।यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने परियोजना से एसटीयू से जुड़ी पारेषण लाइन को चार्ज करने की अनुमति दे दी है। यह कहा गया है कि आरेखों को भी सी. ई. आई. जी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। सुर-प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थी सं. 5 का उत्तर कि 29.08.2017 दिनांकित पत्र प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा नहीं बल्कि प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा जारी किया गया था।यह स्वीकार किया जाता है कि इसमें कहा गया है कि लाइन चार्ज करने के लिए तैयार है, लेकिन आगे की आवश्यक कार्रवाई, जैसे कि चार्जिंग कोड जारी करना, प्रतिवादी संख्या 5 से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की जानी है।यह फिर से कहा गया है कि उत्तरदाता संख्या 1 ने कभी भी उत्तरदाता संख्या 5 से दिनांकित 29.08.2017 पत्र की प्रति और निकासी लाइन की तैयारी के लिए CEIG अनुमोदन के साथ संपर्क नहीं किया है।यह फिर से कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 प्रत्यर्थी संख्या 4 की एक शाखा या इकाई भी नहीं है।इस तर्क के संबंध में कि पहुंच के लिए बिजली की बिक्री के बारे में जानकारी, जिसमें दीर्घकालिक पहुंच भी शामिल है, पहले प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।यह बताया गया है कि पहले प्रतिवादी ने केवल पी. पी. ए. के अनुसार अपीलार्थी को बिजली की आपूर्ति करने के लिए परियोजना की स्थापना की और उक्त आवश्यकता लागू नहीं थी।

ग

डी.

ई.

64. सुर-प्रत्युत्तर में पाँचवें प्रत्यर्थी ने यह इंगित करते हुए जवाब दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 ग्रिड संचालन के प्रबंधन के लिए और राज्य के भीतर नोडल निकाय है और यह आम तौर पर देखा जाता है कि यदि संयंत्र चालू किया जाता है तो उसे निष्क्रिय नहीं छोड़ा जा सकता है और ग्रिड में बिजली डालने की अनुमति दी जा सकती है, और इस संबंध में, यह उल्लेख किया गया था कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा तीसरे पक्ष की बिक्री की जानी थी ताकि उसके संयंत्र को निष्क्रिय नहीं छोड़ा जा सके, तो यह प्रत्यर्थी संख्या 1 पर बाध्य था कि उसने खुली पहुंच प्राप्त की हो।हम पाते हैं कि पी. पी. ए. के अनुच्छेद 9.8 के अनुसार, पहला प्रतिवादी सी. ओ. डी. से पँचिश साल की अवधि के लिए अनुबंधित क्षमता को बेचने के लिए बाध्य था। विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जो उल्लंघन के मामले में अपीलार्थी को भुगतान किए जाने वाले मौद्रिक मुआवजे के साथ पहले प्रतिवादी के पास जाएंगे।अनुच्छेद 9.7 अपीलार्थी के पँचिश वर्षों के लिए बिजली खरीदने के दायित्व का भी प्रावधान करता है।यह केवल तभी होता है जब अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से, या चूक की स्थिति में, खरीदने से इनकार या असमर्थता थी, जिससे समाप्ति होती है।

च

जी.

एच.

61

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

पहले उत्तरदाता को तीसरे पक्ष को बिजली बेचने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, जिसकी बिक्री को कुछ शर्तों द्वारा विनियमित किया जाना था।

65. एक अन्य आवश्यकता के संबंध में, अर्थात।, विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए सी. ई. आई. जी. की मंजूरी, यह पहले प्रतिवादी का मामला है कि इस तरह की मंजूरी दिनांक 10.08.2017 के पत्र द्वारा प्राप्त की गई थी।इसे प्रत्यर्थी संख्या 4 पर भी चिह्नित किया गया था।विद्युत संयंत्र के लिए सी. ई. आई. जी. की मंजूरी 09.08.2017 पर प्राप्त हुई थी।यह बताया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने भी 24.08.2017 पर एक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि परियोजना से शुल्क लिया जा सकता है।वास्तव में, हम चौथे प्रतिवादी द्वारा जारी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में पाते हैं किः

ग

“मेसर्स स्काई पावर सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 400 केवी पीएस छेगांव से 50 मेगावाट पूलिंग स्टेशन तक नवनिर्मित 132 केवी D.C.D.S लाइन। और मेसर्स स्काई पावर साउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 50 मेगावाट का पूलिंग स्टेशन। गाँव चिरबेल में ई. ई. (ई. एच. टी.-एम.) एम. पी. पी. टी. सी. एल., इंदौर के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया है।24/ 08/2017.संयुक्त निरीक्षण सं. के दौरान कोई भी प्रमुख दोष पाया गया है।आरोप लगाया जा सकता है।"

डी.

(जोर दिया गया) 66।उसी के संबंध में, सुर-प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थी संख्या 5 बताएगा कि यह इस आधार पर भ्रामक और गलत है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यह कहा गया है कि ग्रिड के साथ जुड़ने के लिए 132 केवी डबल सर्किट लाइन की तैयारी के लिए सी. ई. आई. जी. की मंजूरी प्रत्यर्थी संख्या 1 की सहयोगी संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जबकि सहयोगी संस्था के लिए 132 केवी लाइन चार्ज करने के लिए कोड का अनुरोध किया गया था।यह कहा गया है कि 10.08.2017 पर जारी अनुमोदन में, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि दूसरी पंक्ति का उपयोग प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया जाएगा।कहा जाता है कि सी. ई. आई. जी. का दिनांकित 10.08.2017 का पत्र सहयोगी संस्था को संबोधित है।प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में सी. ई. आई. जी. की एक विशिष्ट मंजूरी होनी थी।प्रतिलिपि उत्तरदाता सं. 5 को चिह्नित नहीं की गई थी, बल्कि केवल उत्तरदाता सं. 4 को चिह्नित की गई थी।इसने फिर से दोहराया कि वे दो अलग-अलग इकाइयाँ हैं।

ई.

च

जी.

67. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि 10.08.2017 दिनांकित पत्र प्रतिवादी संख्या 1 की सहयोगी संस्था को संबोधित है, अर्थात।, स्काई पावर सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो संचार का विषय था वह 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए था, और इससे भी अधिक, और यह 132 केवी 'दोहरे' परिपथ संचरण की स्थापना के लिए था।इस सी. ई. आई. जी. रिपोर्ट की यह समझ संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है।

एच.

प्रत्यर्थी संख्या 4 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के रूप में 50 मेगावाट के लिए पी. पी. ए. किया है, और सहयोगी संस्था के पास, जाहिर तौर पर, 50 मेगावाट के लिए पी. पी. ए. था। अंत में, एक अवसर दिए जाने पर भी, यह एक ऐसा मामला है जिसे सी. ई. आई. जी. द्वारा स्पष्ट किया जा सकता था, जिसके लिए कोई अवसर नहीं दिया गया प्रतीत होता है।हम पीपीए के अनुच्छेद 9.1 को ध्यान में रखते हैं। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट से, यह ध्यान में रखते हुए कि 132 केवी लाइन में दोहरे परिपथ थे, एक ही लाइन का उपयोग पहले उत्तरदाता और उसके सहयोगी संस्थान द्वारा किया जाना था।सी. ई. आई. जी. रिपोर्ट दिनांक 10.08.2017 और संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 24.08.2017 के संयुक्त पठन पर यह एकमात्र संभावित अर्थ प्रतीत होता है।हम इस संबंध में दिनांकित 21.04.2018 रिपोर्ट द्वारा भी मजबूत खड़े हैं, जहाँ अन्य बातों के साथ-साथ यह निम्नानुसार कहा गया हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"1. विद्युत संयंत्र से ग्रिड सबस्टेशन तक बिजली निकासी के लिए पारेषण लाइन की वर्तमान स्थिति

132 के. वी. डी. सी. डी. एस. लाइन पूलिंग सबस्टेशन से 400 के. वी. छेगांव (तोरनी) सबस्टेशन के बीच खड़ी पाई गई है। मैसर्स स्काई पावर के पहले से मौजूद 50 मेगावाट के संयंत्र के लिए एक परिपथ का उपयोग किया जाता है और दूसरे परिपथ का उपयोग मैसर्स स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए चिरबेल गांव, जिला में करने का प्रस्ताव है। खंडवा, जिसके लिए स्थल सत्यापन दौरा किया जाता है।"

डी.

68. पाँचवें प्रत्यर्थी के अनुसार अगली आवश्यकता यह थी कि पी. टी. सी. सी. की मंजूरी की आवश्यकता थी।पहले उत्तरदाता ने जवाब में कहा है कि उक्त आवश्यकता 05.09.2017 पर पूरी की गई थी।हम पाते हैं कि चौथे प्रतिवादी के मुख्य अभियंता (खरीद) ने दिनांक 05.09.2017 के संचार में दर्ज किया है कि पी. टी. सी. सी. ने पी. टी. सी. सी. मार्ग अनुमोदन दिया थाः

ई.

"ऊपर बताए गए विषय के संदर्भ में, डी. ई. टी. (पी. टी. सी. सी.), मुंबई ने मेसर्स स्काईपॉवर सोलर इंडिया एंड मेसर्स स्काईपॉवर साउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 400 केवी एस/एस छेगांव से 132 केवी डी. सी. डी. एस. लाइन को चार्ज करने के लिए पी. टी. सी. सी. मार्ग की मंजूरी दे दी है। चिरबेल, जि.खंडवा।"

च

69. पाँचवाँ प्रत्यर्थी, सुर-प्रत्युत्तर में, उसी के जवाब में, यह कहते हुए जवाब देगा कि अनुमोदन देने वाले प्रत्यर्थी संख्या 4 का मतलब यह नहीं था कि यह प्रत्यर्थी संख्या 5 की जानकारी या सहमति से जारी किया गया था।हम केवल खुद को याद दिलाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, प्रतिवादी संख्या 5 ने केवल आवश्यकता No.VIII के खिलाफ कहा था कि पी. टी. सी. सी. के अनुमोदन की आवश्यकता थी। 05.09.2017 दिनांकित पत्र में जो परिलक्षित होता है वह यह है कि A

जी.

एच.

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

डी. ई. टी. [पी. टी. सी. सी.] ने पी. टी. सी. सी. मार्ग को मंजूरी दे दी है।चौथे प्रत्यर्थी द्वारा अनुमोदन नहीं दिया जाता है।हम इस कथन से थोड़ा भ्रमित हैं कि पी. टी. सी. सी. अनुमोदन पाँचवें प्रतिवादी की जानकारी और सहमति के साथ जारी किया जाना चाहिए।

70. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पांचवें उत्तरदाता के इस तर्क के संबंध में कि स्वचालित मीटर रीडिंग (ए. एम. आर.) के माध्यम से मीटर डेटा का इंटरफेस मीटरिंग और संचार होना चाहिए, जो विवरण संयंत्र के चालू होने से पहले एस. एल. डी. सी. को प्रदान किए जाने हैं, पहले उत्तरदाता द्वारा कोई विशिष्ट कथन नहीं है।यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि यह पहली बार है जब पाँचवें प्रतिवादी द्वारा इस तरह की याचिका उठाई जा रही है।यहां तक कि इस आधार पर आगे बढ़ना कि यह एक आवश्यकता थी; इसे चालू करने से पहले प्रदान किया जाना आवश्यक है।यह ऐसा मामला नहीं है, जिसे किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, यदि किसी दोष को दूर करने का अवसर प्रदान किया गया था, जैसा कि हम देखेंगे, अनुच्छेद 9.1 के तहत विचार किया जा सकता है।यह भी सच है कि जहां तक डेटा और भाषण संचार सुविधा की बात है, पहले उत्तरदाता ने दावा किया है कि यह 23.03.2017 पर पूरा किया गया था।हम पहले भी इसका उल्लेख कर चुके हैं।पाँचवें प्रत्यर्थी का रुख यह है कि अनुमोदन है लेकिन यह केवल सिद्धांत रूप में है।यह शिकायत की जाती है कि आज तक, टेलीमेट्री और आवाज संचार काम नहीं कर रहा था, इस तथ्य के बावजूद कि 03.04.2017 दिनांकित पत्र द्वारा, वास्तविक समय डेटा संचार के लिए प्रासंगिक IP पता प्रस्तुत किया गया था।यह आज तक कार्यात्मक नहीं है, पहले प्रतिवादी के मामले में, जबकि, इसकी सहयोगी चिंता के संबंध में, यह कार्यात्मक है।14.10.2021 दिनांकित एक पत्र यह इंगित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि पहले उत्तरदाता की टेलीमेट्री एकीकृत नहीं थी और उसे प्रदान किए गए IP पते से कोई वास्तविक समय डेटा प्राप्त नहीं हुआ था।यहां तक कि इस मामले के संबंध में, यदि अनुच्छेद 9.1 के तहत पहले प्रतिवादी को कानूनी रूप से अवसर दिया जाना था, तो यह कुछ ऐसा नहीं है जो प्राप्त करने योग्य न हो।71. हम पाँचवें प्रतिवादी द्वारा पहली बार इस तरह के मुद्दों को उठाते हुए दायर किए गए हलफनामे के आधार पर भी इन पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।पाँचवें प्रत्यर्थी के पास रिट याचिका में इस तरह की दलीलें उठाने का पूरा अवसर था।यहाँ तक कि पुनरीक्षण याचिका में भी केवल अपीलार्थी की दलीलों को अपनाया जाता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

72. उत्तरदाता सं. के कथन पर जोर दिया जाता है।5 प्रत्यर्थी सं।1 जिसमें यह कहा गया है कि "हालांकि उत्पादन केंद्र बिजली उत्पादन के लिए तैयार है लेकिन पारेषण लाइन के अभाव में बिजली को ग्रिड में नहीं निकाला जा सकता है"।इसे शक्ति उत्पादन के लिए पहले उत्तरदाता की तैयारी की स्वीकृति के रूप में लिया जाता है।यह भी बताया गया है कि आवश्यक मंजूरी पहले ही ले ली गई थी

एच.

पारेषण लाइन के संचालन के लिए दिसंबर 2016 से अगस्त 2017 तक।उत्तरदाता संख्या 1 को कमीशन देने की अनुमति नहीं दी गई थी।रिलायंस को अपीलार्थी की निरीक्षण रिपोर्ट पर भी रखा जाता है ताकि यह दिखाया जा सके कि पारेषण लाइन तैयार थी।अन्य प्रचालक के बारे में उदाहरणों को अप्रासंगिक के रूप में दरकिनार कर दिया जाता है।खुले बाजार में बिजली बेचना जनरेटर का विशेषाधिकार है।

73. प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा एक सुर-प्रत्युत्तर दायर किया जाता है।इसमें, उसने दिलचस्प रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा याचिका में अपना विवरण प्रस्तुत किया है।उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें विद्युत अधिनियम की धारा 32 (2) और उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है।इसके बाद उसने इस प्रकार कहा हैः

ग

"3. कि, विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, एस. एल. डी. सी. की भूमिका उत्पादन संयंत्र और इसकी निकासी संचरण लाइनों के चालू होने के बाद आती है।जनरेटर के चालू होने का प्रमाण पत्र, ग्रिड के साथ संपर्क, मीटरिंग व्यवस्था और अन्य नियामक अनुपालनों की प्राप्ति पर, एस. एल. डी. सी. ग्रिड में बिजली डालने की अनुमति देता है।इसके अलावा, एस. एल. डी. सी. लाभार्थी/उपभोक्ता को जनरेटर की शक्ति निर्धारित करता है यदि खरीदार और विक्रेता के बीच वैध बिजली खरीद समझौता मौजूद है।4. तत्काल याचिका में रिट कार्यवाही मेसर्स स्काई पावर साउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौर उत्पादन संयंत्र के चालू होने के पूरा होने के संबंध में है, जबकि एस. एल. डी. सी. की जिम्मेदारी सौर उत्पादन संयंत्र और अन्य नियामक अनुपालनों के चालू होने के बाद शुरू होती है।विद्युत अधिनियम, 2003 और एम. पी. ई. जी. सी. के प्रावधानों के अनुसार, कमीशनिंग प्रमाणन एस. एल. डी. सी. के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

डी.

ई.

च

6. कि, उत्तर देने वाला प्रत्यर्थी एक औपचारिक प्रत्यर्थी है क्योंकि लिखित कार्यवाही में एम. पी. पी. एम. सी. एल. और मूल याचिकाकर्ता के बीच समझौता किया गया था जो कि मेसर्स स्काई पावर है।"74. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने पैराग्राफ-7 में यह भी कहा है कि यह समीक्षा याचिकाकर्ता, अर्थात् अपीलार्थी द्वारा उठाए गए सभी तथ्यों और आधारों को अपनाता है।75. यह ध्यान दिया जाएगा कि हालांकि प्रतिवादी नहीं।5 पूर्ववर्ती रिट याचिका में उतना ही पक्षकार था जितना कि वह वर्तमान रिट याचिका में पक्षकार है, प्रत्यर्थी सं।5 दोनों में से किसी भी रिट याचिका में कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है।यह केवल समीक्षा याचिका में है कि प्रतिवादी नं।5 जवाब दाखिल किया है और हमने उसके रुख पर ध्यान दिया है।ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औपचारिक उत्तरदाता से अधिक है।इसकी भूमिका ए के बाद ही आती है।

जी.

एच.

65

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

कमीशन।यह इस अदालत में है कि पहली बार इसका मामला पनपा है।प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि यह पूर्व-नियुक्ति से संबंधित नहीं है।यह इसका विशिष्ट रुख है कि बिजली डालने के लिए जनरेटर की तैयारी से पहले की सभी गतिविधियाँ इसके दायरे से बाहर हैं।इसने विशेष रूप से कहा है कि इसकी भूमिका परियोजना को चालू करने के बाद ही आती है।प्रथम उत्तरदाता का कहना है कि उसने परियोजना को चालू नहीं किया है।इसका एकमात्र मामला यह है कि यह पी. पी. ए. में दिए गए प्रावधान के अनुसार 24 महीने के भीतर परियोजना को चालू करने के लिए तैयार था, लेकिन इसे अवैध रूप से ऐसा करने से रोक दिया गया था।

76. हम केवल यह देख सकते हैं कि पाँचवें प्रत्यर्थी के पास, सुर-प्रत्युत्तर में, भेजे गए पत्र के रूप में 23.03.2017 दिनांकित पत्र है।उक्त पत्र चौथे उत्तरदाता के लेटरहेड में है और उसमें पांचवें उत्तरदाता का नाम भी दिखाया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि पाँचवाँ प्रतिवादी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 31 के तहत बनाया गया है।धारा 31 इस प्रकार हैः

ग

"राज्य भार प्रेषण केंद्रों का गठन।—(1) राज्य सरकार इस भाग के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के उद्देश्य से एक केंद्र की स्थापना करेगी जिसे राज्य भार प्रेषण केंद्र के रूप में जाना जाएगा।

डी.

(2) राज्य भार प्रेषण केंद्र का संचालन किसी सरकारी कंपनी या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निगम द्वारा किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता हैः

ई.

बशर्ते कि जब तक किसी सरकारी कंपनी या किसी प्राधिकरण या निगम को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक राज्य पारेषण उपयोगिता राज्य भार प्रेषण केंद्र का संचालन करेगीःबशर्ते कि कोई भी राज्य भार प्रेषण केंद्र बिजली के व्यापार के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा।"

च

77. इसलिए, हमें यह प्रतीत होता है कि वास्तव में पांचवें प्रत्यर्थी को राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा संचालित किया जाना है, जिसे धारा 2 (67) में बोर्ड (राज्य विद्युत बोर्ड के रूप में परिभाषित) या धारा 39 (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जब तक कि यह किसी सरकारी कंपनी या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निगम द्वारा संचालित न हो। इसलिए, हमें यह प्रतीत होगा कि यदि चौथा उत्तरदाता राज्य संचरण उपयोगिता है, तो यह पांचवें उत्तरदाता को संचालित करने वाला निकाय होगा।पाँचवें उत्तरदाता को अलग करने का प्रयास

जी.

एच.

चौथा प्रतिवादी, हमें बिना किसी औचित्य के प्रतीत होता है।लेकिन हम इस मामले को वहीं छोड़ देते हैं।हम लगभग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया था।मीटरिंग अनुरोध और डेटा प्रस्तुत करने के बारे में पहलू बने रहे।वे स्पष्ट रूप से ऐसे मामले प्रतीत होते हैं जिन्हें किसी भी दर पर ठीक किया जा सकता था यदि एक डिफ़ॉल्ट नोटिस दिया गया था।

नैरेटिव परिणाम

78. इस मोड़ पर, हमें कुछ अवलोकन करने चाहिए।जबकि कानून राज्य द्वारा निर्णय लेने और संविदात्मक मामलों में भी इसके साधनों में हस्तक्षेप करने वाले रिट अदालतों के लिए अनुबंध उधार देने के आधार में से एक के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण से विकसित हुआ है, कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हम वास्तव में पहले ही सामान्य रूप से देख चुके हैं।हम पहले ही पा चुके हैं कि विचाराधीन अनुबंध, यानी पी. पी. ए., एक वैधानिक अनुबंध नहीं है।हमने यह भी देखा है कि भले ही यह एक गैर-सांविधिक अनुबंध हो, लेकिन किसी अनुबंध के काम करने के दौरान भी राज्य या उसके उपकरणों द्वारा किए गए कार्यों या चूक के आधार पर कार्रवाई के कारण से निपटने में कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।हम फिर से दोहराते हैं कि एक अनुबंध से उत्पन्न होने वाले मौद्रिक

दावे का एक रिट आवेदक द्वारा सफलतापूर्वक आग्रह किया जा सकता है, लेकिन आधार केवल अनुबंध का उल्लंघन नहीं होगा। सार्वजनिक कानून का हिस्सा होने के नाते मामले को निर्णय को दूषित करने वाली मनमानेपन के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। यह मामला तथ्य परिदृश्य के वास्तविक रूप से विवादित प्रश्न के दायरे में नहीं आना चाहिए।विवाद जो उन दस्तावेजों की उचित समझ पर हल करने में सक्षम होना चाहिए जो विवाद में नहीं हैं, एक रिट अदालत में कार्रवाई का कारण प्रस्तुत कर सकते हैं। एबीएल (उपरोक्त) में ऐसा ही हुआ था।यह मुकदमा किस बारे में है?यह मुकदमा मौद्रिक दावे को लागू करने के बारे में नहीं है।रिट याचिका अनुबंध की समाप्ति को चुनौती देती है।अनुबंध की समाप्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है, फिर से प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है यदि यह मनमानेपन के दुष्प्रभाव से पीड़ित पाया जाता है।हस्तक्षेप को फिर से अस्वीकार किया जा सकता है यदि अदालत को पता चलता है कि मामला वास्तव में अस्पष्ट रूप के साथ छोटे क्षेत्र से संबंधित है जहां इसे एक निजी कानून विवाद के रूप में विनियोजित किया जा सकता है।सार्वजनिक कानून और निजी कानून के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से लगभग अदृश्य शब्दों तक कम हो गया है, लेकिन कानून में अंतर बना हुआ है।जहाँ तक सार्वजनिक कानून के पहलू का संबंध है, हम यह विचार रखने के लिए इच्छुक हैं कि श्री विद्यार्थी लेख (ऊपर) में जो निर्धारित किया गया है, उसे देखते हुए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा तथ्यों में संविदात्मक मामले में कार्रवाई का प्रभाव सार्वजनिक रूप से महसूस किया जाता है।हम अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने के अधिकार से संबंधित अनुबंध को समाप्त करने और उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति करने के लिए अपीलार्थी की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।बिजली की आपूर्ति और इसका ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

67

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

उपभोग न केवल आम आदमी के लिए बल्कि व्यापार और उद्योग के कुशल संचालन के लिए भी अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं।इस क्षेत्र में लिए गए निर्णय जनहित को प्रभावित करते हैं।इसलिए, हम इस मामले में पहले प्रतिवादी के लिए दरवाजे बंद करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे।हम यह भी ध्यान में रखते हैं कि यह मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पहले दौर में, पहला उत्तरदाता सफल रहा।79. यह पाए जाने के बाद कि हालांकि एक गैर-सांविधिक अनुबंध है और न्यायिक समीक्षा के खिलाफ कोई पूर्ण निषेध नहीं है कि कार्रवाई मनमाना दिखाई गई है, वे प्रश्न जो आगे विचार के लिए आते हैं:(1) क्या कार्रवाई मनमाना है (2) तथ्यों के अनुमानित विवाद और उनका प्रभाव; (3) इस सिद्धांत का क्या प्रभाव है कि रिट अदालत के हस्तक्षेप के लिए रिट आवेदक के पक्ष में भारी जनहित होना चाहिए।

ग

'ओवरहेल्मिंग पब्लिक इंटरेस्ट' का तर्क

80. इस मामले में भारी जनहित के मौजूद नहीं होने पर आधारित मामला विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर आधारित है।यह इंगित किया गया है कि पी. पी. ए. के तहत, यदि अपीलकर्ताओं को विवादित फैसले का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है और वह भी पच्चीस साल की अवधि के लिए, तो यह रुपये की दर से बिजली खरीदने के लिए उत्तरदायी होगा। 5.109-इकाई।दूसरी ओर, यदि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, तो कोई दायित्व और परिणामी बोझ नहीं होगा।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी अंतिम उपभोक्ताओं पर बोझ डालने के लिए मजबूर होगा।यह सब उस परिदृश्य में देखा जाना चाहिए, जब बाजार में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो।

दूसरे शब्दों में, जनहित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के पक्ष में नहीं है।उच्च न्यायालय ने इस तर्क के मूल सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखते हुए गलती की।अपीलार्थी ने भरोसा किया कि

डी.

ई.

च

अखिल भारतीय पावर इंजीनियर फेडरेशन और अन्य बनाम सासण में निर्णय

पावर लिमिटेड और अन्य 30, इस प्रस्ताव के लिए कि न्यायालय को सार्वजनिक हित के प्रति सचेत रहना चाहिए, जिसमें अंततः उपभोक्ताओं का हित शामिल है।

जी.

81. इसके विपरीत, प्रथम प्रत्यर्थी का निवेदन है कि न्यायालय को कुछ तथ्यों से अनजान नहीं होना चाहिए।प्रथम उत्तरदाता के मामले में प्रति इकाई दर रु। 5.109 प्रति इकाई।दूसरे के बारे में

30 (2017) 1 एस. सी. सी. 487

एच.

परियोजना, जहाँ पी. पी. ए. को पहले उत्तरदाता की एक सहयोगी संस्था के साथ प्रवेश किया गया था, परियोजना की कीमत रु। 5.298 प्रति इकाई।परियोजना चालू हो गई है।शुल्क अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर तय किया गया था।वास्तव में 183 बोलियां थीं।यह आगे तर्क दिया जाता है कि पहले प्रतिवादी की बोली प्रतिस्पर्धी बोली में सबसे कम पाई गई थी। अपीलार्थी, वास्तव में, कम से कम 5 जनरेटरों से उच्च शुल्क पर बिजली खरीद रहा है, जिन्होंने वर्ष 2017-2018 में अपनी परियोजनाओं को चालू किया।यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की दैनिक मांग लगभग 15000 मेगावाट है।प्रथम उत्तरदाता की परियोजना की मात्रा केवल 50 मेगावाट है, जो कुल मांग का 0.33 प्रतिशत है।पी. पी. ए. के तहत दर के संदर्भ में इतनी कम क्षमता की खरीद से उपभोक्ता शुल्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।यह एक बाध्यकारी अनुबंध को रद्द करने के लिए अपीलार्थी को समर्थन देने के अलावा है, जिसमें राज्य की मनमानी कार्रवाई के लिए इनाम तक पहुंचना शामिल है, इसके अलावा, Rs.331 करोड़ के निवेश को नष्ट करना शामिल है।इस संबंध में, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र शहर और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम शिशिर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 31 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है।यह बताया गया है कि सार्वजनिक हित को केवल मौद्रिक विचारों के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

ग

डी.

82. जहाँ तक ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन (ऊपर) की बात है

वास्तव में, न्यायालय सिविल अपीलों पर विचार कर रहा था, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत दायर की गई थीं।जनहित के बारे में सवाल अनुबंध में प्रावधान के संदर्भ में उत्पन्न हुआ, जिसमें छूट का प्रावधान किया गया था, जो पीपीए के अनुच्छेद 18.3 के तहत एक एकतरफा कार्य होगा।न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 63 के प्रभाव पर भी चर्चा की।न्यायालय ने छूट और जनहित पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दियाः

ई.

च

“21. उपरोक्त निर्णयों के संबंध में, यह स्पष्ट है कि जब अनुबंध के क्षेत्र में छूट की बात की जाती है, तो अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 63 शासित होती है।लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि छूट एक ज्ञात अधिकार का जानबूझकर त्याग है, और इसलिए, जब तक कि किसी पक्ष को पूरी तरह से ज्ञात अधिकार को छोड़ने का स्पष्ट इरादा नहीं है, तब तक किसी पक्ष को इसे माफ करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती।यह भी स्पष्ट है कि यदि जनहित का कोई तत्व शामिल है और किसी समझौते के पक्षों में से किसी एक द्वारा छूट दी जाती है, तो ऐसी छूट को लागू नहीं किया जाएगा यदि

जी.

31 (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 1141 ए

एच.

69

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

यह इस तरह के जनहित के विपरीत है।यह निम्नलिखित अधिकारियों के पढ़ने से स्पष्ट है।

XXX

XXX

XXX

25. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि इसमें सार्वजनिक हित का कोई तत्व शामिल है, तो अदालत किसी भी छूट को विफल करने के लिए कदम उठाती है जो ऐसे सार्वजनिक हित के विपरीत हो सकती है।"

83. उक्त मामले में, अदालत ने आगे कहा कि जिस क्षण बिजली शुल्क प्रभावित होता है, उपभोक्ता हित प्रभावित होता है और सार्वजनिक हित प्रभावित होता है और इसके अलावा बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 61 से 63 में इसके लिए एक वैधानिक मान्यता है।इसलिए, यह निर्णय, हालांकि एक सांविधिक अपील के संदर्भ में, निर्धारित किया गया है कि शुल्क में उपभोक्ता का हित सार्वजनिक हित के साथ जुड़ा हुआ है।84. दूसरी ओर, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र शहर और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अनुबंध देने के प्रश्न से जुड़े मामले पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दियाः

ग

डी.

“58. जब किसी अनुबंध का मूल्यांकन किया जा रहा होता है, तो सार्वजनिक खजाने में अधिक धन की संभावना अपने आप में सार्वजनिक हित की सेवा नहीं करती है।सार्वजनिक धन के नुकसान का दावा करने वाले राज्य के एक व्यापक दावे का उपयोग संविदात्मक दायित्वों को छोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब यह किसी भी साक्ष्य या परीक्षा पर आधारित नहीं हो।अनुबंधों को बनाए रखने का व्यापक सार्वजनिक हित और सार्वजनिक प्राधिकरणों की निष्पक्षता भी खेल में है।न्यायालयों को ऐसे अनुबंधों की समीक्षा करते समय जनहित की व्यापक समझ होनी चाहिए।"

ई.

85. वास्तव में, जनहित के सिद्धांत को उन मामलों में अभिव्यक्ति मिली है जिनमें पुरस्कार की वैधता को चुनौती दी गई है।

च

अनुबंध।[इस संबंध में टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ (1994) 6 देखें।

एस. सी. सी. 651 32 (ऊपर) और रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनामआई. वी. आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य, (1999) 1 एस. सी. सी. 492।

86. मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 33 में टाटा सेल्युलर और रौनक इंटरनेशनल का उल्लेख करने के बाद

जी.

सीमित (ऊपर), न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- "35. जैसा कि पहले देखा गया है, न्यायालय आम तौर पर नीतिगत निर्णय और निर्णय को चुनौती देने वाले मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

32 (2017) 1 एससीसी 487 33 (2012) 8 एससीसी 216

एच.

राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुबंध।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि यह जनहित के विपरीत था और भेदभाव या अनुचित के दायरे से परे था।"

87. रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनामआई. वी. आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

और अन्य 34 मामले में थर्मल पावर स्टेशन के उद्देश्य के लिए अनुबंध का अधिनिर्णय शामिल था।वास्तव में, इस अदालत में अपील उस अपीलार्थी के खिलाफ एक अंतरिम आदेश के अनुदान के खिलाफ रखी गई थी जिसे अनुबंध दिए गए थे।इस मामले में उन मानदंडों में छूट भी शामिल थी जो वैध सिद्धांतों पर आधारित थे।यह भी पाया गया कि विवाद के कारण दो ताप विद्युत इकाइयों का निर्माण रुका हुआ था।न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"9. हालाँकि, क्योंकि राज्य या कोई सार्वजनिक निकाय या राज्य की कोई एजेंसी ऐसा अनुबंध करती है, किसी दिए गए मामले में, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन में भी सार्वजनिक कानून या सार्वजनिक हित का कोई तत्व शामिल हो सकता है।

डी.

10. लोक हित के तत्व इस प्रकार हैंः(1) सार्वजनिक धन अनुबंध के उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाएगा।(2) जिन वस्तुओं या सेवाओं को चालू किया जा रहा है, वे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो सकते हैं, जैसे कि सड़कों, सार्वजनिक भवनों, बिजली संयंत्रों या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं का निर्माण।(3) जनता अनुबंध को समय पर पूरा करने में सीधे रुचि लेगी ताकि सेवाएं जनता के लिए तेजी से उपलब्ध हो सकें।(4) निविदाकार द्वारा किए गए कार्य या आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता में भी जनता की रुचि होगी।काम या वस्तुओं की खराब गुणवत्ता भारी सार्वजनिक कठिनाई और पर्याप्त वित्तीय परिव्यय का कारण बन सकती है या तो गलतियों को सुधारने में या दोषों को सुधारने में या यहां तक कि कभी-कभी पूरे काम को फिर से करने में- इस प्रकार सार्वजनिक धन का बड़ा परिव्यय शामिल होता है और सेवाओं, सुविधाओं या वस्तुओं की उपलब्धता में देरी होती है, उदाहरण के लिए, एक बिजली परियोजना को चालू करने में देरी, जैसा कि वर्तमान मामले में है, बिजली की कमी, औद्योगिक विकास की मंदता, आम जनता के लिए कठिनाई और पर्याप्त लागत वृद्धि का कारण बन सकती है।

ई.

च

जी.

11. जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या राज्य द्वारा किसी अनुबंध के अधिनिर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है, तो न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि इसमें जनहित का कुछ तत्व है।

34 (1999) 1 एससीसी 492 ए

एच.

71

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

इस तरह की याचिका पर विचार करने में शामिल।उदाहरण के लिए, यदि विवाद विशुद्ध रूप से दो निविदाकारों के बीच है, तो अदालत को यह देखने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि क्या मुकदमे में जनहित का कोई तत्व शामिल है।दो निविदाकारों द्वारा दी गई कीमतों में केवल अंतर यह तय करने में निर्णायक हो सकता है या नहीं कि इस तरह के वाणिज्यिक लेनदेन में हस्तक्षेप करने में कोई सार्वजनिक हित शामिल है या नहीं।अनुबंध देने के लिए कीमत हमेशा एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती है।"

88. इसलिए, मामले के कानून के संदर्भ में, हम पाते हैं कि भारी जनहित की अवधारणा अनिवार्य रूप से राज्य द्वारा अनुबंध के पुरस्कार से संबंधित मामलों के संदर्भ में विकसित हुई है।इस प्रश्न में यह एक महत्वपूर्ण विचार बन जाता है कि क्या राज्य अपने जोड़ों में जो भी स्वतंत्र खेल है, उसके साथ एक अनुबंध देने का निर्णय लेता है, मामले को रोकने के लिए या उसमें हस्तक्षेप करने के लिए सार्वजनिक हित को नुकसान के बारे में सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।हम आगे यह नहीं कहते हैं कि जब न्यायालय किसी अनुबंध के तहत दावे को अस्वीकार करने या अनुबंध की समाप्ति में उस मामले से संबंधित मामले से निपटता है तो जनहित पर विचार करना अदालत के दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए।हालांकि, बाद की श्रेणियों के मामलों में एक गुणात्मक अंतर है।एक बार जब राज्य अनुबंध में प्रवेश करता है, तो अधिकार बनाए जाते हैं।यदि मामला संवैधानिक न्यायालय में लाया जाता है और उसे इस आधार पर राज्य की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि उसकी कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना है, यदि कार्रवाई ऐसी पाई जाती है तो प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर जनहित की अपील को देखा जाना चाहिए।यदि लोकहित का पहलू पूरी तरह से इस आधार पर प्रवाहित होता है कि अनुबंध में सन्निहित दरें जो मनमाने ढंग से समाप्त की जाती हैं, समय के साथ राज्य के लिए कम आकर्षक हो जाती हैं या बाजार की ताकतों या अन्य विकासों के स्वतंत्र खेल के कारण, सेवाओं या वस्तुओं की कीमत की दर में गिरावट आती है, तो यह इस सवाल का निर्धारक नहीं बन सकता है कि क्या अदालत को अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करना चाहिए।इस मामले में, यह उल्लेखनीय है कि दरें वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर तय की गई थीं और जिसमें 182 बोलीदाताओं ने भाग लिया था और पहले उत्तरदाता द्वारा दी गई दर निस्संदेह सबसे कम थी।यह तथ्य कि बाद में बाजार में बिजली सस्ती हो गई है, इसके परिणामस्वरूप पहले प्रतिवादी की शिकायत का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, यदि यह पाया जाता है कि पहले प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट मनमानेपन का मामला स्थापित किया गया है।89. दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक हित को केवल मौद्रिक लाभ या हानि के मूल्यांकन के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

अंक सं। **6-8** और **10**

90. पी. पी. ए. के प्रासंगिक खंडों पर करीब से नज़र डालने का अब समय आ गया है। अनुच्छेद 2 कमीशन से पहले की गतिविधियों से संबंधित है।अनुच्छेद 2 प्रतिवादी द्वारा बाद की शर्तों की संतुष्टि से संबंधित है।खंड 2।1 विचार करता है कि प्रतिवादी को उन सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए जो प्रभावी तिथि से 210 दिनों के भीतर अपनी लागत और जोखिम पर निर्धारित की गई हैं।केवल दो अपवाद 'बल प्रयोग' थे या यदि बाद की किसी भी शर्त को अपीलार्थी द्वारा विशेष रूप से लिखित रूप में माफ कर दिया गया था।बाद की शर्तों को पूरा न करने के परिणामों से अनुच्छेद 2 में निपटा गया है जो बाद की शर्तों को पूरा करने में बाधा डालने वाले बल प्रयोग से संबंधित है।अनुच्छेद 2.2।2 वास्तव में बशर्ते कि अनुच्छेद 2 के तहत उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के लिए समय अवधि में किसी भी वृद्धि से निर्धारित कमीशनिंग तिथि में समान विस्तार भी होगा।अनुच्छेद 2.5 में बाद की शर्तों को प्राप्त करने में देरी का प्रावधान किया गया है।अनुच्छेद 2.5।1 इस प्रकार पढ़ता हैः

ग

डी.

" 2.5.1.खंड 2 (ए से एच) के तहत बाद की किसी भी शर्त को प्राप्त करने में देरी के मामले में, जो लागू हो सकता है, एम. पी. पी. एम. सी. एल. सी. पी. जी. (विक्रेता द्वारा जमा की गई) को नकद करेगा। 30 लाख/मेगावाट) के तहत, बल आकस्मिकता के अधीनः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

क) 0 से 3 महीने की देरी-1 प्रतिशत प्रति सप्ताह।

ई.

ख) उपरोक्त (क) के अलावा, 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए 3 से 6 महीने की देरी-2 प्रतिशत प्रति सप्ताह।

ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अलावा, 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए 6 से 9 महीने-3 प्रतिशत प्रति सप्ताह की देरी।

च

घ) 9 महीने से अधिक की देरी के मामले में, एम. पी. पी. एम. सी. एल. पी. पी. ए. को समाप्त कर देगा और सी. पी. जी. की शेष राशि जारी करेगा।

91. इसके बाद, पी. पी. ए. चालू करने के पहलू से संबंधित है।अनुच्छेद 2.6 कमीशनिंग से संबंधित है और यह निम्नानुसार हैः

" 2.6.आयोग

जी.

50 मेगावाट तक की क्षमता वाली सौर परियोजना के मामले में, संयंत्र का चालू होना वित्तीय रूप से बंद होने की तारीख से 12 महीने के भीतर होगा।50 मेगावाट से अधिक और 100 मेगावाट तक की क्षमता वाली सौर परियोजना के मामले में, संयंत्र का चालू होना वित्तीय बंद होने की तारीख से 15 महीने के भीतर होगा, बशर्ते कि

एच.

100 मेगावाट से अधिक क्षमता के लिए, चालू करने की अवधि वित्तीय बंद होने की तारीख से 18 महीने के भीतर होगी, बशर्ते कि यह बल Majeure.1 हो।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता के मामले में, नीचे उल्लिखित पी. पी. ए. का प्रावधान लागू होगाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

एम. पी. पी. एम. सी. एल. सी. पी. जी. को निम्नलिखित तरीके से चालू नहीं की गई क्षमता के लिए नकदी प्रदान करेगा, बशर्ते कि दुर्घटना हो जाएः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

क) 0 से 3 महीने की देरी-1 प्रतिशत प्रति सप्ताह।

ख) उपरोक्त (क) के अलावा, 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए 3 से 6 महीने की देरी-2 प्रतिशत प्रति सप्ताह।

ग

ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अलावा, 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए 6 महीने से अधिक की देरी-3 प्रतिशत प्रति सप्ताह।

पार्ट कमिशनिंगः सौर पी. वी. परियोजनाओं के मामले में, परियोजना के आंशिक चालू होने को एम. पी. पी. एम. सी. एल. द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाएगा कि आंशिक चालू होने की स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता 5 मेगावाट होगी। या 5 मेगावाट के गुणक में सी. ओ. डी. का अर्थ है बिजली परियोजना की केवल इकाइयों (इकाइयों) के चालू होने की तारीख जहां विक्रेता बिजली परियोजना की पूर्ण अनुबंधित क्षमता से वितरण बिंदु तक बिजली का इंजेक्शन लगाना शुरू कर देता है; जैसा कि ट्रांसको/डिस्कॉम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।पी. पी. ए. सी. ओ. डी. से 25 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा। 92. अन्य लेख भी हैं जिन्हें हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है।अनुच्छेद 3 खुली पहुंच के तहत आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 3.1।1 यह नीचे लिखा हैः

डी.

ई.

च

“ 3.1.1.गाँव बेद्स्या, ताई में स्थित विक्रेता द्वारा स्थापित 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना (पी. वाई./तापीय प्रौद्योगिकी) के माध्यम से उत्पन्न बिजलीःखंडवा, जिलाःखंडवा, राज्यःमध्य प्रदेश को एम. पी. पी. एम. सी. एल. को बिक्री के लिए इंजेक्शन पॉइंट पर देशगांव में स्थित 33 केवी/ई. एच. वी. सबस्टेशन के 33 केवी या उससे ऊपर की ओर ट्रांसको/डिस्कॉम की संचरण/वितरण प्रणाली में इंजेक्ट किया जाएगा, बशर्ते विक्रेता द्वारा नियमों और शर्तों और सुरक्षा योजनाओं को पूरा किया जाए जैसा कि संबंधित द्वारा अनुमोदित है।

जी.

ट्रांस्को/डिस्कॉम।

3.1.2.विक्रेता ट्रांस्को/डिस्कॉम के ग्रिड के समानांतर सौर ऊर्जा संयंत्र को आपस में जोड़ना और संचालित करना सुनिश्चित करेगा।

एच.

इस समझौते के नियमों और प्रावधानों के अधीन उत्पादन इकाई) प्रणाली के स्थान का क्षेत्र।विक्रेता कानून द्वारा आवश्यक किसी भी या सभी लाइसेंस और अनुमतियों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।विक्रेता केंद्र सरकार या राज्य सरकार या आयोग या स्थानीय प्राधिकरण या विक्रेता की परियोजना से जुड़े कानून के तहत निर्धारित किसी भी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी कानून, नियमों, विनियमों या किसी भी अधिसूचना या आदेश का पालन करेगा।

विक्रेता मानक उपयोगिता प्रथाओं, प्रासंगिक तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

ग

ख) मध्य प्रदेश राज्य में स्थित बिजली संयंत्र के लिए, विक्रेता द्वारा रखी गई बिजली निकासी अवसंरचना संबंधित लाइसेंसधारी (ट्रांस्को/डिस्कॉम) की संपत्ति होगी, जिसके क्षेत्रीय क्षेत्र में उपरोक्त लाइनें स्थित हैं-इस तथ्य के बावजूद कि उक्त अवसंरचना की लागत का भुगतान विक्रेता द्वारा किया गया है और वही।इसके बाद संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा इसकी लागत पर रखरखाव किया जाएगा।बाद में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित लाइसेंसधारी के साथ इस संबंध में एक अलग हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

डी.

3.1.3.विक्रेता आवश्यकतानुसार सभी वैधानिक और गैर-वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त करेगा।मध्य प्रदेश राज्य के बाहर से बिजली की आपूर्ति करने वाले विक्रेता को केंद्र और राज्य नियामकों के प्रासंगिक नियमों के अनुसार, राज्य या क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और/या राज्य/केंद्रीय पारेषण उपयोगिताओं से दीर्घकालिक खुली पहुंच अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।"93. अनुच्छेद 4 प्रणाली संचालन से संबंधित है।अनुच्छेद 4.2 प्रणाली के संचालन और समय-निर्धारण से संबंधित है।हम अनुच्छेद 4.2 को देख सकते हैं।1 और 4.2।4.“ 4.2.1.यदि परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है तो सिस्टम संचालन, बिजली लेखांकन, समय निर्धारण आदि के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्र नोडल एजेंसी होगी। एम. पी. ई. आर. सी. द्वारा अनुमोदित एस. एल. डी. सी. के शत्रु और शुल्क विक्रेता द्वारा एस. एल. डी. सी. को देय होंगे। यदि प्रणाली किसी अन्य राज्य में स्थित है, तो विक्रेता को विशेष एस. एल. डी. सी. आई. आर. एल. डी. सी. के नियमों का पालन करना होगा और शुल्क और शुल्क विक्रेता द्वारा तदनुसार देय होंगे।” “ 4.2.4.राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/डी. वी. सी. के एस. एल. डी. सी./नियंत्रण केंद्र, जिनमें सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, 15 मिनट का ब्लॉक-ए प्रदान करेंगे।

ई.

च

जी.

एच.

75

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

एस. एल. डी. सी. आई. आर. एल. डी. सी./एन. एल. डी. सी. की आवश्यकता के अनुसार साप्ताहिक आधार पर संबंधित आर. एल. डी. सी. और एन. एल. डी. सी. को ऊर्जा मीटरों में दर्ज सौर ग्रिड से जुड़े बिजली संयंत्र से अनुसूची और वास्तविक उत्पादन का बुद्धिमान डेटा। सभी आंकड़े एन. एल. डी. सी. द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

94. अनुच्छेद 4.3 खुली पहुंच से संबंधित है।अनुच्छेद 5.1 वाणिज्यिक संचालन तिथि (सी. ओ. डी.) से संबंधित है।समझौते में सी. ओ. डी. को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है बिजली परियोजना की अंतिम इकाई (इकाइयों) के चालू होने की तारीख, जिसके बाद विक्रेता बिजली परियोजना की पूर्ण अनुबंधित क्षमता से वितरण बिंदु तक बिजली का इंजेक्शन लगाना शुरू

कर देता है, जैसा कि ट्रांस्को/डिस्कॉम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। डिस्कॉम को मध्य प्रदेश राज्य में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए एक वितरण प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए अधिकृत एक लाइसेंसधारी के रूप में परिभाषित किया गया है।अनुच्छेद 5.1 निम्नानुसार हैः

ग

" 5.1.वाणिज्यिक संचालन तिथि

संयंत्र के वाणिज्यिक संचालन की तारीख का अर्थ बिजली परियोजना की अंतिम इकाई (इकाइयों) के चालू होने की तारीख से होगा, जब विक्रेता बिजली परियोजना की अनुबंधित क्षमता से बिजली का इंजेक्शन लगाना शुरू कर देता है, जैसा कि ट्रांसको/डिस्कॉम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

डी.

अनुबंधित क्षमता के प्रत्येक भाग के चालू होने और सी. ओ. डी. के बाद, ट्रांस्को/डिस्कॉम द्वारा प्रमाणित चालू होने का प्रमाण पत्र बिजली खरीद समझौते के अनुलग्नक-XII के रूप में संलग्न किया जाएगा।

ई.

तथापि, संयंत्र के आंशिक चालू होने को खंड 2.6 में निर्धारित के अनुसार स्वीकार किया जाएगा और उसी से आपूर्ति की गई ऊर्जा को बिलिंग और ऐसी चालू इकाइयों से आपूर्ति की गई ऊर्जा के भुगतान के लिए विचार किया जाएगा।"

च

95. अनुच्छेद 5.2।यह पूर्व-वाणिज्यिक संचालन से संबंधित है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि डिस्कॉम बिना किसी शुल्क के संयंत्र के परीक्षण के दौरान एसटीयू/सीटीयू के माध्यम से उत्पादित सभी बिजली लेगा।इसके बाद 5.3 वाणिज्यिक संचालन की सूचना से संबंधित है।वह इस प्रकार हैः- " 5.3 वाणिज्यिक कार्यों की सूचनाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

विक्रेता एमपीपीएमसीएल को एक लिखित सूचना में निर्दिष्ट करेगा किः

एच.

क) संयंत्र का निर्माण इस समझौते के अनुसार किया गया है और यह इसकी शर्तों के अनुसार सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए तैयार है;

ख) इस समझौते के तहत निर्दिष्ट दरों और शर्तों पर सौर ऊर्जा बेचने के लिए संयंत्र के लिए आवश्यक सभी अनुमतियाँ और अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं और

ग) संयंत्र से सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी इंटरकनेक्शन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इस तरह की सूचना प्रभावी होगी और वाणिज्यिक संचालन तिथि ट्रांस्को/डिस्कॉम की इस घोषणा के बाद प्राप्त की जाएगी कि इस अनुच्छेद में निर्धारित सभी शर्तों को एसटीयू/सीटीयू/एमपीपीएमसीएल/ट्रांस्को/डिस्कॉम द्वारा संतुष्ट या माफ कर दिया गया

है अर्थातः क) विक्रेता ने निर्माता की सिफारिशों के अनुसार संयंत्र का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और विक्रेता ने जी. ओ. एम. पी. के विद्युत निरीक्षणालय या किसी अन्य राज्य सरकार की अधिकृत एजेंसी से एस. टी. यू./सी. टी. यू./ट्रांसको/डिस्कॉम प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं और उन्हें प्रदान किए हैं, और एस. टी. यू./ट्रांसको/डिस्कॉम के अधिकारी जिन्हें नामित किया जा सकता है; यदि परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। यदि परियोजना मध्य प्रदेश के बाहर स्थित है, तो संबंधित राज्य के संबंधित प्राधिकरण से इसी तरह के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं।

ग

डी.

ई.

ख) विक्रेता ने ट्रांसको/डिस्कॉम को संयंत्र के उपकरणों की एक सूची प्रदान की है, जिसमें निर्माण, मॉडल, क्रम संख्या और संयंत्र की स्थापित क्षमता को प्रमाणित किया गया है;

च

ग) संयंत्र ने ट्रांस्को/डिस्कॉम/एसटीयू/सीटीयू ग्रिड प्रणाली के साथ प्रारंभिक समन्वय प्राप्त किया है और एसटीयू/सीटीयू/ट्रांस्को/डिस्कॉम के साथ अपनी संचार प्रणालियों और संचार की विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया है;

जी.

घ) विक्रेता ने किसी भी परस्पर जुड़े सिस्टम पर किसी भी असामान्य या असुरक्षित संचालन स्थितियों का अनुभव किए बिना संयंत्र का संचालन किया है;

ङ) विक्रेता ने एम. पी. पी. एम. सी. एल./ट्रांसो/डिस्कॉम/एस. टी. यू./सी. टी. यू. को भी 30 दिन पहले सूचित कर दिया होगा।

एच.

77

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

खंड 1 में निर्धारित सभी अनुवर्ती शर्तों को पूरा करने की वाणिज्यिक संचालन तिथि तक और एम. पी. पी. एम. सी. एल. इसे सत्यापित करेगा और विक्रेता द्वारा इस संबंध में प्रदान किए गए दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों, अनुमोदनों आदि को स्वीकार करते हुए विक्रेता को इस संबंध में एक लिखित समर्थन प्रदान करेगा।"

प्रत्यर्थी अपीलार्थी को यह सूचित करने के लिए कर्तव्यबद्ध था कि संयंत्र का निर्माण पी. पी. ए. के अनुसार किया गया है और यह सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए तैयार है और समझौते के तहत दरों और शर्तों पर बिजली बेचने के लिए सभी अनुमतियाँ और अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं और संयंत्र से सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी अंतर-कनेक्शन सुविधाएं उपलब्ध हैं।पी. पी. ए. आगे विचार करता है कि उक्त सूचना प्रभावी होगी और सी. ओ. डी. ट्रांस्को/डिस्कॉम पर यह घोषणा करने पर प्राप्त की जाएगी कि इस अनुच्छेद की सभी शर्तों को या तो पूरा किया गया था या माफ कर दिया गया था।पी. पी. ए. आगे सी. ओ. डी. तिथि से शुरू होने वाले अनुच्छेद 6 में सौर ऊर्जा की बिक्री और खरीद से संबंधित है।विक्रेता, अर्थात, प्रत्यर्थी को बेचना था और अपीलार्थी को वितरण के समय 50 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदनी और स्वीकार करनी थी।प्रत्यर्थी ने किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी सौर ऊर्जा (जो सभी अपीलार्थी के लिए प्रतिबद्ध है) नहीं बेचने का वचन दिया।अनुच्छेद 7 मापन और मापन से संबंधित है।अनुच्छेद 8 बिलिंग और पावर अकाउंटिंग से संबंधित है।अनुच्छेद 9 चूक और उपचार की घटनाओं से संबंधित है।अनुच्छेद 9.1 प्रासंगिक है और यह निम्नानुसार हैः

ग

डी.

ई.

“ 9.1.दोष और समाप्ति।

चूक के मामले में, गैर-चूक करने वाला पक्ष चूक करने वाले पक्ष को एक डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी करेगा।यदि डिफ़ॉल्ट सूचना जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर डिफ़ॉल्ट पूरी तरह से सही नहीं है, तो विक्रेता द्वारा डिफ़ॉल्ट के मामले में, MPPMC.L लिखित रूप में सात दिनों की समाप्ति सूचना देकर, समझौते को समाप्त कर सकता है।एम. पी. पी. एम. सी. एल. द्वारा चूक के मामले में, विक्रेता उसी तरह समझौते को समाप्त कर सकता है।"

च

96. अनुच्छेद 9.4 विभिन्न घटनाओं से संबंधित है जिन्हें डिफ़ॉल्ट विक्रेता घटना के रूप में वर्णित किया गया है।प्रासंगिक प्रावधान में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया हैः

जी.

“ 9.4.चोरी की विक्रेता घटना

निम्नलिखित घटनाओं में से किसी की घटना और निरंतरता, जब तक कि ऐसी कोई घटना फोर्स मैजेयर घटना के परिणामस्वरूप नहीं होती है, डिफ़ॉल्ट विक्रेता घटना का गठन करेगीः

एच.

क) 24 महीने के अंत तक एम. पी. पी. एम. सी. एल. को बिजली की आपूर्ति शुरू करने में विफलता, अनुसूचित चालू होने की तारीख से प्रासंगिक अनुबंध, क्षमता तक; या

97. अनुच्छेद 9 अपीलार्थी की चूक की घटनाओं के लिए प्रावधान करता है।अनुच्छेद 9.7 9.6 के अंतर्गत आता है जो आम तौर पर 'उपचार' से संबंधित है।वह इस प्रकार हैः

“ 9.7.एम. पी. पी. एम. सी. एल. बिजली खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि लेख त्रुटि में बताया गया है!संदर्भ स्रोत नहीं मिला।पी. पी. ए., विक्रेता से रु. सीओडी से 25 साल की अवधि के लिए 5.051 प्रति किलोवाट घंटे। यदि एम. पी. पी. एम. सी. एल. उक्त बिजली को पूरी तरह या आंशिक रूप से खरीदने से इनकार करता है या असमर्थ है, या पी. पी. ए. के खंड 9.5 के अनुसार चूक की कोई घटना होती है जिससे पी. पी. ए. समाप्त हो जाता है, तो विक्रेता उक्त बिजली को किसी भी दर पर किसी तीसरे पक्ष को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा जो विक्रेता और उक्त तीसरे पक्ष के बीच तय किया जाएगा और ऐसी बिक्री निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होगीः"

ग

(जोर दिया गया) दो मामलों के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

डी.

98. अनुच्छेद 11.6।3 कानून में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 13 अधिकारिता और विवाद समाधान से संबंधित है। अनुच्छेद 13.2।1 इस प्रकार पढ़ता हैः“ 13.2.1.किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को लिखित सूचना (विवाद सूचना) देकर इस

समझौते ("विवाद") के तहत या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दावे, विवाद या मतभेद को उठाने का अधिकार है, जिसमें शामिल होंगेः

ई.

• विवाद का वर्णन;

• ऐसे विवाद के लिए आधार; और

च

• अपने दावे के समर्थन में सभी लिखित सामग्री

13.2.2.दूसरा पक्ष 13.2 के तहत जारी विवाद सूचना जारी होने के तीस (30) दिनों के भीतर करेगा।1, प्रस्तुत करनाः

• विवाद के संबंध में प्रति-दावा और बचाव, यदि कोई हो; और• इसके बचाव और प्रति-दावे के समर्थन में सभी लिखित सामग्री।13.2.3.अनुच्छेद 13.2 के अनुसार किसी भी पक्ष द्वारा विवाद सूचना जारी होने के तीस (30) दिनों के भीतर।1 यदि दूसरा पक्ष करता है-अनुच्छेद 13.2 के तहत कोई जवाबी दावा या बचाव प्रस्तुत नहीं करता है।2 या जवाबी दावे या बचाव ए प्रस्तुत करने की तारीख से तीस (30) दिन

जी.

एच.

79

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

दूसरे पक्ष द्वारा, विवाद के दोनों पक्ष इस तरह के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए मिलेंगे।यदि पक्ष इस अनुच्छेद में उल्लिखित तिथियों के बाद से तीस (30) दिनों के भीतर विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में विफल रहते हैं, तो विवाद को अनुच्छेद 13.3 के अनुसार विवाद समाधान के लिए भेजा जाएगा।"

99. अनुच्छेद 12.2 इस प्रकार हैः“ 12.2 ग्रिड कोड वितरण संबंधित ट्रांसको/डिस्कॉम और विक्रेता राज्य/भारतीय विद्युत ग्रिड कोड या इसके संशोधन, यदि कोई हो, का पालन करेंगे और अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार अपने सिस्टम का संचालन करेंगे।"

ग

100. अनुच्छेद 13.3।1 इस प्रकार पढ़ता हैः“ 13.3.1.जहां किसी भी पक्ष द्वारा शुल्क से संबंधित किसी भी मामले के लिए किए गए दावे या किसी भी पक्ष द्वारा किए गए दावों से उत्पन्न कोई विवाद जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से शुल्क में किसी भी बदलाव या ऐसे किसी भी दावे के निर्धारण से संबंधित है, के परिणामस्वरूप शुल्क में बदलाव हो सकता है, एमपीईआरसी द्वारा निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। एम. पी. ई. आर. सी. के निर्णयों के खिलाफ अपील केवल बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।"

डी.

ई.

101. अनुच्छेद 15.1।4. कानून के अनुपालन से संबंधित है और वास्तव में यह प्रावधान करता है कि बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधान अधिनियम से समझौते की शर्तों से प्रतिकूलता या विचलन के मामले में प्रबल होंगे।

102. विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ाया है कि प्रत्यर्थी ने रु। इकाई की स्थापना में 350 करोड़ रुपये और चोरी किए गए पुर्जों को बदलने के बाद, इकाई किसी भी तारीख को चालू करने के लिए तैयार है।उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि परियोजना में दो मील के पत्थर शामिल हैं और उच्च न्यायालय ने पहले के आदेश को दरकिनार कर दिया है जो पहले मील के पत्थर को प्राप्त करने में देरी से संबंधित था।इसके बाद, निष्कर्ष यह है कि परियोजना को 24 महीने से बहुत पहले पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया था जो अवधि 19.9.2017 पर समाप्त हुई थी और चालू करने की सूचना 4.7.2017 पर दी गई थी।सी. ई. आई. जी. की मंजूरी 9.8.2017 पर भी दी गई थी।यह भी पाया गया है कि कमीशन की सूचना और सी. ई. आई. जी. की मंजूरी के नौ महीने बाद 19.04.2018 पर एक और निरीक्षण किया गया था।इसके बावजूद कि

च

जी.

एच.

विवादित आदेश पारित कर दिया गया है।इसके अलावा उच्च न्यायालय यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है कि यह निर्विवाद रूप से स्थापित है कि परियोजना के दोनों मील के पत्थर पूरे किए गए थे, जबकि केवल कुछ इन्वर्टर चोरी किए गए थे, जिसके लिए एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।यह फिर से पाया गया है कि यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त भागों को प्रतिवादी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।रिन्यू एनर्जी के मामले से समर्थन प्राप्त किया गया और मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अदालत के विवेक को दोहराया गया।यह निर्णय मनमाना पाया गया।अदालत ने प्रतिवादी को इकाई के संचालन के लिए वैधानिक मंजूरी के लिए आवश्यक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया और अपीलार्थी को आवेदन पर निर्णय लेना था।कथन को पूरा करने के लिए अपीलार्थी द्वारा एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी।अपीलार्थी ने धोखाधड़ी के पहलू को पेश करने की मांग की।धोखाधड़ी में प्रतिवादी का कार्य शामिल था जो कई इन्वर्टरों के संबंध में इन्वर्टरों के अद्वितीय/विशिष्ट क्रम संख्या पर भरोसा करता था जो सामान्य/डुप्लिकेट पाए गए थे।दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी का मामला यह था कि 50 एम. वी. के लिए परियोजना को 5 मेगावाट के 10 ब्लॉकों में विभाजित किया गया था।प्रत्येक ब्लॉक में 116/117 इन्वर्टर थे।सी. ई. आई. जी. में धोखाधड़ी की गई थी। दूसरे शब्दों में, यह अपीलार्थी का मामला था कि प्रत्यर्थी ने आवश्यक संख्या में इन्वर्टर लगाने के संबंध में पी. पी. ए. का पालन नहीं किया था।पहले प्रतिवादी ने यह रुख अपनाया कि व्युत्क्रमकों की सभी क्रम संख्या काफी सुपाठ्य थी, हालांकि इसके विपरीत तर्क दिया गया था।सी. ई. आई. जी. ने चालू करने के लिए परियोजना की भौतिक तैयारी की सूचना दी।प्रत्यर्थी ने स्वयं अपीलार्थी की निरीक्षण रिपोर्ट पर भी ध्यान आकर्षित किया।उच्च न्यायालय ने सीमित अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को खारिज कर दिया।

ग

डी.

ई.

103. विवादित समाप्ति सूचना दिनांक 07.07.2018 में, बाद में पूरा करने की स्थिति में 54 दिनों की देरी का उल्लेख करने के बाद, यह उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 2.6 के अनुसार वाणिज्यिक संचालन की तारीख 14.04.2017 थी।यह संकेत दिया गया था कि 11.08.2017 पर 'संयंत्र की तैयारी' कॉलम के खिलाफ चालू करने के बारे में कोई संकेत नहीं था।आपूर्ति शुरू करने की अंतिम तिथि 18.09.2017 के रूप में दिखाई गई थी।अंतिम नियत तिथि से आपूर्ति शुरू करने के लिए तीन महीने की अवधि की समाप्ति तिथि 18.12.2017 थी।यह भी प्रावधान किया गया है कि पी. पी. ए. समाप्ति सूचना अवधि के सात दिनों की समाप्ति तिथि 25.12.2017 थी।19.04.2018 पर परियोजना की स्थिति को 'चालू करने के लिए तैयार नहीं' के रूप में इंगित किया गया था।इसके बाद, यह इंगित किया जाता है कि बाद की स्थिति को प्राप्त करने में देरी का कोई

औचित्य नहीं है।इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा पिछली रिट याचिका में पारित आदेश का संदर्भ दिया गया है।भौतिक सत्यापन 19.04.2018 पर किया गया था, जिसके बाद, यह पाया गया कि संयंत्र और उपकरण ए की स्थापना कार्य

च

जी.

एच.

81

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ब्लॉक 9 और 10 में अधूरा था।यह भी बताया गया कि निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न की गई थी, जहां इन्वर्टर की स्थापना, सौर ईवी पैनलों की स्थापना, केबलिंग और मिट्टी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था।यह भी बताया गया कि छह महीने से अधिक समय के बाद भी, परियोजना के चालू होने की समय सीमा के बाद भी, संयंत्र चालू करने के लिए तैयार नहीं है।इस प्रकार, न केवल बाद की स्थिति को प्राप्त करने में विफलता थी, बल्कि समय के भीतर परियोजना को चालू करने में भी विफलता थी। अक्षय स्वच्छ ऊर्जा के मामले की तुलना में, यह बताया गया है कि बाद की शर्तों का पालन करने में विफलता के अलावा, बाहरी समय सीमा भी नहीं देखी गई है, जबकि अक्षय स्वच्छ ऊर्जा के मामले में, वे निर्धारित कमीशनिंग तिथि तक चालू करने के लिए तैयार थे।अनुच्छेद 9.1 के तहत समय-सीमा के अनुरूप नहीं था।उच्च न्यायालय के आदेश को संदर्भित करने के बाद, यह पाया गया कि, अनुच्छेद 2.5 के संदर्भ में।1(घ) और पी. पी. ए. के अनुच्छेद 9.1, पी. पी. ए. को समाप्त कर दिया गया।

ग

104. आइए हम समाप्ति के मामले को स्पष्ट करते हैं।बाद की शर्त को पूरा न करने के अलावा, जाहिर तौर पर, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुरूप, अपीलार्थी ने एक मामला निर्धारित किया है कि आपूर्ति शुरू करने की अंतिम तिथि 18.09.2017 थी, और यहाँ तक कि 19.04.2018 पर भी, प्रतिवादी परियोजना को चालू करने के लिए तैयार नहीं था।पी. पी. ए. के अनुच्छेद 5,5,5 और 5,3 के संदर्भ में, जिसमें वाणिज्यिक संचालन की तारीख, पूर्व-वाणिज्यिक संचालन और वाणिज्यिक संचालन की सूचना शामिल थी, यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी ने समाप्ति सूचना की तारीख तक कमीशन की अनुसूची के बारे में सूचित नहीं किया है।अक्षय स्वच्छ ऊर्जा और प्रतिवादी के बीच एक अंतर करने की मांग की जाती है, जिसमें पहले प्रतिवादी के मामले में, यहां तक कि पहले प्रतिवादी भी निर्धारित समय के भीतर परियोजना को चालू करने के लिए तैयार नहीं थे।

डी.

ई.

च

105. दूसरी ओर, प्रथम प्रत्यर्थी ने रिट याचिका में जो मामला प्रस्तुत किया है, वह अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैः

04.07.2017 पर, प्रत्यर्थी को पत्र जारी करते समय नं।4, इसने पी. पी. ए. के अनुच्छेद 5.1 (सी) के संदर्भ में 31.07.2017 द्वारा चालू करने के लिए नोटिस जारी किया। अपीलार्थी द्वारा स्थल निरीक्षण उसके ई. पी. सी. के माध्यम से अनुरोध किया गया था। प्रत्यर्थी ने 09.08.2017 पर चालू करने के लिए CEIG से अनुमोदन प्राप्त किया।सी. ई. आई. जी. ने प्रमाणित किया कि परियोजना से संबंधित सभी बुनियादी ढांचे और स्थापना तैयार हैं और प्रतिवादी चालू करने की गतिविधियों के साथ आगे बढ़ सकता है।अनुच्छेद 5.3 (ए) के तहत सी. ई. आई. जी. अनुमोदन की आवश्यकता है।हालांकि,

जी.

एच.

अपीलार्थी पी. पी. ए. को दिनांक 07.07.2018 के आदेश द्वारा समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा।इस प्रकार, यह कहा गया है कि अपीलार्थी ने, उसे सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, परियोजना के चालू होने के साथ आगे बढ़ने के लिए पहले प्रतिवादी के अनुरोध को नजरअंदाज करने का विकल्प चुना।प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से परियोजना के लिए सैद्धांतिक संपर्क भी प्राप्त किया।यह प्रत्यर्थी का विशिष्ट मामला है कि 11.08.2017 से पहले, प्रथम प्रत्यर्थी को अपने ई. पी. सी. ठेकेदार से सूचना मिली थी कि परियोजना गार्ड के लिए शेड/क्यूबिकल के निर्माण जैसे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार है, जिसका परियोजना के चालू होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलकर्ता पी. पी. ए. के अनुच्छेद 9.1 के तहत डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी करने के लिए बाध्य था। प्रत्यर्थी तीन महीने की अवधि के लिए हकदार था।ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा जाँच समिति की दिनांक 1 की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, यह बताया गया है कि पहले की समाप्ति सूचना को चुनौती लंबित थी और प्रतिवादी अपने कर्मचारियों/सुरक्षा गार्डों को विघटित करने के लिए विवश था।चोरी की घटनाएँ हुईं।यह बताया गया है कि ये चोरी सी. ई. आई. जी. द्वारा प्रमाणन के बाद हुई थी। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी सी. ई. आई. जी. द्वारा प्रमाणन के तुरंत बाद जांच नहीं करने के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराएगा। यह पहले प्रतिवादी का भी मामला है कि उसने अपने ई. पी. सी. ठेकेदार के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, 1163 स्ट्रिंग इन्वर्टर प्राप्त किए थे। जैसा कि पहले बताया गया है, कुछ स्ट्रिंग इन्वर्टर चोरी हो गए थे।कि प्रत्यर्थी का मामला यह नहीं है कि परियोजना चालू की गई थी, बल्कि यह है कि अपीलार्थी ने अंतिम तिथि से पहले परियोजना को चालू करने से रोक दिया था।यह भी कहा गया है कि परियोजना प्रत्यर्थी की ओर से हर तरह से पूरी हो गई थी, लेकिन बहुत कम संख्या में उपकरणों की चोरी के कारण, जिसे अपीलार्थी ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में उजागर किया था, पहले प्रत्यर्थी ने इस बीच इन विविध उपकरणों और पुर्जों को फिर से स्थापित करना सुनिश्चित किया था और परियोजना उस तारीख तक हर तरह से पूरी हो गई थी।जहाँ तक चोरी का संबंध है, पहले प्रतिवादी ने अपने ई. पी. सी. ठेकेदार के माध्यम से 19.04.2018 पर किए गए निरीक्षण से पहले दो एफ. आई. आर. दर्ज की थीं।

ग

डी.

ई.

च

जी.

तथ्यों के विवादित प्रश्नों का महत्व

106. तथ्यों के विवादित प्रश्न क्या हैं?तथ्य का सबसे महत्वपूर्ण विवादित प्रश्न यह है कि क्या पहला प्रतिवादी ए में था।

एच.

वास्तव में, परियोजना को अस्थायी तिथि के अंत तक चालू करने के लिए तैयार है, जो समझौते की तारीख से चौबीस महीने की अवधि के रूप में तय की गई थी।एक ओर, अपीलार्थी यह तर्क देगा कि प्रथम प्रतिवादी परियोजना को चालू करने के लिए तैयार

नहीं था।यही कारण है कि 9 वें और 10 वें ब्लॉक में कुछ स्ट्रिंग इन्वर्टर गायब पाए गए थे।दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का मामला सी. ई. आई. जी. की रिपोर्ट पर आधारित है, जो दिखाएगा कि प्रत्यर्थी परियोजना को चालू करने के लिए तैयार था।जहाँ तक सी. ई. आई. जी. रिपोर्ट का संबंध है, अपीलार्थी का मामला ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने सी. ई. आई. जी. रिपोर्ट प्राप्त करने में धोखाधड़ी की थी।यह समीक्षा याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रूप से प्रचार किया गया था।दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी द्वारा स्थापित किया जाने वाला मामला यह है कि 272 स्ट्रिंग इन्वर्टर डुप्लिकेट नंबरों वाले थे और इसलिए, पहले प्रतिवादी द्वारा यह माना जा रहा था कि उसने अपने संविदात्मक दायित्व का पालन किया था, जब यह मामला नहीं था।जहां तक बाद की शर्तों को पूरा करने में 53 दिनों की देरी का सवाल है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि इतनी देरी हुई थी।यद्यपि, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क देने का प्रयास किया गया था कि बाद की शर्तों में से एक को प्रतिस्थापित करने वाले संशोधन को देखते हुए, अर्थात्।, भूमि से संबंधित शर्त और इसलिए समय का और विस्तार होगा।हमें नहीं लगता कि हम पहले प्रतिवादी को इस तरह की याचिका दायर करने की अनुमति दे सकते हैं।हालाँकि, हम पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए 53 दिनों की देरी के कारण पी. पी. ए. को समाप्त करने के लिए अपीलार्थी के अधिकार या शक्ति के बारे में मुद्दा अपीलार्थी के लिए खुला नहीं हो सकता है।

ग

डी.

ई.

107. प्रथम प्रतिवादी डॉ. ए. एम. सिंघवी के विद्वान वरिष्ठ वकील, वास्तव में, यह तर्क देंगे कि यह न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ सकता है कि वास्तव में तथ्य का एक विवादित प्रश्न है।यह इस तर्क पर है कि भले ही यह न्यायालय दिनांकित निरीक्षण रिपोर्ट 19.04.2018 के आधार पर आगे बढ़ता है, लेकिन रु। 350 करोड़ रुपये की कमी का विषय होगा जिसे निरीक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.04.2018 में इंगित किया था।यह इंगित किया गया है कि पी. पी. ए. को समाप्त करने के अत्यधिक मनमाने निर्णय के साथ पहले प्रतिवादी से मुलाकात नहीं की जानी चाहिए जब लगभग रु। इस परियोजना में 350 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।यह परियोजना अपने आप में एक पर्यावरण अनुकूल परियोजना है।असामान्य रूप से बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने बोली प्रक्रिया में बोली लगाई थी और पहला उत्तरदाता सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरा था, जिसे उस समय सराहा गया था।

च

जी.

एच.

अनुच्छेद **9.1** के तहत मामला अनुच्छेद **9.4 (**ए**)** के साथ पढ़ा जाता है।

108. समाप्ति नोटिस के खिलाफ पहले प्रतिवादी द्वारा लिए गए आधारों में से एक यह है कि यह पी. पी. ए. के अनुच्छेद 9.1 का पालन किए बिना जारी किया जाता है। हम पहले ही उक्त अनुच्छेद को स्वीकार कर चुके हैं।हमने अनुच्छेद 9.4 का भी उल्लेख किया है।(ए)।आइए हम पी. पी. ए. के तहत जो विचार किया जाता है उसे दिव्य करें। पी. पी. ए. अपने उप-प्रभागों के साथ अनुच्छेद 9 पर विचार करता है ताकि चूक और उपचार की घटनाओं का प्रावधान किया जा सके।अनुच्छेद 9 के तहत, उप-लेख विक्रेता की चूक की घटना और अपीलार्थी की चूक की घटना के लिए प्रदान करते हैं।अनुच्छेद 9.1 को अनुच्छेद 9.4 के साथ और विशेष रूप से अनुच्छेद 9.4 को पढ़ना।(क), जो केवल प्रासंगिक है, हम निम्नलिखित को समझते हैं जो पक्षों द्वारा विचार किया जाता है।अनुच्छेद 9.1 'डिफ़ॉल्ट के मामले में' शब्दों से शुरू होता है।विक्रेता के चूक की स्थिति के मामले में चूक डिफ़ॉल्ट होगी, जो समाप्ति का विषय है।यहाँ, हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विक्रेता की चूक की घटना, जो कि उचित है, चौबीस महीने के अंत तक निर्धारित कमीशनिंग तिथि के लिए प्रासंगिक अनुबंधित क्षमता पर अपीलार्थी को बिजली की आपूर्ति शुरू करने में विफलता है।पी. पी. ए. में ही 'निर्धारित कमीशनिंग तिथि' शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है, एल. ओ. आई. में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार 50 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना के लिए, अनुमति की गई

कमीशनिंग अवधि पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर करने की तारीख से उन्नीस महीने होगी। चौबीस महीने की अवधि की गणना पी. पी. ए. की तारीख से की जानी चाहिए और इसलिए समझा जाए, क्योंकि पी. पी. ए. की तारीख 18.09.2015 है, इसलिए चौबीस महीने 18.09.2017 पर समाप्त हो जाएंगे।इसलिए, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि ऐसी घटना, जो पहले प्रतिवादी की ओर से चूक का गठन करती है, हुई थी।अनुच्छेद 9.1 के विश्लेषण को जारी रखते हुए, अपीलार्थी से गैर-चूक करने वाले पक्ष के रूप में, चूक करने वाले पक्ष को एक डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी करने की अपेक्षा की गई थी।, विक्रेता, जो इस मामले में पहला प्रत्यर्थी है।अनुच्छेद 9.1 आगे स्पष्ट रूप से विचार करता है कि यदि चूक सूचना जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर चूक पूरी तरह से सही नहीं है, तो विक्रेता द्वारा चूक की स्थिति में, अपीलार्थी को समाप्ति का सात दिनों का नोटिस देना था।यह नोटिस, निस्संदेह, लिखित रूप में होना था।यह दूसरे नोटिस द्वारा है, जो सात दिनों की अवधि का होना है कि अपीलार्थी वैध रूप से समझौते को समाप्त कर सकता है।इस प्रकार, पी. पी. ए. स्पष्ट रूप से एक डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी करने का संकेत देता है जब विक्रेता डिफ़ॉल्ट कार्य करता है।पहला डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी किए बिना, नोटिस जारी करने की तारीख से तीन महीने का समय दिए बिना, दूसरा नोटिस, जो समाप्ति का नोटिस होगा, जारी नहीं किया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

85

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

109. आइए अब पता करें कि क्या अपीलार्थी ने इस प्रक्रिया का पालन किया है।दिनांक 07.07.2018 के विवादित समाप्ति सूचना में, पैराग्राफ-9 में एक तालिका में जो संकेत दिया गया है, वह यह है कि बाद की शर्तों को पूरा करने के मामले में 54 दिनों की देरी हुई थी और अनुच्छेद 2.6 के अनुसार निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि 14.04.2017 थी।11.08.2017 समाप्ति की सूचना की तारीख के रूप में नोट किया जाता है।18.09.2017, पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर करने की तारीख से चौबीस महीने के अंत को अनुबंधित क्षमता की आपूर्ति शुरू करने की अंतिम तिथि के रूप में दिखाया गया है और अनुच्छेद 9.4 का उल्लेख किया गया है।18.12.2017 अंतिम नियत तिथि से आपूर्ति शुरू करने के लिए तीन महीने की समाप्ति तिथि के रूप में दिखाया गया है, जाहिरा तौर पर, 18.09.2017 से।इसके बाद, 25.12.2017 को पी. पी. ए. समाप्ति सूचना अवधि के सात दिनों की समाप्ति तिथि के रूप में दिखाया जाता है।आक्षेपित नोटिसों के पैराग्राफ-21,22 और 23 में, अपीलार्थी निम्नलिखित रुख अपनाता हैः

ग

“21. तालिका-I के अनुसार, परियोजना के चालू होने के लिए समय सीमा का संकेत दिया गया है।आपको पी. पी. ए. के अनुशासित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक था। जबकि यह आपके द्वारा हासिल नहीं किया गया है, पी. पी. ए. के अनुच्छेद 9 के प्रावधानों पर विचार करते हुए भी समय सीमा के भीतर, 24 महीने (पी. पी. ए. की तारीख से अनुबंधित क्षमता को बिजली की आपूर्ति) + 3 महीने (डिफ़ॉल्ट सूचना अवधि) + 7 दिन (समाप्ति सूचना अवधि), पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर करने से पहले ही समाप्त हो चुके हैं।

डी.

ई.

22. जबकि, इस कार्यालय पत्र सं. सं. के माध्यम से जारी किए गए कारण दर्शाओ नोटिस के आलोक में। 108 दिनांकित 22.02.2017 और एम. पी. पी. एम. सी. एल. को माननीय न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 20.06.2018 के आदेश में, आपको 18.09.2015 दिनांकित पी. पी. ए. के संदर्भ में नया आदेश जारी करने के लिए, कानून के अनुसार, यह स्पष्ट है कि आप 18.09.2015 पर आपके साथ निष्पादित पी. पी. ए. के अनुसार अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल रहे हैं।इस प्रकार, पी. पी. ए. समाप्ति के लिए योग्य है।

च

23. इसलिए, माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 20.06.2018 के फैसले के अनुरूप और अनुपालन में और अनुच्छेद-2.5 के तहत प्रावधान के अनुसार।1 (घ) पी. पी. ए. के अनुच्छेद 9.1 में निर्धारित समय-सीमा पर विचार करने और 22.02.2017 दिनांकित कारण-विवरण सूचना के साथ, पी. पी. ए. ने 18 सितंबर को हस्ताक्षर किए।2015, मिस स्काई पावर साउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच। प्रस्तावित 50 मेगावाट से बिजली की आपूर्ति के लिए नई दिल्ली (मूल कंपनी स्काई पावर साउथईस्ट एशिया होल्डिंग 2 लिमिटेड का एसपीवी) और एमपीपीएमसीएल। गाँव-बेढया जिला-खंडवा में स्थित सौर पी. वाई. संयंत्र और

जी.

एच.

बाद में यह स्थान बदलकर गाँव छिबेल, तेब-खाल्लीवा, जिला-खंडवा कर दिया गया। 5.091 प्रति इकाई, इसके द्वारा समाप्त किया जाता है।"

110. इस प्रकार, हम पाते हैं कि पी. पी. ए. की तारीख से चौबीस महीने की अवधि, साथ ही तीन महीने की डिफ़ॉल्ट नोटिस अवधि, साथ ही सात दिनों की समाप्ति नोटिस अवधि, पहले ही समाप्त हो चुकी थी।पैराग्राफ-22 में, नया आदेश जारी करने के लिए '22.02.2017' दिनांकित कारण-प्रदर्शन नोटिस और पहली रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता से समर्थन प्राप्त करने की मांग की गई है।पी. पी. ए., जिसे अपीलार्थी द्वारा पाया गया था, समाप्ति के लिए योग्य था।अनुच्छेद 2 के आधार पर अनुच्छेद-23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है।1(घ) अनुच्छेद 9.1 में निर्धारित समय-सीमा और 22.02.2017 दिनांकित कारण-सूचना के साथ, पी. पी. ए. को समाप्त कर दिया गया था।111. इसलिए, 22.02.2017 दिनांकित कारण दिखाएँ नोटिस वह है जिसे अपीलकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि वह अनुच्छेद 9.1 के तहत डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी करने की आवश्यकता के अनुपालन में कार्य कर रहा था।इसलिए, 22.02.2017 दिनांकित सूचना पर विज्ञापन देना आवश्यक हो जाता है।हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैंः

ग

डी.

“एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेडः U4010MP2006SGC018637

(एम. पी. अंडरटेकिंग की सरकार)

ई.

रेग.कार्यालयःशक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत-482008, दूरभाषः0761-2661111; -2660500, फैक्सः0761- 261696, वेबसाइटः-डब्ल्यू. डब्ल्यू.एम पी पी एम सी एल।कॉम, ईमेलःmd@mppmcl।कॉम, सं. 05-01 सौर बोली-III/पीपी ए/108

'जबलपुर तिथि 22.02.2017

च

को,

मेसर्स स्काई पावर साउथईस्ट सोलर प्रा. लि. 16 ए/20 डब्ल्यू. ई. ए. मेन अजमल खान रोड, करोल बाग,

जी.

नई दिल्ली-110005।

विषयःचरण-III सौर प्रतिस्पर्धी बोली के तहत गांव चिरबेल, तल्लिका जिला खंडवा में प्रस्तावित आपकी 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के संबंध में बाद की शर्तों को पूरा करने के लिए दस्तावेज जमा करना।

एच.

87

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

संदर्भः1. बिजली खरीद समझौता 18.09.2015 पर निष्पादित किया गया।2. आपका पत्र सं। एसकेपी/एमपी/सोलर/एमपीपीएमसीएल/2015-116/06, दिनांक 12.01.2017

प्रिय महोदय,

ऊपर उद्धृत आपके बाद के संदर्भ में, यह सूचित करना है कि पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर करने के 210 दिनों के बाद शर्त की पूर्ति के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर। गाँव चिरबेल, तालुका और जिला खंडवा में प्रस्तावित आपकी 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के संबंध में, दस्तावेजों की स्थिति नीचे दी गई हैः

ग

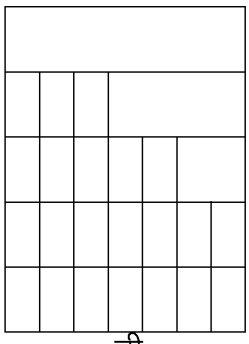

डी.

ई.

च

डी. जी. एम (वाणिज्यिक-3) आर. 0., एम. पी. पी. एम. सी. एल., भोपाल मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्यिक):ब्लॉक नं. 11, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (मध्य प्रदेश) 482008 दूरभाषः0761-2661245, 2702404, फैक्सः0761-2661245, ईमेलःमकरंद।chincholkar@mppmcl।कॉम

जी.

एच.

88 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित पी. पी. ए. के संशोधित खंड 2 (एफ) के प्रावधानों के अनुसार, विक्रेता को निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

• विक्रेता के नाम पर स्वामित्व या पट्टा अधिकार (कम से कम 30 वर्षों के लिए) या उपयोग अनुमति का अधिकार (मध्य प्रदेश में राजस्व भूमि के लिए) और आवंटित परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के क्षेत्र का 100% का कब्जा।

• विक्रेता के नाम पर भूमि के अधिग्रहण स्वामित्व के लिए संबंधित और सक्षम राजस्व पंजीकृत प्राधिकरण से आवश्यक दस्तावेज और निजी भूमि के मामले में स्वामित्व के लिए स्पष्ट स्वामित्व और/या पट्टे पर ली गई भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख।

ग

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि आपने केवल 64.94 हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व के लिए स्पष्ट स्वामित्व प्रस्तुत किया है।जबकि 34.12 हेक्टेयर भूमि के लिए आपने केवल 12 महीने के लिए अपंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत किया है, जिसे ऊपर उल्लिखित पी. पी. ए. के प्रावधानों के अनुसार बाद की शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं माना जा सकता है।इसके अलावा, खंड 2.5 के प्रावधान के अनुसार।(पी. पी. ए. के डी. ओ., निर्दिष्ट पी. पी. ए. समाप्ति के लिए उत्तरदायी है।इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इस पत्र के जारी होने के 10 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण/औचित्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें।

डी.

ई.

मुख्य महाप्रबंधक वाणिज्यिक एमपीपीएमसीएल, जबलपुर "112. इस सूचना के अवलोकन से निम्नलिखित का पता चलेगाः

च

उक्त सूचना की विषय वस्तु बाद की शर्त की पूर्ति प्रतीत होती है।यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 2.5 के अनुसार।1, पी. पी. ए. समाप्ति के लिए उत्तरदायी था।मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले प्रतिवादी से पत्र की तारीख से दस दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था।हमारा विचार है कि उक्त नोटिस उस नोटिस के रूप में योग्य नहीं हो सकता है जिसे अनुच्छेद 9.1 के तहत डिफ़ॉल्ट नोटिस के रूप में जारी किया गया था।हमने पहले ही पाया है कि अनुच्छेद 9.1, जो डिफ़ॉल्ट से संबंधित है, जो इस मामले में विक्रेता द्वारा डिफ़ॉल्ट है, और इसके अलावा, डिफ़ॉल्ट चौबीस ए की समय सीमा का पालन नहीं करना है।

जी.

एच.

89

18.09.2015 दिनांकित समझौते की तारीख से महीनों बाद, 22.02.2017 दिनांकित नोटिस, 18.09.2015 से चौबीस महीने की अवधि की समाप्ति से पहले भी जारी नहीं किया जा सकता था।दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 9.4 (ए) के तहत विक्रेता की चूक की स्थिति अनुच्छेद 9.1 के तहत नोटिस का विषय केवल तभी बन सकती थी जब अनुच्छेद 9.4 (ए) में दिए गए बिजली की आपूर्ति करने में पहले प्रतिवादी की ओर से विफलता थी।समय का वह बिंदु, अर्थात।, 18.09.2015 से चौबीस महीने की समाप्ति, जल्द से जल्द, केवल 18.09.2017 पर ही आएगी।इसलिए, यह केवल 18.09.2017 के बाद ही है कि पहला नोटिस या जिसे डिफ़ॉल्ट नोटिस के रूप में वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 9.1 के तहत प्रतिवादी द्वारा जारी किया जा सकता था।जाहिरा तौर पर, जो हुआ है वह यह है कि अपीलार्थी ने अनुच्छेद 2.5 के संदर्भ में कथित चूक को जोड़ा है।1(घ), जिससे, निस्संदेह, दिनांकित 22.02.2017 के नोटिस को संबंधित कहा जा सकता है और अनुच्छेद 9 के साथ पठित अनुच्छेद 9 के अर्थ के भीतर उक्त कारण बताए जाने वाले नोटिस को डिफ़ॉल्ट नोटिस के रूप में पेश किया गया है।अनुच्छेद 9.1 एक चूक, डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, विक्रेता (प्रथम प्रतिवादी) को सही चीजें निर्धारित करने के लिए तीन महीने की अवधि देने पर विचार करता है।यदि विक्रेता तीन महीने के भीतर मामले का समाधान नहीं करता है, तो दूसरा नोटिस, जो अनिवार्य रूप से पी. पी. ए. की समाप्ति का आदेश है, जारी किया जा सकता है।22.02.2017 दिनांकित सूचना का अवलोकन अनुच्छेद 9.4 में विचार किए गए विक्रेता की चूक की घटना का कोई संदर्भ नहीं देता है।(ए)।कारण खोजने के लिए बहुत दूर नहीं हैं।जिन कारणों का हमने पहले संकेत दिया है, उनके लिए अनुच्छेद 9.4 के अर्थ के भीतर विक्रेता के चूक होने के आधार पर नोटिस जारी नहीं किया जा सकता था।(a) 22.02.2017 पर।हम दोहराते हैं कि 22.02.2017 पर, अनुच्छेद 9.4 के तहत विक्रेता की चूक की घटना।(क), कानून या तथ्यों में मौजूद नहीं हो सकता था।इसके अलावा, हम दिनांक 1 के नोटिस के कार्यकाल से देखते हैं कि वास्तव में, पहले प्रतिवादी को मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी होने की तारीख से दस दिनों के भीतर अपना औचित्य देने के लिए कहा गया था।यह अनुच्छेद 9.1 के अर्थ के भीतर एक डिफ़ॉल्ट सूचना के रूप में विचार की गई सूचना के साथ पूरी तरह से असंगत है।अनुच्छेद 9.1 विक्रेता द्वारा चूक के अस्तित्व और दोष को दूर करने के लिए विक्रेता को तीन महीने की अवधि देने पर विचार करता है।हम यह समझने में असमर्थ हैं कि कैसे दिनांकित 22.02.2017 के नोटिस को इस तरह के किसी भी प्रस्ताव के रूप में समझा जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

अवसर जैसा कि अनुच्छेद 9.1 के तहत विचार किया गया है।इसलिए, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि यदि अनुच्छेद 9.4 के साथ पठित अनुच्छेद 9.1 पर निर्भरता रखी जानी है, तो अपीलार्थी दिनांकित समाप्ति सूचना को उचित ठहराने के लिए दिनांकित आईडी2 के तहत आश्रय नहीं ले सकता है।(ए)।हम पहले ही पा चुके हैं कि अपीलार्थी को बाद की शर्तों को पूरा न करने से संबंधित मुद्दे को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस मुद्दे को उच्च न्यायालय के दिनांक 20.06.2018 के फैसले के आधार पर अंतिम रूप मिल गया है।

113. अपीलार्थी ने मुकदमे के पहले दौर में उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अनुच्छेद 9.1 के अर्थ के भीतर कारण दर्शाएँ नोटिस के रूप में दिनांकित 22.02.2017 नोटिस को उचित ठहराने का प्रयास किया है।हमारा विचार है कि अपीलार्थी को उक्त निर्णय से समर्थन प्राप्त करने में यह तर्क देना उचित नहीं होगा कि 22.02.2017 दिनांकित नोटिस जारी करना पर्याप्त होगा और यह अपीलार्थी को अनुच्छेद 9.1 का पालन करने से मुक्त करता है।2017 की रिट याचिका संख्या 12880 में उक्त निर्णय के अवलोकन से हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 1 की पूर्व समाप्ति को इस आधार पर उचित ठहराने का प्रयास किया गया था कि प्रत्यर्थी ने समझौते में निर्धारित समय के भीतर बिजली परियोजना को चालू नहीं किया था।उच्च न्यायालय इससे प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि उसने पाया कि बिजली परियोजना के चालू न होना अनुबंध को समाप्त करने का कारण नहीं था और अपीलकर्ता मोहिंदर सिंह गिल मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए कारण का पूरक नहीं हो सका।

ग

डी.

ई.

और एक अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य 35.

इसके बाद, दिनांक 1 के आदेश को दरकिनार करने के बाद, अपीलार्थियों को कानून के अनुसार, पी. पी. ए. के संदर्भ में नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी गई।इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को केवल कमीशन की कमी के संबंध में पी. पी. ए. लागू करने की अनुमति दी, और इसके अलावा, कानून के अनुसार।यह दिन की रोशनी के रूप में स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि निर्णय की तारीख से, यानी समझौते की तारीख से चौबीस महीने की अवधि समाप्त हो गई थी, और यदि, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में, अपीलकर्ता अनुबंध को कानूनी रूप से समाप्त करना था, तो वह पी. पी. ए. के जनादेश का उल्लंघन करते हुए कार्य नहीं कर सकता था, जो वास्तव में, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अपीलकर्ता को अनुपालन करने का निर्देश दिया था।दूसरे शब्दों में, हालांकि 18.09.2017 से लगभग नौ महीने बीत चुके थे, जब उच्च न्यायालय ने 20.06.2018 पर निर्णय सुनाया था, यदि अपीलकर्ता समझौते को समाप्त करना चाहता था, तो कम से कम अनुबंध के तहत, अपीलकर्ता जारी करने के लिए बाध्य था।

च

जी.

35 (1978) 1 एससीसी 405 ए

एच.

91

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

डिफ़ॉल्ट सूचना।जैसा कि हमने देखा है, अपीलार्थी को संभवतः दिनांक 1 के पूर्व नोटिस के आधार पर विवादित समाप्ति नोटिस जारी करने के लिए राजी किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि वह न्यायालय से बाद में भी शर्त को पूरा न करने से संबंधित मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए कहने का हकदार था।अपीलार्थी, वास्तव में, समाप्ति की सूचना में आगे बढ़ा है कि अनुच्छेद 9.1 में विचार की गई तीन महीने की अवधि, 18.12.2017 पर स्वचालित रूप से समाप्त हो गई थी और चीजें जमीन पर नहीं बदली थीं, जिससे वह 25.12.2017 पर सात दिनों की और समाप्ति के बाद, 07.07.2018 दिनांकित सूचना जारी करने का हकदार हो गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में अपीलार्थी ने इस आशंका के तहत काम किया था कि अनुच्छेद 9.4 के अर्थ के भीतर, विक्रेता चूक की घटना होने के बाद, केवल तीन महीने की अवधि की समाप्ति।(क) और अन्य सात दिनों की समाप्ति, इसे समाप्ति की सूचना जारी करने का हकदार है।दूसरी ओर, अनुच्छेद 9.1 को अनुच्छेद 9.4 के साथ पढ़ा जाता है।(क) विक्रेता की चूक की घटना के बाद केवल तीन महीने की अवधि के लिए समय का संचालन नहीं था,

बल्कि विक्रेता को चूक की सूचना देकर और तीन महीने तक प्रतीक्षा करने का अवसर था।विक्रेता को चूक की सूचना दिए जाने के बाद ही, जो उसने की थी और चूक को पूरी तरह से हटाने का अवसर दिया गया था और यह उल्लंघन में बना रहा, कि एक वैध समाप्ति आदेश पारित किया जा सकता है।इस तर्क पर, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी अनुच्छेद 9 के साथ पठित अनुच्छेद 9 के स्पष्ट जनादेश के संदर्भ में कार्य करने में स्पष्ट रूप से विफल रहा है।(ए)।

ग

डी.

ई.

114. एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।11.08.2017 दिनांकित आक्षेपित सूचना, अनुबंध की समाप्ति के बारे में लाया।यह तब है जब 04.07.2017 दिनांकित नोटिस पहले प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया था, जैसा कि देखा गया है।इसमें अपीलार्थी को विशेष रूप से परिसर का निरीक्षण करने के लिए कहा गया था।सी. ई. आई. जी. ने 09.08.2017 पर प्रमाण पत्र भी जारी किया।अब वास्तव में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपीलार्थी द्वारा 11.08.2017 पर अनुबंध को समाप्त करने के बाद, यह भविष्यवाणी करना पूरी तरह से अकल्पनीय और मनमाना है कि पहले प्रतिवादी को परियोजना शुरू करनी चाहिए थी और 18.09.2017 द्वारा अनुच्छेद 9.4 (ए) का पालन करना चाहिए था।इससे भी अधिक अनुचित यह पता लगाना होगा कि पहले उत्तरदाता के पास 18.09.2017 से तीन महीने की अवधि थी जो उस दोष को ठीक करने के लिए थी जो 18.12.2017 पर समाप्त हो गया था।फिर भी, यह आधार दिनांकित 07.07.2018 के विवादित नोटिस में परिलक्षित होता है।अपीलार्थी के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि अनुच्छेद 9.4 (ए) में अनुध्यात 24 महीनों की समाप्ति के तुरंत बाद, अनुच्छेद 9.1 के तहत एक नोटिस दिया गया था।यह इस कारण से भी नहीं हो सकता है कि अपीलार्थी ने 11.08.2017 पर 18.09.2017 से बहुत पहले अनुबंध को समाप्त कर दिया था।यह है।

च

जी.

एच.

निर्विवाद।समान रूप से महत्वपूर्ण रूप से, दिनांकित 11.08.2017 अनुबंध की समाप्ति स्पष्ट रूप से अवैध थी, हालांकि इसे बाद में पाया गया और दिनांकित 20.06.2018 निर्णय द्वारा अलग कर दिया गया।इस प्रकार, हम प्रथम प्रत्यर्थी की शिकायत को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जहां इसे अनुच्छेद 9.4 (ए) के अर्थ के भीतर आपूर्ति शुरू करने से रोका गया था।11.08.2017 दिनांकित आदेश द्वारा समाप्ति का तथ्य और 20.06.2018 पर उच्च न्यायालय द्वारा इसे अमान्य करना फिर से विवाद का विषय नहीं है।

115. इस मामले का एक और पहलू भी है।किसी अनुबंध की समाप्ति, निस्संदेह, मूल्यवान अधिकारों में घुसपैठ और उनसे वंचित होने का कारण बनती है, जो अनुबंध के पुरस्कार विजेता को दिए जाते हैं।यह तर्क दिया जा सकता है कि एक संविदात्मक प्रावधान को अस्वीकार करता है, जब तक कि यह अनुबंध कुछ निर्धारित घटनाओं की घटना पर नोटिस की सेवा के बिना स्पष्ट रूप से अनुबंध को समाप्त करने का प्रावधान नहीं करता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत स्थान से बाहर नहीं हो सकते हैं और अनुच्छेद 14 के अनुरूप निष्पक्ष राज्य कार्रवाई के सिद्धांत के तहत, पुरस्कार विजेता के लिए एक अवसर हो सकता है कि अनुबंध को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए, न्यायसंगत हो सकता है।इस संबंध में, हम दोहरा सकते हैं कि यह क्या है

डी.

यू. पी. बनाम राज्य में न्यायालयसुधीर कुमार सिंह और अन्य 36

आलिया, आयोजितः“23. यह जोड़ा जा सकता है कि प्रत्येक मामला जिसमें कोई नागरिक/व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट अदालत का दरवाजा खटखटाता है, वह एक ऐसा मामला है जिसमें एक "सार्वजनिक कानून तत्व" शामिल है, जो एक मामले के विपरीत है जो केवल अनुबंध के उल्लंघन और उससे होने वाले नुकसान से संबंधित है।जब भी राज्य के खिलाफ प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की याचिका दायर की जाती है, तो उक्त याचिका, यदि टिकाऊ पाई जाती है, तो संवैधानिक कानून में मनमाना राज्य कार्रवाई के रूप में सुनाई देती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को आकर्षित करती है-पैराग्राफ 7 में नवाबखान अब्बासखान बनाम गुजरात राज्य (1974) 2 एससीसी 121 देखें।इसलिए, वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जिसमें एक "सार्वजनिक कानून तत्व" शामिल है जिसमें याचिकाकर्ता (हमारे सामने प्रतिवादी संख्या 1) जिसने रिट अदालत का दरवाजा खटखटाया था, ने ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम के उल्लंघन का आरोप लगाया था, क्योंकि निविदा को रद्द करने की पूरी कार्यवाही, रद्द करने के साथ-साथ, उसकी पीठ के पीछे के तथ्यों के एकतरफा मूल्यांकन पर की गई थी।"

ई.

च

जी.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निविदा रद्द करने के एक मामले से संबंधित है, जब निविदाकार ने इसके तहत एक साल से अधिक समय तक काम किया था और यह दो मामलों पर आधारित था।

36 (2020) एससीसीऑनलाइन एससी 847 ए

एच.

93

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

एकतरफा पूछताछ।हम इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि अनुच्छेद 9.1 वास्तव में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नहीं दर्शाता है, बल्कि विक्रेता द्वारा चूक को ठीक करने का अवसर देता है।

116. यह पाए जाने के बाद कि अनुच्छेद 9.1 की आवश्यकता के साथ दिनांकित विवादित समाप्ति आदेश गलत वर्ग है, सवाल उठ सकता है कि क्या यह एक ऐसा मामला है जो अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्तियों में हस्तक्षेप का आधार होना चाहिए।यह वह आधार नहीं है जिस पर विवादित निर्णय आधारित है।क्या यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला है, जो दीवानी अदालत में कार्यवाही का विषय बना होना चाहिए था।इस संबंध में, हम निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैंः

ग

अनुच्छेद 9.1 के तहत डिफ़ॉल्ट नोटिस देने के पीछे का उद्देश्य पी. पी. ए. के तहत विक्रेता को पी. पी. ए. का पालन करने और तीन महीने की अवधि के भीतर डिफ़ॉल्ट को हटाने का अवसर प्रदान करना है।यदि ऐसा मामला है जिसमें यह प्रदर्शित किया जाता है कि चूक को हटाना असंभव था, तो यह वास्तव में एक निरर्थक अभ्यास होगा और शायद, कम से कम, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर एक रिट कार्यवाही में या यह कि कार्रवाई मनमाना है, तो न्यायालय ने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया होगा और पक्ष को किसी अन्य मंच पर भेज दिया होगा ताकि वह जो भी राहत पाने का हकदार हो। यदि दूसरी ओर, अनुच्छेद 9 का पालन करना, वास्तव में, सार्थक और डिफ़ॉल्ट था (अनुच्छेद 9.4)।(क) अनुच्छेद 9.1 के

तहत विचार के अनुसार हटाया जा सकता था, तो, निस्संदेह, यह पहले प्रतिवादी को डिफ़ॉल्ट नोटिस के लाभ से वंचित करने के लिए मनमानेपन का गठन कर सकता है।

डी.

ई.

हम इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर नहीं हो सकते कि अनुच्छेद 9.1 जैसे खंड को इस समझ के साथ जोड़ा गया था कि इतनी बड़ी जटिल परियोजनाओं में, जिसमें बड़ी राशि का निवेश किया जा रहा है, और इसके अलावा, ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करना, इस मामले में सौर ऊर्जा, सार्वजनिक हित का एक तत्व भी था जो विक्रेता को चूक को दूर करने का अवसर दिए बिना अचानक समाप्ति द्वारा पर्दे को बंद नहीं करने देता था।इसलिए, हम इस बात की भी जांच करेंगे कि क्या ऐसा कोई मामला है जिसमें यह कहा जा सके कि प्रथम प्रतिवादी का मामला पूरी तरह से प्रामाणिकता या योग्यता से रहित है।

च

जी.

117. इस मामले में, 04.07.2017 पर, पहले प्रतिवादी ने अनुच्छेद 5.3 के अर्थ के भीतर वाणिज्यिक संचालन की सूचना को संबोधित किया।वह इस प्रकार हैः

एच.

"रेफरी नं. SKP-2/MP/SOLAR/COMM/2017-18/026 तिथिः04-07-2017

सेवा में

मुख्य अभियंता (योजना और डिजाइन) एम. पी. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, शक्ति भवन, रामपुर,

जबलपुर-482008, मध्य प्रदेश।

ग

विषयःगाँव चिरबेल, जिला खंडवा ("परियोजना") में स्थित स्काई पावर साउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना और परियोजना से 400 केवी छगाँव भंडारण तक बिजली की निकासी पर आयोग को सूचना।संदर्भःसाउथईस्ट सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ("पीपीए") के बीच 18 सितंबर, 2015 का बिजली खरीद समझौता।

डी.

प्रिय महोदय, उपरोक्त उद्धृत विषय वस्तु और संदर्भ के अनुसार, हम आपको 31 जुलाई, 2017 ("प्रस्तावित कार्यारंभ तिथि") तक परियोजना को चालू करने के अपने इरादे के बारे में सूचित करते हैं।प्रस्तावित चालू होने की तारीख तक, हम संयंत्र के लिए आवश्यक सभी अनुमतियाँ और अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं और पीपीए के अनुलग्नक XII के साथ पठित अनुच्छेद 5.3 में निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा कर सकते हैं।

ई.

च

प्रस्तावित चालू होने की तारीख तक परियोजना के चालू होने के संबंध में, हम आपको परियोजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण पथ वस्तुओं को पूरा करने के संबंध में उपयोग द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराना चाहते हैं -

• पारेषण लाइन-परियोजना के स्थान से 400 केवी सबस्टेशन छेगांव तक 132 केवी डीसीडीएस (डबल सर्किट डबल स्ट्रिंग) पारेषण लाइन के लिए 28 जून, 2017 तक 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।शेष 5 प्रतिशत के 15 जुलाई, 2017 तक पूरा होने की उम्मीद है।

जी.

• खाड़ी निर्माण-132 केवी खाड़ी पर 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है (एमपी ए से संपर्क स्वीकृति की प्राप्ति के बाद)

एच.

95

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

एम. पी. पी. टी. सी. एल. द्वारा आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट उपकरणों की स्थापना के साथ परियोजना के लिए पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ("एम. पी. पी. टी. सी. एल".)। परीक्षण, मीटर और सी. आर. पी. पैनल सहित शेष 10 प्रतिशत कार्य 20 जुलाई, 2017 तक पूरा होने की उम्मीद है।

• मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर और मैसर्स स्काई पावर सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच 18 मई, 2017 को कनेक्टिंग एग्रीमेंट-कनेक्शन समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

• एस. एल. डी. सी. संपर्क-संयंत्र से एस. एल. डी. सी.-इंदौर तक संपर्क पहले से ही बी. एस. एन. एल. से समर्पित 2 नॉक्स 2 एम. बी. पी. एस. पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइनों के माध्यम से स्थापित है (23 मार्च, 2017 को एस. एल. डी. सी. की अनुमोदित योजना के अनुसार पत्र संख्या के माध्यम से)। SE./LD। ई एंड टी/880, संयंत्र के चार्ज होने पर डेटा को तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है)।एस. एल. डी. सी. की अनुमोदित योजना के अनुसार एस. एल. डी. सी.-इंदौर और परियोजना में निर्दिष्ट उपकरण स्थापित किए गए हैं।यहां तक कि दोनों राउटरों के लिए आई. पी. योजना एस. एल. डी. सी., जबलपुर द्वारा आवंटित की गई है। एस. ई./एल. डी. ई. एंड टी./06, दिनांक 3 अप्रैल, 2017)।

ग

डी.

• सी. ई. आई. जी. प्रमाणन-हमने सी. ई. आई. जी. प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सी. ई. आई. जी. प्रमाणन 20 जुलाई, 2017 तक होने की उम्मीद है।सी. ई. आई. जी. प्रमाणपत्र पी. पी. ए. के तहत आवश्यक कमीशनिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एक अनुलग्नक के रूप में एम. पी. पी. टी. सी. एल. को प्रस्तुत किया जाएगा।

ई.

परियोजना की प्रगति पर उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आवश्यक निरीक्षण और परीक्षण करने के लिए आवश्यक अधिकारियों और कर्मियों को हमारी साइट पर नियुक्त करें और 31 जुलाई, 2017 के लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद करें।

च

यदि आपको हमसे किसी और जानकारी की आवश्यकता है, तो हमें आपके अनुरोध पर वही प्रदान करने में खुशी होगी।"

(जोर दिया गया) 118।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 5.3 एक सूचना पर विचार करता है जिसके तहत विक्रेता निर्दिष्ट करता है कि संयंत्र का निर्माण समझौते के अनुसार किया गया था और वह अपनी शर्तों के अनुसार सौर ऊर्जा देने के लिए तैयार था।दूसरा, यह संकेत दिया जाना चाहिए कि सौर ऊर्जा को दरों और शर्तों पर बेचने के लिए संयंत्र के लिए आवश्यक सभी अनुमतियाँ और अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए थे।

जी.

एच.

इसके अलावा, सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी इंटरकनेक्शन सुविधाएं उपलब्ध थीं।हालाँकि, सूचना केवल तभी प्रभावी होगी जब ट्रांस्को/डिस्कॉम घोषणा करता है कि अनुच्छेद 5.3 की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं (या उसके द्वारा माफ कर दी गई हैं), अर्थात, विक्रेता ने निर्माता की सिफारिशों के अनुसार संयंत्र का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और विक्रेता ने मध्य प्रदेश सरकार के विद्युत निरीक्षणालय या अन्य अधिकृत एजेंसी से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और प्रदान किया था, और विक्रेता ने विवरण के साथ उपकरणों की एक सूची प्रदान की थी।आगे की शर्त यह है कि संयंत्र ने अपीलार्थी के साथ प्रारंभिक समन्वय हासिल कर लिया था और अपनी संचार प्रणाली की विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया था, अन्य बातों के साथ-साथ, कि विक्रेता ने किसी भी परस्पर जुड़ी प्रणाली पर किसी भी असामान्य या किसी भी असुरक्षित संचालन स्थिति का अनुभव किए बिना संयंत्र का संचालन किया था।विक्रेता को वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 30 दिन पहले अपीलार्थी को सूचित करना था कि अनुच्छेद 1 में निर्धारित शर्तों को पूरा कर लिया गया है।

ग

119. हालाँकि, दिनांकित 04.07.2017 पत्र में पहले प्रतिवादी ने 31.07.2017 द्वारा परियोजना को चालू करने के इरादे के बारे में सूचित किया है, जो नोटिस के 27 वें दिन है।जहाँ तक पारेषण लाइन का संबंध है, 28.06.2017 पर 95 प्रतिशत काम पूरा होने का दावा किया गया था।शेष 5 प्रतिशत, यह कहा गया है, सभी मामलों में 15.07.2017 द्वारा पूरा किया जाएगा।खाड़ी निर्माण के संबंध में, प्रमाणित उपकरणों की स्थापना के साथ 90 प्रतिशत काम पूरा होने की बात कही गई थी। यहाँ भी, यह कहा गया है कि परीक्षण, मीटर और सी. आर. पी. पैनल सहित शेष 10 प्रतिशत कार्य 20.07.2017 द्वारा पूरा किया जाएगा।कहा जाता है कि कनेक्शन समझौते पर 18.05.2017 पर हस्ताक्षर किए गए थे।जहां तक एस. एल. डी. सी. संपर्क का संबंध है, यह कहा गया है कि एस. एल. डी. सी. इनडोर से संपर्क पहले से ही बी. एस. एन. एल. से समर्पित 2 नॉक्स 2 एम. बी. पी. एस. पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइनों के माध्यम से स्थापित किया गया था। जहाँ तक सी. ई. आई. जी. द्वारा प्रमाणन की बात है, यह कहा गया है कि सी. ई. आई. जी. प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और यह 20.07.2017 द्वारा अपेक्षित है।निरीक्षण के लिए प्रार्थना की गई थी ताकि 31.07.2017 तक लक्ष्य चालू करने की तारीख प्राप्त की जा सके।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी इस आधार पर आगे बढ़ा है कि 04.07.2017 दिनांकित नोटिस को पी. पी. ए. के अनुच्छेद 5.3 के तहत नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक सी. ई. आई. जी. रिपोर्ट का संबंध है, यह दिनांकित 09.08.2017 प्रतीत होता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 5.3 के नोटिस में जो विचार किया गया है, वह नोटिस भेजे जाने पर शर्तों को पूरा करने की स्थिति है।हालाँकि, 04.07.2017 दिनांकित सूचना में 31.07.2017 तक पूरा करने का वादा किया गया था।अनुच्छेद 5.3 में छूट का प्रावधान है।यदि अनुच्छेद 9.1 के तहत एक डिफ़ॉल्ट नोटिस, समाप्ति नोटिस के स्थान पर 07.07.2018 पर दिया गया था, तो ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

97

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

तब, पूरा होने की स्थिति प्राप्त होने के साथ और, यदि कुछ और बचा रहता है, तो वह भी करना और यदि जोर दिया जाता है, तो नोटिस जारी करना, दोष को दूर किया जा सकता था।

120. इस संबंध में, हम अनुच्छेद 2.5 के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर देख सकते हैं।1 (घ) जिसका उपयोग अपीलार्थी द्वारा शीट एंकर के रूप में यह तर्क देने के लिए किया गया था कि शर्त की प्राप्ति न होने की स्थिति में बाद की समाप्ति अनिवार्य थी।अनुच्छेद 2.5।1((घ) इस प्रकार हैः

"घ) 9 महीने से अधिक की देरी के मामले में, एम. पी. पी. एम. सी. एल. पी. पी. ए. को समाप्त कर देगा और सी. पी. जी. की शेष राशि जारी करेगा।

(जोर दिया गया) 121।जब अनुच्छेद 9.1 की बात आती है, तो हमने देखा है कि जब चूक की कोई घटना होती है तो यह डिफ़ॉल्ट नोटिस देने पर विचार करता है।विक्रेता को चीजों को पूरी तरह से सही करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।इसके बाद, अनुच्छेद 9.1 में प्रावधान है कि विक्रेता द्वारा चूक को पूरी तरह से नहीं हटाए जाने की स्थिति में, जाहिर है, अपीलार्थी सात दिन की समाप्ति सूचना देकर समझौते को समाप्त कर सकता है।अनुच्छेद 9.1 में विवेकाधिकार का महत्व रखने वाले 'मई' शब्द का चयन अनुच्छेद 2.5 के बिल्कुल विपरीत है।1 (डी)।

ग

डी.

122. जाहिरा तौर पर, इसे इस तरह से तैयार किया गया था ताकि अनुच्छेद 9.4 के तहत चूक की विक्रेता घटना की तरह एक घटना में।(क), अर्थात, विक्रेता द्वारा 24 महीनों के भीतर बिजली की आपूर्ति करने में विफलता, परियोजना की प्रकृति और अपीलकर्ता और विक्रेता दोनों के लिए शामिल दांव को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां विक्रेता अधिक समय देना चाहेगा ताकि एक परियोजना जो लगभग पूरा होने की स्थिति में प्रगति कर चुकी है, उसे समाप्ति और समय देने से निरस्त नहीं किया जा सके, दूसरी ओर, परियोजना का पूरा विकास होगा।

ई.

च

123. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने कोई निरीक्षण नहीं किया था।सी. ई. आई. जी. द्वारा अगस्त, 2017 के पहले सप्ताह में किया गया निरीक्षण पांच सदस्यीय दल द्वारा किया गया एक निरीक्षण था और यह आगे दावा किया जाता है कि यह निरीक्षण 01.08.2017 से शुरू होकर 3 से 4 दिनों तक चला।सी. ई. आई. जी. ने प्रमाणित किया है कि परियोजना तैयार है और पहला उत्तरदाता चालू करने की गतिविधि के साथ आगे बढ़ सकता है।हम ध्यान में रखते हैं कि अनुच्छेद 9.4 (ए) में विचार किए गए चौबीस महीनों की अवधि केवल 18.09.2017 पर समाप्त होगी।सी. ई. आई. जी. ने 09.08.2017 पर अपनी रिपोर्ट दी है कि परियोजना चालू करने के लिए तैयार थी।रिपोर्ट के तथ्य को तथ्य के विवादित प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह एक दस्तावेज़ द्वारा कवर किया गया है।वास्तव में, हम पाते हैं कि, अपीलार्थी आगे बढ़ा

जी.

एच.

इस आधार पर कि यह विश्वसनीय था, लेकिन, हालाँकि, 11.08.2017 पर पूरी तरह से बाद की शर्तों को पूरा न करने के आधार पर समाप्ति सूचना जारी की गई।यह सूचना 20.06.2018 पर अलग रखी गई थी।शायद जिस तरीके से निरीक्षण किया गया था और उसी में खामियों को तथ्यों के विवादित प्रश्नों के रूप में वर्णित किया जा सकता है।इसके अलावा, हालांकि अपीलार्थी को 04.07.2017 पर निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया था, अपीलार्थी ने केवल 19.04.2018 पर निरीक्षण किया और रिपोर्ट का दिनांक 21.04.2018 था।

124. यदि हम सी. ई. आई. जी. की रिपोर्ट के अनुसार चलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी की परियोजना चालू करने के उद्देश्यों के लिए पूरी की गई थी।यह एक और बात हो सकती है कि अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना था।जब अपीलार्थी की टीम ने भौतिक निरीक्षण किया, (यह 19.04.2018 पर किया गया था), तो अपीलार्थी की टीम ने भी सी. ई. आई. जी. की रिपोर्ट का काफी समर्थन किया। हालांकि, यह पाया गया कि अन्य बातों के साथ-साथ ब्लॉक संख्या 9 और 10 में कई स्थानों पर एक निश्चित संख्या में स्ट्रिंग इनवर्टर नहीं पाए गए।यह इस प्रकार पाया गयाः“4. सौर पी. वी. संयंत्र की स्थापना के संबंध में कोई अन्य निर्दिष्ट अवलोकन

ग

डी.

ब्लॉक 9 और 10 में, स्ट्रिंग इनवर्टर कई स्थानों पर नहीं पाए गए थे, लेकिन उन स्थानों पर सौर पैनल लगाए गए थे, जिसमें पी. वी. पैनल (केबलिंग) स्ट्रिंग वर्क के इंटरकनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं पाए गए हैं।"

ई.

125. यह यहाँ है कि हमें पहले प्रतिवादी के मामले पर ध्यान देना चाहिए कि हालांकि उपकरण को सी. ई. आई. जी. की रिपोर्ट में प्रमाणित के रूप में स्थापित किया गया था और जो बचा था वह ग्रिड के लिए औपचारिक संपर्क था जिस पर कमीशनिंग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, अंतिम घटना ग्रिड से कनेक्शन के लिए कनेक्टिविटी कोड जारी न करने के कारण बनी रही। जबकि ऐसा है, जब पहले समाप्ति नोटिस के खिलाफ चुनौती विचाराधीन थी और मानव शक्ति का विमुद्रीकरण किया गया था, कुछ स्ट्रिंग इनवर्टर चोरी हो गए थे, जिनकी लागत Rs.172000 प्रति स्ट्रिंग इनवर्टर बताई गई है।सुरक्षा चिंताओं के आधार पर, पहले उत्तरदाता के अनुसार, उपकरण को हटा दिया गया और सुरक्षित हिरासत में रखा गया।प्रथम उत्तरदाता ने दर्ज की गई दो प्रथम सूचना रिपोर्टों को रखा है।पहली एफ़. आई. आर. आई. डी. 2 पर दर्ज की गई थी और दूसरी एफ़. आई. आर. आई. डी. 1 पर कुछ उपकरणों की चोरी के संबंध में दर्ज की गई थी।यह एक ऐसा मामला है जिसमें पहले प्रतिवादी ने आरोप लगाया है कि वह पहले ही Rs.331 करोड़ का निवेश कर चुका है।

च

जी.

एच.

99

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

126. हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि एक सी. ई. आई. जी. रिपोर्ट दिनांकित 09.08.2017 थी जो प्रमाणित करती है कि पहले उत्तरदाता की परियोजना पूरी हो गई थी।यह 18.09.2017 से काफी पहले की बात है, जो वह तारीख थी जब तक

कमीशन किया जाना था।यह भी स्पष्ट है कि कमीशन, इस तरह, पूरा नहीं हुआ था।इसके अलावा, अगर हम सी. ई. आई. जी. रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं, तो इसके पहले प्रतिवादी के चालू होने के कगार पर होने के मामले को वास्तविक या योग्यता के अभाव के रूप में दरकिनार नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, अपीलार्थी का एक मामला है कि 19.04.2018 पर किए गए निरीक्षण, जिसके परिणामस्वरूप 21.04.2018 की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ ब्लॉक संख्या 9 और 10 से लापता इन्वर्टर के रूप में कुछ कमियों का पता चला है।प्रथम प्रतिवादी के पास चोरी होने का मामला है।वास्तव में, पहले प्रतिवादी का एक निश्चित मामला है कि मई 2018 के खरीद आदेश के आधार पर जून, 2018 में शामिल लगभग 39 इन्वर्टरों को भी बदल दिया गया था [2020 की समीक्षा याचिका No.682 में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अनुलग्नक R12 देखें]। यह 07.07.2018 से भी पहले की बात है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी के पास एक मामला है कि पहले प्रतिवादी द्वारा जिन एफ. आई. आर. पर भरोसा किया गया था, उनमें इनवर्टर का उल्लेख नहीं था।इस बारे में कि क्या यह चोरी का परिणाम था कि सी. ई. आई. जी. निरीक्षण की तारीख तक पहले से मौजूद इन्वर्टर आदि बाद में गायब हो गए या क्या यह सी. ई. आई. जी. की रिपोर्ट के त्रुटिपूर्ण होने के परिणामस्वरूप था और इसलिए, इन्वर्टर आदि पहले स्थान पर नहीं थे, यहां तक कि सी. ई. आई. जी. रिपोर्ट की तारीख पर भी, हमें तथ्य का एक विवादित प्रश्न प्रतीत होता है।हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि विचाराधीन इन्वर्टर वहां नहीं थे।लेकिन जैसा कि देखा गया है, जून 2018 में लगभग 39 चोरी किए गए इन्वर्टर पहले ही बदल दिए गए थे।कम से कम, यदि इस पहलू को इंगित करते हुए एक डिफ़ॉल्ट नोटिस दिया गया था, तो इस तरह के नोटिस के तीन महीने के भीतर मामले को ठीक किया जा सकता था।हम यहाँ कुछ शिकायतों (अनिवार्य रूप से दो संख्या में) को याद करते हैं जो प्रतिवादी संख्या 5 की बची हुई थीं।अगर इसे इस तरह से समझा जाता तो इसे डिफ़ॉल्ट के पहलू के हिस्से के रूप में इंगित किया जा सकता था।हमने यह भी पाया है कि प्रतिवादी संख्या 4 के संयुक्त निरीक्षण में 24.08.2017 पर पाया गया था कि लाइन को चार्ज किया जा सकता है।हम केवल यह पा सकते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें पहले प्रतिवादी को ऐसी स्थिति में कहा जा सके जहां यह कहा जा सके कि वह डिफ़ॉल्ट नोटिस की शर्तों का पालन करने में असमर्थ होगा यदि यह वारंट किया गया था।दूसरे शब्दों में, यदि 07.07.2018 पर समाप्ति सूचना जारी करने के बजाय, यदि सूचना अनुच्छेद 9.1 के अर्थ के भीतर दी गई थी, तो यह काफी संभव है कि पहले प्रतिवादी ने दोष को ठीक किया होगा जैसा कि आरोप लगाया गया है। हमने यह भी नोट किया है कि 2017 में भी अनुच्छेद 9 के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था और यहां तक कि अनुबंध को अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया था जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित नोटिस द्वारा पाया गया था।पूरा विचार

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

अनुच्छेद 9.1 के तहत डिफ़ॉल्ट नोटिस के पीछे अपीलार्थी द्वारा दृष्टि खो दी गई थी।हमने अनुच्छेद 9.1 में 'मई' शब्द के उपयोग के प्रभाव को भी उजागर किया है।बिना किसी औचित्य के पी. पी. ए. के असंदिग्ध शासन से हटने की अपीलार्थी की कार्रवाई उसके कार्यों को मनमाना बना देगी।

127. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दूसरा पहलू वह है जो उच्च न्यायालय के समक्ष दायर समीक्षा याचिका में प्रस्तुत किया गया था। यह अनिवार्य रूप से निम्नानुसार तर्क दिया गया थाः

प्रथम प्रतिवादी ने मुख्य विद्युत निरीक्षक, अपीलार्थी के कार्यालय और न्यायालय में धोखाधड़ी की थी।यह आरोप लगाया गया था कि परियोजना को 5 मेगावाट के 10 ब्लॉकों में विभाजित किया गया था और 5 मेगावाट के प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 116/117 इनवर्टर होंगे।प्रत्येक इन्वर्टर में एक विशिष्ट विशिष्ट क्रम संख्या होनी थी।जैसा कि सी. ई. आई. जी. रिपोर्ट में बताया गया है, प्रत्येक इन्वर्टर की 43 केवी रेटिंग होनी थी।धोखाधड़ी में अपीलार्थी द्वारा इनवर्टरों की क्रम संख्या के कथित 'विस्तृत' विश्लेषण पर एक खोज शामिल थी, कि प्रत्येक ब्लॉक में, कई इनवर्टर थे जिनके नंबर सामान्य/डुप्लिकेट थे और एक ही या अन्य ब्लॉकों में एक दूसरे का उपयोग किया जाता था।यह आरोप लगाया गया था कि लगभग 186 इन्वर्टर्स सीरियल नंबरों का आम तौर पर, डुप्लिकेबल और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता था।कुछ इन्वर्टर संख्याएँ सुपाठ्य नहीं थीं।इसलिए, यह आरोप लगाया गया कि सी. ई. आई. जी. के अधिकृत कर्मियों द्वारा उचित परिश्रम की कमी थी।

ग

डी.

ई.

128. इस संबंध में, प्रथम प्रत्यर्थी ने 2017 में प्रथम प्रत्यर्थी इकाई के लिए आवश्यक 1175 इनवर्टर की खरीद स्थापित करने के लिए न केवल विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए चालान और सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र, बल्कि लॉरी रसीदें पेश करके अपीलार्थी के मामले का विरोध किया है।यह भी उनका मामला है कि इन्वर्टर क्रम संख्या का स्वयं कोई महत्व नहीं है।वे रिकॉर्ड रखने, वारंटी दावों आदि के उद्देश्य से केवल पहचानकर्ता थे। पहले उत्तरदाता द्वारा स्थापित सभी 1163 इनवर्टरों में समान यांत्रिक विनिर्देश थे और सी. ई. आई. जी. की रिपोर्ट में गलत क्रम संख्या का केवल उल्लेख यह स्थापित नहीं करता था कि पहला उत्तरदाता परियोजना को चालू करने के लिए तैयार नहीं था।प्रथम उत्तरदाता ने यह भी बताया है कि सी. ई. आई. जी. की रिपोर्ट में कुछ इन्वर्टर क्रम संख्या के दोहराव के बारे में जानने पर, उसने तुरंत सही अद्वितीय क्रम संख्या और संबंधित ए के विवरण के साथ 16.09.2020 पर सी. ई. आई. जी. से संपर्क किया।

च

जी.

एच.

101

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

इन्वर्टर्स का स्थान।इसने सी. ई. आई. जी. से इन्वर्टरों का निरीक्षण और सत्यापन करने और 09.08.2017 की पहली रिपोर्ट के लिए एक शुद्धिपत्र जारी करने का अनुरोध किया।वास्तव में, परियोजना को चालू करने के लिए अनुमोदन को फिर से जारी करने/पुनः मान्य करने के लिए परियोजना स्थल पर जाने के लिए सी. ई. आई. जी. को पहले आई. डी. 1 पर पहले विवादित निर्णय के अनुपालन में प्रथम प्रतिवादी का संदर्भ है, क्योंकि आई. डी. 2 की पहली रिपोर्ट की वैधता समाप्त हो गई थी।समीक्षा याचिका के जवाब में विशेष रूप से यह तर्क दिया गया है कि कोविड-19 के बहाने अपीलार्थी के असहयोग के कारण सी. ई. आई. जी. निरीक्षण नहीं किया जा सका।वास्तव में, इस न्यायालय में भी जवाबी हलफनामे में इस रुख को दोहराया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि पहले उत्तरदाता ने 14,000/- का निरीक्षण शुल्क जमा किया था, जिसे उपकरण आधारित कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि सभी इनवर्टरों की गणना करते हुए इसका भुगतान किया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि पुनरीक्षण के अनुरोध के आधार पर सी. ई. आई. जी. द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया है।जहाँ तक इस पहलू का संबंध है, इस तथ्य के अलावा कि सी. ई. आई. जी. ने एक निरीक्षण किया है और पहले उत्तरदाता की इकाई की तैयारी को प्रमाणित करते हुए 09.08.2017 पर एक रिपोर्ट दी है, पहले उत्तरदाता ने विदेशी विक्रेताओं से चालान, सीमा शुल्क विभाग के साथ प्रवेश पत्र और कुछ लॉरी रसीदें जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।कथित धोखाधड़ी सी. ई. आई. जी. की रिपोर्ट में 186 इन्वर्टरों में पाई जाने वाली सामान्य संख्या है। सी. ई. आई. जी. द्वारा एक भौतिक निरीक्षण, जो मूल निर्णय के संदर्भ में आवश्यक था, किसी भी दर पर, रिपोर्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवश्यक था और आवश्यक और अपरिहार्य है, भले ही अपील विफल हो।पहले प्रतिवादी ने सी. ई. आई. जी. को संख्या में दोहराव से संबंधित पहलू का पता लगाने के लिए पुनः निरीक्षण की आवश्यकता के लिए सतर्क कर दिया था।ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह का निरीक्षण नहीं किया गया है।इस संबंध में, यह ध्यान रखना

महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी ने 19.04.2018 पर एक निरीक्षण किया था और उसे ऐसी कोई विसंगति नहीं मिली थी, जैसा कि उसने अपनी दिनांकित 21.04.2018 की रिपोर्ट में इनवर्टर में सामान्य संख्याओं के पहलू या संख्याओं की अवैधता के संबंध में अनुमान नहीं लगाया है।किसी भी तरह से, पी. पी. ए. ने स्पष्ट रूप से एक डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी करने का प्रावधान किया, जो दोष को दूर करने का अवसर प्रदान करता है।इस दायित्व को इसके उल्लंघन में देखा गया है।

ग

डी.

ई.

च

129. इसलिए, हम पाएंगे कि सी. ई. आई. जी. द्वारा एक निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए जिसमें अभ्यास को सुविधाजनक बनाने के लिए अपीलार्थी को शामिल करना होगा।इस मामले के तथ्यों में, संतुष्ट होने पर, सी. ई. आई. जी. को अनिवार्य रूप से पहले की रिपोर्ट का पुनः सत्यापन करना होगा।इसमें सी. ई. आई. जी. को उन पहलुओं पर गौर करने का अवसर भी शामिल होगा जिन्हें स्वयं उत्तरदाता ने अपने दिनांकित पत्र 16.09.2020 में प्रस्तुत किया है।रिपोर्ट वास्तव में इंगित करेगी कि

जी.

एच.

सभी पहलुओं के बारे में स्थिति।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, दिनांकित 27.02.2020 के विवादित निर्णय के तहत भी, पहले प्रतिवादी को आवश्यक आवेदन जमा करने होंगे।हम केवल यह स्पष्ट करते हैं कि इसमें पांचवें प्रतिवादी के साथ किसी भी शेष कमियों को दूर करना शामिल हो सकता है।

130. निम्नलिखित पहलू पर ध्यान देना पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं हो सकता है जो इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में परिलक्षित होता है।

"यहां यह उल्लेख करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब 2018 की समाप्ति सूचना को चुनौती लंबित थी, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ विवाद के एक तथाकथित सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रस्ताव रखा था और इस उद्देश्य के लिए 6 फरवरी, 2020 को एक बैठक बुलाई थी।इस बैठक की घटना और आयोजित चर्चाओं को विवादित आदेश 1 के पैराग्राफ 7 और 8 में दर्ज किया गया है।इस बैठक के दौरान, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को परियोजना से 'थर्ड पार्टी सेल' का पता लगाने या अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एस. ई. सी. आई. द्वारा हाल ही में की गई नीलामी के अनुरूप शुल्क में कमी के लिए सहमत होने का प्रयास किया था।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 'थर्ड पार्टी सेल' या पी. पी. ए. के अनुच्छेद 9.7 में निर्दिष्ट शुल्क को कम करने के प्रयासों, दोनों के विकल्प को खारिज कर दिया था, जिसे एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से खोजा गया था।यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने परियोजना से तीसरे पक्ष को बिजली की बिक्री का पता लगाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को प्रस्ताव दिया था, इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि परियोजना पूरी हो चुकी थी और चालू करने के लिए तैयार थी।"

ग

डी.

ई.

इस संबंध में, हम दिनांकित 06.02.2020 बैठक के कार्यवृत्त के पैराग्राफ 4 को देख सकते हैं जो इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

"4. एम. पी. पी. एम. सी. एल. ने आगे कहा कि परियोजना के चालू होने में काफी देरी हुई है और इस बीच सौर बाध्यकारी शुल्क को काफी कम कर दिया गया है। 2. 61/इकाई जिसके लिए एम. पी. पी. एम. सी. एल. पहले ही पी. पी. ए. में प्रवेश कर चुका है, इसलिए एम. पी. पी. एम. सी. एल. ने परियोजना के कम शुल्क पर बिजली की आपूर्ति के लिए मेसर्स स्काई पावर की पेशकश की जो बोली में सबसे कम थी और उनका निवेश वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान किया गया था, इसलिए कम शुल्क पर एम. पी. पी. एम. सी. एल. को बिजली की आपूर्ति व्यवहार्य नहीं होगी इसलिए संभव नहीं है।"

जी.

हम सोचेंगे कि अनिवार्य रूप से अपीलार्थी का प्रयास दर में कमी सुनिश्चित करना था।पहले उत्तरदाता की दर ए थी

एच.

103

एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर बनाम एम./एस. स्काई पावर साउथ ईस्ट सोलर इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

यह स्पष्ट रूप से तीव्र प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली के बाद सबसे कम पाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बोली लगाने वाले शामिल थे।

131. तथ्यों की समग्रता में, हम सोचेंगे कि हालांकि कारणों के लिए, जो विवादित निर्णय के समान नहीं हो सकते हैं, हमें उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।अपील विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।दल अपना खर्च स्वयं वहन करें।

बिभूति भूषण बोस

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.